



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 100th



www.nainitalbank.co.in

2021-22





Team Naini-Head Office-On the occassion on 101th Foundation Day



Inauguration of $\,$ Finacle Go-Live by Sh Dinesh Pant, MD & CEO & other Executives & Senior Officials $\,$

निदेशक मंडल Board of Directors



Shri N. K. Chari Non-Executive Chairman



Shri Nikhil Mohan MD & CEO



Smt Binita Shah



Shri Sanjay Mudaliar



Shri Manoj Sharma



Shri U. C. Nahta



Shri Ravindra Singh Negi



Shri Neelam Damodharan



कार्यकारी अधिकारी / Executives



Sh. Arun Kumar Agarwal Chief Operating Officer



Sh. Mahesh Chandra Jindal Chief Compliance Officer



Sh. M. K. Goyal Chief Financial Officer



Sh. Sanjay Lal Sah VP-Credit



Sh. Raman Kumar Gupta VP -HRM



Sh. L. K. Sharma



Sh. P. D. Bhatt VP-Recovery & CRM



Sh. Deepak Singh Bisht VP-IT



Sh. Budhi Ram Joshi AVP-CIAD




Sh. Rahul Pradhan AVP- Operations



Sh. Sachin Kumar Chief Risk Officer



Sh. Sanjay Kumar Gupta AVP- Premises & Plng.



Sh. Ranjul Kumar AVP- Investment



Sh. Anil Kumar Joshi AVP-Vigilance



Sh. Amar Singh RM-Delhi Region



Sh. Umesh Chandra Ruwali RM-Haldwani Region



Sh. Ajay Seth RM-Dehradun Region



विषय-सूची CONTENTS

- निदेशक मंडल की रिपोर्ट 5 Report of the Board of Directors
- बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण 60 Basel-III Pillar-3 Disclosures
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र 91 Balance Sheet as on 31st March 2022
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता 92 Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2022
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण 93 Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2022
 - तुलन-पत्र की अनुसूचियां 94 Schedules to Balance Sheet
 - खातों पर टिप्पणियां 108 Notes on Accounts
 - हमारी शाखायें 159 Our Branch Network





निदेशक मंडल की रिपोर्ट की 100^{वी} रिपोर्ट (2021–22)

प्रिय सदस्यों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ–हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 100वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतः

- में बैंक का कुल कारोबार जो 31/03/2021 को ₹ 11,441.18 करोड़ था, दिनांक 31/03/2022 को बढ़कर ₹ 11,697.66 करोड़ रहा, जो 2.24% की वार्षिक बढोतरी को दर्शाता है।
- दिनांक 31/03/2022 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांकः 31/03/2021 के ₹ 4,028.59 करोड़ की तुलना में 4.55% की वार्षिक बढोतरी के साथ ₹ 4,211.79 करोड़ रहा।
- दिनांकः 31/03/2022 को बैंक का कुल जमा दिनांकः 31/03/2021 को ₹ 7,412.59 करोड़ की तुलना में 0.99% की बढोतरी के साथ ₹ 7,485.87 करोड़ रहा।
- 31/03/2022 को कम लागत वाली जमा राशि 40.62%
 रही।
- 31/03/2022 को बैंक का सीडी अनुपात 31/03/2021 के
 54.35% की तलना में 56.26% रहा।
- अ31 मार्च 2022 को बैंक की निवल स्वामित्व निधि ₹ 607.00 करोड़ रही।
- 31/03/2022 को बैंक की जमा लागत 31/03/2021 के
 5.02% से घटकर 4.34% रही।
- 31/03/2022 को अग्रिम पर लाभ 31/03/2021 के 8.36% की तुलना में 8.24% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 59.81% रहा।
- > 31 मार्च, 2022 को बैंक का पिरचालन लाभ ₹ 100.30 करोड़ रहा, जबिक 31 मार्च 2021 को यह ₹ 115.16 करोड़ था।
- दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक का शुद्ध लाभ, दिनांकः 31 मार्च, 2021 के शुद्ध लाभ ₹ 1.26 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 28.93 करोड़ रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष के बेसल—॥ के मानदंडों अनुसार 13.67% की तुलना में बेसल—॥ मानदंडों के तहत 14.05% रहा. 31.03.2022 को कुल पूंजी पर्याप्ता में से टियर—। पूंजी 13.13% और टियर ॥ पूंजी 0.92% रही।
- 31 मार्च, 2022 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए घटकर 12.10% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 16.15% था।

100th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2021-22)

Dear Members,

The Directors of Bank feel immense pleasure in presenting the 100th Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2021-22.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- ➤ Total Business of the Bank which was ₹ 11,441.18 crore as on 31/03/2021 increased to ₹ 11,697.66 crore as on 31/03/2022, showing annualized growth of 2.24%.
- For Gross Advances of the Bank increased from ₹ 4,028.59 crore as on 31/03/2021 to ₹ 4,211.79 crore as on 31/03/2022, registering annualized growth of 4.55%.
- ➤ Total Deposits of the Bank increased to ₹ 7,485.87 crore as on 31/03/2022 in comparison to ₹ 7,412.59 as on 31/03/2021 registering a growth of 0.99%.
- ➤ Share of low cost deposit stood at **40.62**% as on 31/03/2022.
- C. D. Ratio of the Bank increased to 56.26% as on 31/03/2022 as against 54.35% as on 31/03/2021.
- Bank's Net Worth stood at ₹ 607 crore as on March 31st, 2022.
- The Cost of Deposit decreased from 5.02% as on 31/03/2021 to 4.34% as on 31/03/2022.
- Yield on Advances was 8.36% as on 31/03/2021 in comparison to 8.24% as on 31/03/2022.
- Priority Sector Lending stood at 59.81% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Poperating Profit of the Bank stood at ₹ 100.30 crore as on 31st March, 2022 against ₹ 115.16 crore as on 31st March, 2021.
- Net Profit of the bank increased to ₹ **28.93 crore** as on 31st March, 2022, against Net Profit of ₹ 1.26 crore as on 31st March, 2021.
- ➤ The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.05% as against 13.67% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 13.13% and Tier II capital was 0.92% as on 31.03.2022.
- ➤ Gross NPA to Gross Advances decreased to **12.10**% as on March 31st, 2022 as against 16.15 % last year.



- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 5.77% की तुलना में घटकर 4.25% रहा।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 2.77% की तुलना में बढ़कर 2.98% रहा।
- आस्तियों पर औसत आय पिछले वर्ष के 0.02% की तुलना में 0.34% रही।
- प्रित कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 12.30 करोड़ की तुलना में रु.13.58 करोड़ रहा।
- प्रित शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 73.88 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को बढकर ₹ 78.33 रहा।
- अ31 मार्च, 2022 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष ₹ 0.16 की तुलना में ₹ 3.73 रही।
- 🕨 वित्तीय वर्ष 2021-22 में 05 नई शाखाएं खोली गईं।
- बढ़ती व्यावसायिक जिटलता के कारण नई व्यावसायिक अपेक्षाओं से निपटने के लिए बैंक ने मौजूदा सीबीएस सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस फिनेकल सीबीएस एप्लिकेशन पर माइग्रेट कर दिया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

निरंतर नए वायरस उत्परिवर्तन, इसके गंभीर प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती मुद्रास्फीति और मंदी के बढ़ते जोखिम के साथ वैश्विक संभावनाएं अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई हैं। इस डर से कि कोविड के बाद उच्च मुद्रास्फीति दर वैश्विक आर्थिक सुधार के बाद सिंक हो सकती है। देशों को इसे नीचे लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की आवश्यकता है। युद्ध से पहले, विश्व अर्थव्यवस्था एक मजबूत, हालांकि असमान, COVID-19 से उबरने की राह पर थी। युक्रेन में संघर्ष और शून्य— COVID नीति के कारण चीन में शटडाउन के कारण आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान, वसूली के लिए एक गंभीर झटका है। दुनिया भर के देश वस्तुओं की उच्च कीमतों से प्रभावित हो रहे हैं, जो मुद्रास्फीति के दबाव को बढाते हैं और वास्तविक आय और खर्च पर अंकुश लगाते हैं, जिससे वसूली में और कमी आती है। युद्ध से प्रेरित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और कीमतों के बढते दबाव के कारण मुद्रास्फीति पिछले पूर्वानुमान की तुलना में अधिक समय तक बनी रहने की उम्मीद है। आपूर्ति में व्यवधान बढ रहा है, विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों के लिए खतरा है जो बुनियादी खाद्य स्टेपल के लिए रूस और यूक्रेन पर अत्यधिक निर्भर हैं। महामारी के दो साल तक सार्वजनिक बजट के साथ, ये देश अपनी आबादी को सस्ती दरों पर भोजन और ऊर्जा प्रदान करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अकाल और सामाजिक अशांति को जोखिम में डाल सकते हैं। कमोडिटी की कीमतों में उछाल और उत्पादन में संभावित व्यवधानों के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। कीमतों में तेज वृद्धि पहले से ही क्रय शक्ति को कम कर रही है, जो दुनिया भर में कम आय वाले परिवारों को बुनियादी ऊर्जा और खाद्य जरूरतों के भूगतान के लिए अन्य वस्तुओं पर कटौती करने के लिए मजबूर करेगी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर रहे हैं और ब्याज दरों में बढोतरी कर रहे हैं। वैश्विक वृद्धि

- Net NPA to Net Advances decreased to 4.25% in comparison to last year's 5.77%.
- Net Interest Margin (NIM) increased to 2.98% in comparison to last year's 2.77%.
- Average Return on Assets stood at 0.34% in comparison to last year's 0.02%.
- Business per Employee increased to ₹ 13.58 crore in comparison to last year's ₹ 12.30 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 78.33 as on March 31st, 2022 as against ₹ 73.88 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 3.73 as on March 31st, 2022 as against ₹ 0.16 last year.
- Opened five (05) new branches in the F.Y. 2021-22.
- Bank has successfully migrated from existing CBS software to Infosys Finacle CBS application to cope up with the new business requirement because of increasing business complexities.

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO

Global prospects remain highly uncertain with continuous new virus mutations, its severe impact, crisis amid Russia Ukraine war, soaring crude prices, rising inflation and increased risk of recession. Fearing that a high inflation rate could sink post-Covid global economic recovery, countries need to do everything in their power to bring it down. Prior to the war, the world economy was on track for a strong, albeit uneven, recovery from COVID-19. The conflict in Ukraine and the supplychain disruptions exacerbated by shutdowns in China due to the zero-COVID policy are dealing a serious blow to the recovery. Countries worldwide are being hit by higher commodity prices, which add to inflationary pressures and curb real incomes and spending further dampening the recovery. Inflation is expected to remain elevated for longer than in the previous forecast, driven by war-induced commodity price increases and broadening price pressures. Supply disruptions are rising, particularly threatening low-income countries that are highly dependent on Russia and Ukraine for basic food staples. With public budgets stretched by two years of the pandemic, these countries could struggle to provide food and energy at affordable rates to their populations, risking famine and social unrest. The surge in commodity prices and possible disruptions to production will have significant consequences. The sharp rise in prices is already undermining purchasing power, which will force lower income households worldwide to cut back on other items to pay for basic energy and food needs. Central banks across globe continues tightening their monetary policy

2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत धीमी होने का अनुमान है ।

कल की अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी: युद्ध और महामारी की तात्कालिक चुनौतियों से परे, नीति निर्माताओं को दीर्घकालिक लक्ष्यों की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। महामारी संबंधी व्यवधानों ने काम करने के नए तरीकों की उत्पादकता पर प्रकाश डाला है। सरकारों को जहां भी संभव हो सकारात्मक संरचनात्मक परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए, डिजिटल परिवर्तन को अपनाना चाहिए और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए श्रमिकों को फिर से तैयार करना चाहिए।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और अगले 10—15 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की उम्मीद है, जो अपने मजबूत लोकतंत्र और मजबूत साझेदारी द्वारा समर्थित है।

दूसरी लहर में गिरावट के साथ वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सुधार ने अक्टूबर '-2021 से मार्च' 2022 के दौरान ओमीक्रोन संस्करण के उद्भव के साथ कुछ गति खो दी, जो सौभाग्य से अल्पकालिक था। हालांकि, आरबीआई के अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक जीडीपी 7.2% बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू मांग में निरंतर विस्तार, निजी निवेश गतिविधि में वृद्धि, पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर, सामान्य मानसून और स्वस्थ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट से निरंतर वृद्धि हो सकती है।

वित्त वर्ष 2021—22 की दूसरी छमाही में सेवा क्षेत्र की गतिविधि में 7.1% की वृद्धि हुई और यह महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गई। संपर्क—गहन सेवाएं, जैसे, व्यापार, होटल, परिवहन, और संचार, सामान्यीकरण की ओर बढ़े, हालांकि उनके प्रतिपेक्ष को ओमाइक्रोन संस्करण द्वारा वापस रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2021—22 में व्यापारिक निर्यात और आयात में उछाल रहा। आर्थिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 28 जनवरी, 2022 तक, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 634.287 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

मुद्रास्फीति में मुख्यतः अनुकूल आधार प्रभावों के कारण, अप्रैल में 4.3% तक की गिरावट दर्ज की, जो मार्च में 5.5% थी। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में गिरकर 2.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 5.2 प्रतिशत थी, अनाज, सिक्जियों और चीनी की कीमतों में साल—दर—साल गिरावट जारी रही। जबिक ईंध ान मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, मुख्य (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सी पी आई) मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आधार प्रभावों के कारण, आवास और स्वास्थ्य को छोड़कर अधिकांश उप—समूहों में अप्रैल में कम हुई। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दहाई अंक में रही। मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के ऊपर की ओर आने वाली अनिश्चितताओं से आकार लेने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की

and hiking interest rates. Global growth is projected to slow i.e. from an estimated 6.1 percent in 2021 to 3.6 percent in 2022 and 2023.

Preparing for tomorrow's economy: Beyond the immediate challenges of the war and the pandemic, policymakers should not lose sight of longer-term goals. Pandemic disruptions have highlighted the productivity of novel ways of working. Governments should look to harness positive structural change wherever possible, embracing the digital transformation and retooling and reskilling workers to meet its challenges.

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

India has emerged as the fastest-growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers in the world over the next 10-15 years, backed by its robust democracy and strong partnerships.

The recovery in real GDP growth with the ebbing of the second wave lost some momentum during Oct.' -2021 to March' 2022 with the emergence of the Omicron variant which was fortunately short lived. However, India's economy grew by 8.7% in the Financial Year 2021-22 As per RBI estimates, real GDP is expected to grow by 7.2% in Financial Year 2022-23. Upside to growth could emanate from sustained expansion in domestic demand, a boost in private investment activity, sustained by the Government's thrust on capital expenditure, a normal monsoon and healthier corporate balance sheets.

Services sector activity grew by 7.1% in second Half of FY 2021-22 and crossed its pre-pandemic level. The contact-intensive services, viz., trade, hotels, transport, and communication, inched towards normalization, though their rebound was held back by the Omicron variant. Merchandise exports and imports remained buoyant in Financial Year 2021-22. According to data from the Department of Economic Affairs, as of January 28, 2022, foreign exchange reserves in India reached the US\$ 634.287 billion mark.

Inflation registered a moderation to 4.3 per cent in April from 5.5 per cent in March, largely on favourable base effects. Food inflation fell to 2.7 per cent in April from 5.2 per cent in March, with prices of cereals, vegetables and sugar continuing to decline on a y-o-y basis. While fuel inflation surged, core (CPI excluding food and fuel) inflation moderated in April across most sub-groups barring housing and health, mainly due to base effects. Inflation in transport and communication remained in double digits. The inflation trajectory is likely to be shaped by uncertainties impinging on the upside. The rising trajectory of



कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चे तेल की, कीमतों में रसद लागतों सहित, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए ऊपर की ओर जोखिम पैदा करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क, उपकर और करों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से उत्पन्न होने वाले इनपुट लागत दबावों को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से समायोजित करने की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग क्षेत्र और आगे:

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से COVID—19 महामारी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की पहली महत्वपूर्ण परीक्षा थी। विश्व स्तर पर और भारत में, बैंकिंग और गैर—बैंकिंग क्षेत्रों ने COVID—19 व्यवधानों का काफी हद तक सामना किया है, जो ठोस नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित है।, जिसने बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता बनाए रखने में मदद की।

वैश्विक स्तर पर, बैंकिंग क्षेत्र केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा असाधारण नीतिगत पहलों द्वारा सहायता प्राप्त महामारी के दौरान लचीला बना रहा। उच्च पूंजी, बेहतर तरलता बफर और कम लीवरेज ने उन्हें महामारी के झटके को कम करने की अनुमित दी। 2021–22 में, बैंकों की सकल और शुद्ध गैर–निष्पादित आस्तियों में कमी आई है)।

क्रेडिट उठाव में सुधार के बीच, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि में गिरावट आई, शुद्ध मांग और आवधिक देयताओं (एन डी टी एल) में अतिरिक्त एस एल आर विनिवेश जो मार्च 2021 में 11% था, मार्च 25,2022 को 9.60% तक कम हो गया। सकल गैर निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, दिसंबर 2022 में 6.50% थी, जो एक साल पहले 6.80% थी। वित्त वर्ष 2022 में डिजिटल लेनदेन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। सभी भुगतान मोड में खुदरा भुगतानों का जोरदार विस्तार हुआ। UPI ने लेनदेन की मात्रा और मूल्य में लगभग 100% की वृद्धि देखी गई। RTGS, NEFT, IMPS और NACH ने भी उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन हुआ। भारत, बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के तहत लेनदेन की मात्रा में तीन अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक का कार्यनिष्पादन

उपर्युक्त परिदृश्य में विभिन्न मानदंडों पर बैंक का कार्यनिष्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

वित्तीय झलकः (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	561.99	593.13
	क) अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	330.82	323.95
	ख) निवेशों से ब्याज के रुप में आय	155.60	145.39
	ग) अन्य	75.57	123.79
2.	गैर ब्याज आय	40.64	45.99

international commodity prices, especially of crude, together with logistics costs, pose upside risks to the inflation outlook. Excise duties, cess and taxes imposed by the Centre and States need to be adjusted in a coordinated manner to contain input cost pressures emanating from petrol and diesel prices.

BANKING SECTOR IN FY 2021-22 AND WAY AHEAD:

The COVID-19 pandemic was the first significant test of the global financial system since the global financial crisis of 2008. Globally and in India, the banking and non-banking sectors have weathered the COVID-19 disruptions reasonably well, supported by cogent policy measures, which helped maintain the soundness of the banking and financial system.

Globally, the banking sector remained resilient throughout the pandemic, aided by extraordinary policy initiatives by central banks and governments. Higher capital, better liquidity buffers and lower leverage allowed them to cushion the shock of the pandemic. In 2021-22, banks' gross as well as net non-performing assets have moderated).

Amidst improving credit offtake, growth in banks' holdings of G-secs decelerated, pulling down their excess SLR investments to 9.6% of net demand and time liabilities (NDTL) as of March 25, 2022, from 11% as at the end of March 2021. The gross nonperforming assets (GNPA) ratio declining to 6.5% in December 2021 from 6.8% a year ago. Digital transactions continued to register robust growth in FY 2022. Retail payments expanded strongly across the payment modes. UPI witnessed near 100% growth in volume and value of transactions. RTGS, NEFT, IMPS, and NACH also demonstrated remarkable growth. Transactions under the Bharat Bill Payment System (BBPS) clocked a triple-digit increase in volume.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ In Crores)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
1.	Total Interest Income	561.99	593.13
	(a) Interest Income from Advances	330.82	323.95
	(b) Interest Income from Investments	155.60	145.39
	(c) Others	75.57	123.79
2.	Non Interest Income	40.64	45.99



क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	कुल आय-क (1+2)	602.63	639.12
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	312.11	362.15
	क) जमा पर दिया गया ब्याज	312.11	362.13
	ख) अन्य ब्याज व्यय	0.00	0.02
4.	स्टाफ लागतें	113.26	99.93
5.	अन्य परिचालन लागत	76.96	61.88
	कुल खर्चे-ख (3+4+5)	502.33	523.96
	परिचालन लाभ (क–ख)	100.30	115.16
	प्रावधान और आकस्मिकताएं– सी	71.37	113.90
	शुद्ध लाभ (क-ख-ग)	28.93	1.26

वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	4.34	5.02
2.	अग्रिमों से औसत आय(%)	8.24	8.36
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.98	2.77
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति(%)	0.34	0.02
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.35	1.20
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	1.20	1.42
7.	प्रति शेयर आय (करोड़ में)	3.73	0.16
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (करोड़ में)	78.33	73.88

पूंजी पर्याप्तता

बेसल—III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 13.67% थी, इस वर्ष 14.05% रही। 31.03.2022 को सकल पूंजी पर्याप्तता में टीयर—I पूंजी 13.13% थी और टीयर—II पूंजी 0.92% रही।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 7,412.59 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹ 7,485.87 करोड़ हो गईं, जो 0.99% की बढ़ोतरी दर्शाती हैं। कुल जमाराशियों में कम लागत वाली जमाराशियाँ पिछले वर्ष के 38. 14% से बढ़कर 31.03.2022 को 40.62% हो गयी।

जमा लागत 31 मार्च 2021 के 5.02% से घटकर 31 मार्च 2022 को 4.34% हो गई।

S. No.	Particulars	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
	TOTAL INCOME A(1+2)	602.63	639.12
3.	Total Interest Expended	312.11	362.15
	a) Interest Expended on Deposits	312.11	362.13
	b) Other Interest Expenses	0.00	0.02
4.	Staff Cost	113.26	99.93
5.	Other Operating Costs	76.96	61.88
	Total Expenses—B (3+4+5)	502.33	523.96
	Operating Profit (A-B)	100.30	115.16
	Provision & Contingencies-C	71.37	113.90
	Net Profit (A-B-C)	28.93	1.26

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
1.	Average Cost of Deposits (%)	4.34	5.02
2.	Average Yield on Advances (%)	8.24	8.36
3.	Net Interest Margin (%)	2.98	2.77
4.	Average Return on Assets (%)	0.34	0.02
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.35	1.20
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.20	1.42
7.	EPS (in Cr)	3.73	0.16
8.	Book Value per share (in Cr)	78.33	73.88

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.05% as against 13.67% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 13.13% and Tier – II capital was 0.92% as on 31.03.2022.


DEPOSIT MOBILISATION

Deposits of the Bank has increased from ₹ 7,412.59 crore of last year to ₹ 7,485.87 crore as on 31/03/2022 showing a growth of 0.99%. The Share of low cost deposit increased to 40.62% as on 31/03/2022 from 38.14% as on 31/03/2021.

The Cost of Deposit decreased from 5.02% as on 31/03/2021 to 4.34% as on 31/03/2022.




कुल जमा / Total Deposit




सम्मिलित जमाराशि / Deposit Mix


31 मार्च 2021 को / As on 31st March 2021







कासा [कम लागत वाली जमाराशि] / CASA [Low Cost Deposit]




ऋण नियोजन

31.03.2022 को बैंक का सकल ऋण 31.03.2021 के ₹ 4028.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 4211.79 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.55% की बढ़ोतरी हुई।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 4211.79 crore as on 31.03.2022 from ₹ 4028.59 crore on 31.03.2021, showing an increase of 4.55% over previous year.


सकल अग्रिम / Gross Advances



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2022 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम ₹ 2498.05 करोड़ रहा। जबिक 31.03.2021 को यह ₹ 2416.45 करोड़ था, जोिक बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 59.81% प्रतिशत रहा।

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 2498.05 crore as on 31.03.2022 against ₹ 2416.45 crore as on 31.03.2021 representing 59.81% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम/Priority Sector Advances



31.03.2022 को बैंक के खुदरा ऋण 31 मार्च, 2021 के ₹ 1474.43 करोड़ की तुलना में ₹ 1920.81 करोड़ रहे, इस प्रकार इनमें 30.27% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

घटती ब्याज दरों की स्थिति में 31.03.2022 को अग्रिमों पर लाभ 31.03.2021 के 8.36% की तुलना में 8.24% रहा। Retail Advances of the Bank stood at ₹ 1,920.81 Crore as on March 31st, 2022 against ₹ 1,474.43 Crore as on 31st March, 2021, registering acceleration of 30.27%.

In declining interest rate scenario, the Yield on Advances was 8.24% as on 31/03/2022 in comparison to 8.36% as on 31/03/2021.



नए प्रयास एवं प्रौद्योगिकी का समावेश

नई पहलें

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं फिनैकल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधाएं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी,यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, पीएफएमएस एवं डब्ल्युएलएटीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक "टैप एंड पे" सुविधा वाले चिप आधारित रुपे डेबिट कार्ड जारी कर रहा है और एसएमएस और ईमेल चैनलों का उपयोग करके अपने ग्राहकों को अलर्ट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

एक डिजिटल बैंक बनने के लिए, नैनीताल बैंक लिमिटेड ने फिनेकल 10 सॉफ्टवेयर लागू किया है और व्यसाय विकास को प्राप्त करने की लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है—

- मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन लॉन्च करना जिससे ग्राहक कहीं भी, कभी भी शाखा बैंकिंग लेनदेन कर सकें।
- बैंक ऋण सुविधाओं के तेजी से प्रसंस्करण के लिए ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- बैंक वित्तीय समावेशन समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है ताकि प्रौद्योगिकी सपोर्टिंग उपकरणों का उपयोग करके परिचालन के क्षेत्र के कोने—कोने और दूरदराज के गांवों में भी पहंच सके।
- मजबूत मानव संसाधन नीति और योजना बनाने के लिए बैंक एचआरएमएस मॉड्यूल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- बैंक इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान गेटवे सेवाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- बैंक ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की सक्रिय निगरानी के लिए बैंक में ईडब्ल्यूएस (प्रारंभिक चेतावनी संकेत) प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- बैंक ई—चैनल लेनदेन के समाधान के लिए विक्रेता तलाश रहा है ताकि निधियों के तेजी से निपटान और वितरण चैनल विवाद का समाधान किया जा सके।
- अपने ग्राहकों को कर लेनदेन सुविधाओं के माध्यम से सरकारी व्यवसाय का अधिग्रहण।

विकासात्मक कार्य

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैंक लगातार प्रयासरत है—

NEW INITIATIVES AND TECHNOLOGY ABSORPTION

NEW INITIATIVES

Extensive use of Information Technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go for automation and make maximum use of technology. Currently, Bank's all branches are functioning on Finacle 10.x CBS platform and also facilitating customers by providing electronic payment facility like RTGS, NEFT, UPI, IMPS, Net Banking, PFMS and WLATM Services. Bank is issuing chip based Rupay Debit Cards having "Tap & Pay" facility and also providing the Alert services to its customers using SMS & email channels.

To be a digital Bank, The Nainital Bank Limited has implemented finalce 10 software and also identified following thrust areas for achieving business growth-

- Launching of Mobile Banking Application allowing customers to perform anywhere, anytime Branch Banking transactions.
- Bank is in the process of implementation of Loan Originating System (LOS) for faster processing of credit facilities.
- Bank is in the process of implementation of Financial Inclusion Solution to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- Bank is in the process of implementation of HRMS module for building up robust HR policy and plan.
- Bank is in the process of implementation of payment gateway services for Internet Banking users.
- Bank is in the process of implementation of EWS (Early Warning Signals) system in the Bank for proactive monitoring of credit facilities provided to the customers.
- Bank is in the process of scouting of vendor for reconciliation of e-channel transactions for faster settlement of funds and resolution of delivery channel dispute.
- Acquisition of Government Business through Tax transactions facilities to its customers.

DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort-



- बैंक ने इंफोसिस के फिनेकल 10.x सीबीएस एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया है तािक बढ़ती व्यावसाियक जटिलताओं के कारण नई व्यावसाियक आवश्यकताओं का सामना किया जा सके।
- बैंक ने कोषागार संचालन अधिक कुशलतापूर्वक और समय पर करने के लिए बैंक में फिनेकल ट्रेजरी मॉड्यूल लागू किया है।
- बैंक ने अपने खुदरा विक्रेताओं के लिए फिनेकल नेट बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।
- बैंक ने एक सुरक्षित वातावरण में फिनेकल सीबीएस और अन्य मॉड्यूल और सेवाओं की तैनाती के लिए अपने अत्याधुनिक डेटा सेंटर, डिजास्टर और नियर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर को अपग्रेड किया है।
- फिनेकल 10.x में माइग्रेट करने के अलावा, बैंक ने अपने आसपास के इंटरफेस जैसे पीएफएमएस, एएमएल, एडीएफ, सीकेवाईसी आदि को भी बढ़ाया है ताकि नियामक अनुपालन बढ़ाया जा सके।
- बैंक ने एसएमएस अलर्ट सेवाओं के अलावा ईमेल अलर्ट सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- बैंक ने प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए अपने सीटीएस एप्लिकेशन को अपग्रेड किया है।
- बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति और प्रौद्योगिकी उन्नयन को देखते हुए बैंक ने अपनी वेबसाइट में सुधार किया है।
- बैंक ने नए डीसी / डीआर की स्थापना की थी, जो डीएएम, एचआईपीएस, आईडीएस, आईपीएस, पीआईएम, एवी, एलबी जैसे सुरक्षा उपकरणों के कार्यान्वयन के बाद अधिक मजबूत हैं जो किसी भी अप्रत्याशित साइबर जोखिम को कम करने के लिए घटनाओं की कुशल निगरानी के लिए बैंक को सक्षम बनानाए जो साइबर हमलावरों द्वारा हमारे वातावरण में प्रेरित हो सकता है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक के पास एनपीए से निपटने और वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। बैंक के आस्ति वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

आस्ति वर्गीकरण (रु. करोड़ में)

	31.03.2021 को		31.03.2022 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	3377.92	83.85	3690.37	87.90
अवमानक	166.09	4.12	126.62	3.02
संदिग्ध	385.86	9.58	356.99	8.50
हानिकर आस्ति	98.72	2.45	24.34	0.58
सकल अग्रिम	4028.59	100	4198.32	100

बैंक का सकल एनपीए ₹ 31.03.2021 को 650.67 करोड़ से ₹ 31.03.2022 तक 507.95 करोड़ रहा। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ हाल ही में जोड़े गए एनपीए खातों में वसूली करने और अपग्रेड करने का निरंतर प्रयास करता है। 31.03.2022 को निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए 4.25% के स्तर पर रहा।

- The Bank has migrated to Infosys' Finacle 10.x CBS application platform to cope up with the new business requirements due to increasing business complexities.
- The Bank has implemented Finacle Treasury Module in Bank for doing treasury operations more efficiently and timely.
- The Bank has introduced Finacle Net Banking Services to its Retails & Corporate customers to cater to the need of anywhere, anytime branch banking on the move.
- The Bank has upgraded its State of the Art Data Center, Disaster and Near Disaster Recovery Data Center for deployment of Finacle CBS and other modules and services in a secured environment.
- Besides migrating to Finacle 10.x, Bank has also upgraded its surrounding interfaces like PFMS, AML, ADF, CKYC etc. for enhanced regulatory compliances.
- The Bank has successfully implemented email alert services, in addition to SMS alert services.
- The Bank has up-graded its CTS Application for effective customer service.
- The Bank has revamped its website in view of present market trend and technology upgrade.
- The Bank had established new DC/ DR, which are more robust after implementation of security tools like DAM, HIPS, IDS, IPS, PIM, AV, LB & WAF, AV, MFA, AAA, NGFW with App Control, AD etc, which enable the Bank for efficient monitoring of events to mitigate any unforeseen cyber risk, which may be induced in our environment by Cyber Attackers.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:


ASSET CLASSIFICATION (₹ in Cr.)

	As on 31.03.2021		As on 31.03.2022	
	Amount	%	Amount	%
Standard	3377.92	83.85	3690.37	87.90
Sub-Standard	166.09	4.12	126.62	3.02
Doubtful	385.86	9.58	356.99	8.50
Loss assets	98.72	2.45	24.34	0.58
Gross Advances	4028.59	100	4198.32	100

Gross NPA of the Bank decreased from ₹ 650.67 crore as on 31.03.2021 to ₹ 507.95 crore as on 31.03.2022. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year. Net NPA to Net Advances stood at 4.25% level.

आस्ति वर्गीकरण / Asset Classification

31 मार्च 2021 को / As on 31st March 2021



निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के सकल निवेश जो 31.03.2021 को ₹ 650.67 करोड़ थे, 31.03.2022 को ₹ 507.95 करोड़ रहे। कुल निवेश में से 46.07% प्रतिभूतियों को ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)'' में ''मार्क टू मार्केट'' और शेष 53.93% को ''परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निवेशों में लेन—देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्यह्रास से संविभाग को सुरक्षित रखने के साथ—साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता


बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2021 के स्तर ₹ 115.16 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2022 को ₹ 100.30 करोड़ रहा। अनुमानित देनदारियों के लिए सभी प्रावधान, और एनपीए, आयकर और वेतन वृद्धि के उच्च प्रावधानों करने के बाद बैंक का शुद्ध लाभ 31 मार्च 2021 को ₹ 1.26 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2022 को ₹ 28.93 करोड़ रहा।

यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में बैंक की सत्ताइस (27) शाखाएं हानि में रहीं। इन 27 शाखाओं में से तीन (03) शाखा 2013–14 में खोली गई थीं। दो (02) शाखाएं जिन्होंने हानि दर्ज की। वे 2014–16 में खोली गईं थीं। सत्रह (17) शाखाएं 2019–20 में खोली गईं थीं। पांच (05) शाखाएं 2021–22 में खोली गईं थी।

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का CIAD विभाग उचित कीमत पर बैंक के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 'जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा' प्रणाली को उपयुक्त रूप से अपनाया गया है। सीआईएडी विभाग द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को भी अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता की जा रही है। बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के तहत निर्धारित व्यवसाय के कवरेज के संबंध में नियामक के निर्देशों का पालन किया है।

31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022



INVESTMENT OPERATIONS

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 2305.76 crore as on 31.03.2022 against ₹ 2322.09 crore as on 31.03.2021. Out of total investments, 46.07% securities have been "marked to market" in "Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)" and rest 53.93% is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 100.30 crore as on 31st March, 2022 against ₹ 115.16 crore as on 31st March, 2021. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 28.93 crore as on 31/03/2022, against Net Profit of ₹ 1.26 crore as on 31/03/2021, due to higher provision for NPA, Income tax and wage revision.

It is submitted that during the financial year 2021-22, twenty-Seven (27) Branches of the Bank were in loss. Out of these 27 branches, three (03) branches had incurred losses which were opened in 2013-14, two (02) branches from 2014-16, Seventeen (17) branches which were opened in F.Y. 2019-20 and F.Y. 2020-21. Five (05) branches opened during the current F.Y. 2021-22 are also in loss.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

सामाजिक दायित्व

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के इस माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य निर्धारित सीमा से अधिक पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ₹ 2498.05 करोड़ का ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 59.81% है, जबिक कृषि ऋण ₹ 959.13 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 22.96% है, जबिक इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 18% है।

वित्तीय समावेशन योजना (एफ.आई.)

बैंक मेसर्स वक्रांजी लिमिटेड और मेसर्स सीएससी ई—गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट्स, हमारे व्यवसाय प्रतिनिधियों एसएलबीसी द्वारा आबंटित उप सेवा क्षेत्रों तथा अन्य केंद्रों पर वित्तीय समावेशन योजना को लागू कर रहा है. दिनांक 31.03.2022 तक उत्तराखंड में 52 बीसी एजेंट्स एवं उत्तर प्रदेश में 19 बीसी एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं. बैंक दूसरे केंद्रों पर अधिक संख्या में बीसी एजेंट्स नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

हमारा बैंक इन सभी योजनाओं में भाग ले रहा है और अब तक एपीवाई के तहत 2224 व्यक्तियों, पीएमएसबीवाई के तहत 18726 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 6773 व्यक्तियों का नामांकन कर चुका है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने एपीवाई के तहत 269 नए व्यक्तियों को नामांकित किया, पीएमएसबीवाई के तहत 505 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 372 लोगों का नामांकन किया।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार कार्यक्रम

बैंक उत्तर भारत में अपने नेटवर्क को विस्तार देते हुए शाखाओं की संख्या को 165 तक ले जाने में सफल रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 05 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों / संघशासित प्रदेशों में फैला है। बैंक की वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10 नई शाखाएँ खोलने की योजना है।

शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

	क्षेत्रवार शाखाएँ				
क्र.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या			
₹і.	্বাস বিস	2022*	2021*		
1	महानगरीय	34	33		
2	शहरी	43	43		
3	अर्धशहरी	34	33		
4	ग्रामीण	54	51		
	कुल	165	160		

^{*}जनगणना 2011 के अनुसार बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

SOCIAL COMMITMENT

NAINITAL BANK

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 2498.05 crore during the year and constituted 59.81% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 959.13 crore constituting 22.96% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan (FI)

Bank has been implementing the Financial Inclusion Plan through Business Correspondent Agents provided by M/s Vakrangee Ltd. & M/s CSC e-Governance Services India Limited, our BC Vendors, in Sub Service Areas allotted by SLBC & various other centres. As on 31.03.2022, 52 BC Agents have been deployed in Uttarakhand state & 19 BC Agents have been deployed in UP State and bank is in process to appoint more no. of BC Agents in other centres.

Atal Pension Yojana/Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana/ Pradhan Mantri Jewan Jyoti Bima Yojana

Our Bank has been participating in all these schemes and enrolled 2224 persons under APY, 18726 persons under PMSBY and 6773 persons under PMJJBY so far.

During the FY-2021-22, bank had enrolled 269 new persons under APY, 505 new persons under PMSBY and 372 new persons under PMJJBY.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank had been successful in widening its network across North India with 165 branches. The Bank has opened 05 new branches during the financial year 2021-22. The branch network now covers 05 States/Union Territories. The Bank plans to open 10 new Branches in the financial year 2022-23.


AREA WISE POSITION OF BRANCHES

	Area-wise Branches					
S.	Avon	No. of Branches 2022* 2021*				
No.	Area					
1	Metro	34	33			
2	Urban	43	43			
3	Semi-Urban	34	33			
4	Rural	54	51			
	Total	165	160			

^{*}Area-wise classification of branches as per Census 2011.



वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार/Area-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2020 को/As on 31st March 2021 31 मार्च 2021 को/As on 31st March 2022



वर्तमान में बैंक की शाखायें देश के 05 राज्यों में हैं। इनका राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

Metro Rural 34 Metro 20% 54 33% Urban Urban 43 Semi Urban 26% Semi Urban 34 Rural 21%

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:


शाखाओं की राज्यवार स्थिति


	राज्यवार शाखाएं				
		शाखाओं की संख्या			
क्र.सं.	क्षेत्र	2022	2021		
1	उत्तराखण्ड	96	94		
2	उत्तर प्रदेश	42	39		
3	दिल्ली	16	16		
4	हरियाणा	08	08		
5	राजस्थान	03	03		

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

State-wise Spread of Branches at the year ended on								
S. No.	Avec	No. of Branches						
5. NO.	Area	2022	2021					
1	Uttarakhand	96	94					
2	Uttar Pradesh	42	39					
3	Delhi	16	16					
4	Haryana	08	08					
5	Rajasthan	03	03					

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का राज्यधवार विस्तार/State-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2021 को/As on 31st March 2021 31 मार्च 2022 को/As on 31st March 2022





मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सब से महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्वःप्रेरित और सहानुभूति पूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। बैंक के स्वस्थ, निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथ मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण की अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	(31.03.2021 के अनुसार)	(31.03.2022 के अनुसार)
1	कार्यपालक	20	26
2	अधिकारी	474	435
3	लिपिक	350	344
4	अधीनस्थ कर्मचारी	38	29
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	110	107
	कुल	992	941

HUMAN RESOURCE POSITION


Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2021-22.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	(As on 31.03.2021)	(As on 31.03.2022)
1	Executives	20	26
2	Officers	474	435
3	Clerks	350	344
4	Sub-Ordinate Staff	38	29
5	Part Time Sub-Staff	110	107
	TOTAL	992	941

वर्ष के अंत में संवर्ग-वार कर्मचारियों की स्थिति/Cadre-wise Staff Strength at the year ended on

31 मार्च 2021 को / As on 31st March 2021




अभिप्रेरक पहलें

बैंक कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- अप्रैल 2021, मई 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीने में 13 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 64 प्रबंधन प्रशिक्षु और 41 क्लर्क बैंक में शामिल हुए हैं।
- 01.08.2021 से निम्नलिखित स्केल / ग्रेड में कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।
 - ◆ 09 लिपिक स्टाफ सदस्यों को जेएम ग्रेड / स्केल─। में
 - 31 अधिकारी सदस्यों को एमएम ग्रेड / स्केल-॥ में

31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022



Motivational Initiatives

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

- 13 Probationary Officers, 64 Management Trainees and 41 Clerks joined the Bank in the month of April 2021, May 2021, October 2021, November 2021 and January 2022.
- The following employees have been elevated to next Grade/Scale w.e.f. 01.08.2021.
 - ◆ 09 Clerical Staff Members have been elevated to JMG/S I
 - ◆ 31 Officer Members have been elevated to MMG/S II



- 19 प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को एसएम ग्रेड / स्केल—Ⅲ में
- ◆ 09 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को एसएम ग्रेड / स्केल—Ⅲ में
- बैंक ने एचआरएमएस ऑटोमेशन की प्रक्रिया श्रूक कर दी है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान —763— स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों / कार्यशालाओं में भाग लिया।

31.03.2022 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	00	26	26
2	अधिकारी	89	346	435
3	लिपिक	84	260	344
4	अधीनस्थ कर्मचारी	02	27	29
5	अंशकालिक अधीनस्थथ कर्मचारी	35	72	107
	कुल	210	731	941

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचनाः

बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, कानून, आईटी और डिजिटल भुगतान, मानव संसाधन, प्रबंधन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान है, जैसा कि सभी लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट है।

सतत और संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के समर्थन में बोर्ड स्तर पर बढ़ती विविधता को एक आवश्यक तत्व के रूप में देखता है। एक विविध बोर्ड में निदेशकों के कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और अन्य गुणों में अंतर का अच्छा उपयोग होता है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है और बोर्ड रूम में विविधता के लाभों को पहचानता और स्वीकार करता है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सिहत कई कारकों पर विचार करके विविधता सुनिश्चित की जाती है। विविधता पर अपने दृष्टिकोण को सूचित करते हुए, बैंक समय—समय पर अपने स्वयं के व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

- ◆ 19 Manager Staff Members have been elevated to SMG/S - III
- ◆ 09 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMG/S IV
- Initiated the process for HRMS Automation.
- During the year under review 763- staff members attended various training programmes, seminars/ workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

Cadre wise break-up as on 31.03.2022 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executives	00	26	26
2	Officers	89	346	435
3	Clerks	84	260	344
4	Sub-Ordinate Staff	02	27	29
5	Part Time Sub-Staff	35	72	107
	TOTAL	210	731	941

Board of Directors

Composition of Board

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT & Digital Payments, Human Resource, Management, Agriculture & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

निदेशकों का चयन और नियुक्ति

बैंक के निदेशकों का चयन और नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे जोकि समय-समय पर संसोधन के अनुसार किया जाता है। नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक को उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले, कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी और प्रत्येक निदेशक द्वारा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है। बोर्ड को उनकी नियक्ति / पुनर्नियक्ति के संबंध में, जो बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल है। निदेशक मंडल के लिए नीति के संदर्भ में, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले और सालाना यानी हर साल 31 मार्च को निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है।

बैंक के निदेशक भी अनुबंधों के विलेख पर हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त / पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करता है। निदेशकों द्वारा दिए गए प्रपत्रों / घोषणाओं / उपक्रमों / सहमित में बताई गई निर्धारित जानकारी को एनआरसी के समक्ष और बाद में बोर्ड को इसकी समीक्षा और पुष्टि के लिए रखा जाता है।

बैंक ने निदेशक मंडल और विरष्ठ प्रबंधन (नीति) के लिए उत्तराधिकार योजना नीति भी बनाई और अपनाई है जिसकी एनआरएचआर और बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की गई है। नीति का उद्देश्य गैर—कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, प्रबंध निदेशक और सीईओ (एमडी और सीईओ), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य विरष्ठ पदों के लिए उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का मूल्यांकन, पहचान और नामांकन करना है। बैंक के अधिकारी समय—समय पर उक्त भूमिकाओं के उत्तराधिकार और किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए जो अप्रत्याशित स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या इस्तीफे या अचानक एग्जिट होने से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भरा जा सके या ऐसी किसी भूमिकाओं में किसी भी कारण से वर्तमान या नामित को भरने की योजना बनाते हैं।

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए —

Selection and Appointment of Directors

The selection and appointment of Directors of the Bank is done in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, the Guidelines issued by the RBI and as per Corporate Governance Frameworks, as amended, from time to time. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/ re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year.

The Directors of the Bank also sign the deed of covenants which binds them to discharge their responsibilities to the best of their abilities, individually and collectively in order to be eligible for being appointed/re-appointed as a Director of the Bank. The prescribed information as stated in the forms/declarations/undertakings/consent given by the Directors are placed before the NRC and subsequently to the Board, for its review and confirmation.

The Bank has also formulated and adopted the Succession Planning Policy for the Board of Directors and Senior Management (Policy) which has been subjected to an annual review by the NRHR and the Board. The objective of the Policy is to inter alia assess, identify and nominate suitable candidates to fil vacancies that may arise for positions of the Non-Executive Chairperson, Independent Directors, Managing Director & CEO (MD & CEO), Key Managerial Personnel and other Senior Officials of the Bank from time to time, to plan for succession of the said roles and to fil any vacancies that may arise out of impending move or retirement or resignation or sudden exit or for any reason whatsoever in such roles, incumbent or named successors, significant changes in role accountabilities, substantive changes in the business parameters and changes to the role holder or successor's aspiration.

Changes in the composition of Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank -



- श्री मृदुल कुमार अग्रवाल (गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक) और पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को 09.05.2013 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 08.05.2021 को अपना 8 वर्ष का कार्यकाल (पहला कार्यकाल—5 वर्ष और दूसरा कार्यकाल—3 वर्ष) पूरा किया। उन्हें आरबीआई की बैंक की नीति और शासन की आवश्यकता के अनुसार 3— तीन साल की अवधि के लिए कूलिंग अवधि के तहत रखा गया है।
- श्री जॉयदीप दत्ता रॉय (गैर—कार्यकारी गैर—स्वतंत्र निदेशक)
 जिन्हें 07 अगस्त, 2021 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया
 था, ने अपना इस्तीफा 21 अक्टूबर, 2021 को मुख्य महाप्रबंधक, एमडी कार्यालय, सहायक और संयुक्त उद्यम के रूप में पद छोड़ने और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के कारण दे दिया।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन सिमित (NRHR) की सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने 09 अप्रैल, 2021 को हुई बैठक में श्री मनोज शर्मा को बैंक के गैर—कार्यकारी—अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक नियुक्त करने की मंजूरी दी। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अवधि पांच (5) वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 09 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2026 (दोनों दिन शामिल) तक होगी, जिसे 28 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त अवधि में, श्री मनोज शर्मा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- बैंकिंग में गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बदलाव और आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, अध्यक्ष और सीईओ के मौजूदा पद को बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ में विभाजित किया गया था। इस संबंध में, 24 जून 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद, श्री दिनेश पंत को अध्यक्ष और सीईओ से एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नामित किया गया था। उक्त पुनः पदनाम को 28 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा भी नोट और अनुमोदित किया गया था।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसारए 28 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री उत्तम चंद नाहटा को बैंक के गैर—कार्यकारी—अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक नियुक्त करने की मंजूरी दी। इस रूप में पद धारण करें। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अवधि पांच (5) वर्ष के लिए होगी, जिसे 28 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त अवधि के दौरान, श्री उत्तम चंद नाहटा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

- Mr. Mradul Kumar Agarwal (Non-Executive Independent Director) and a Chartered Accountant by profession was appointed on the Board of the Bank on 09.05.2013. He completed his tenure of 8 years (1st Tenure - 5 Years and 2nd Tenure - 3 Years) on 08.05.2021. He has been place under cooling period for a period of -3- Three Years as per Bank's Policy and Governance Requirement of RBI.
- Mr. Joydeep Dutta Roy (Non-Executive Non-Independent Director) who was appointed on the Board of the Bank on August 07, 2021 has tendered his resignation w.e.f. October 21, 2021 due to demitting office as Chief General Manager, MD's Office, Subsidiaries & JV's and taking charge as Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 21.10.2021.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on April 09, 2021 approved the appointment of Mr. Manoj Sharma as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years i.e. April 09, 2021 upto April 08, 2026 (both days inclusive) which was approved by the shareholder's in Annual General Meeting held on September 28, 2021. During the said period, Mr. Manoj Sharma shall not be liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.
- Pursuant to changes in Governance Framework in Banking and in compliance of RBI directions, the existing post of Chairman & CEO was bifurcated into Part Time Chairman and Managing Director & CEO in the Bank. In this regard, Mr. Dinesh Pant was re-designated as MD & CEO from Chairman & CEO w.e.f. June 24, 2021 after approval from reserve Bank of India. The said re-designation was also noted and approved by the shareholders of the bank in Annual General meeting held on September 28, 2021.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on July 28, 2021 approved the appointment of Mr. Uttam Chand Nahta as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (05) years which was approved by the shareholder's in Annual General Meeting held on September 28, 2021. During the said period, Mr. Uttam Chand Nahta shall not be liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.



- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक / वित्तीय संसथानो के निदेशकों के सलाहकार ग्रुप के रिपोर्ट जारी की। डॉ. गांगुली ग्रुप' अन्य बातों के साथ—साथ यह प्रदान करते हुए कि 'बड़े आकार के बैंकों के संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को अलग करना वांछनीय होगा। बैलेंस शीट के आकार, व्यापार लेनदेन के परिष्कृत और बैंक की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को दो में विभाजित किया जा सकता है: अध्यक्ष जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक जो मुख्य के रूप में कार्य कर सकते हैं एवं बैंक के दिन—प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हों। समूह का विचार है कि यह कार्यात्मक पृथक्करण बैंक के शीर्ष प्रबंधन के कामकाज में आवश्यक थ्रस्ट के साथ—साथ अधिक ध्यान और विजन लाएगा। इसके अलावा, आरबीआई ने 26 अप्रैल, 2021 के नए शासन ढांचे के माध्यम से सूचित किया कि बोर्ड ऑफ वाणिज्यिक बैंकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन सिमिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, 02 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने श्री एन.के. चारी (स्वतंत्र निदेशक) बैंक के अंशकालिक / गैर—कार्यकारी अध्यक्ष के पद के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के अधीन मंजूरी दी । इसके अलावा, आरबीआई की मंजूरी दिनांक 23 अगस्त, 2021 के अनुसार, श्री एन.के. चारी ने अंशकालिक / गैर—कार्यकारी (स्वतंत्र) अध्यक्ष का पद 23 अगस्त, 2021 से 3 साल की अविध के लिए ग्रहण किया। । इसके अलावा, 28 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अंशकालिक / गैर—कार्यकारी (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को भी मंजुरी दी गई थी।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने 18 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में श्री रवींद्र सिंह नेगी को एक गैर—कार्यकारी—अतिरिक्त गैर—स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नियुक्ति की तारीख से 08 वर्ष या सेवानिवृत्ति की तारीख से, जो भी पहले हो और जो वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस रूप में पद धारण करता है और वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (NRHR) की सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने 23 अप्रैल, 2022 को हुई बैठक में श्री नीलम दामोधरन को बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अविध पांच (5) वर्ष के लिए होगी। उक्त अविध के दौरान, श्री नीलम दामोधरन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

- Reserve Bank of India in April 2002 issued 'Report of the Consultative Group of Directors of Banks/Financial Institutions Dr. Ganguly Group' inter alia providing that 'It would be desirable to separate the office of Chairman and Managing Director in respect of large sized banks. Keeping in view the balance sheet size, sophistication of business transactions and complexity of the bank, the office of Chairman and Managing Director could be bifurcated into two: the Chairman who is the Chairman of the Board and the Managing Director who could function as the Chief Executive responsible for day-to-day management of the Bank. The Group is of the view that this functional separation will bring about more focus and vision as also the needed thrust in the functioning of the top management of the Bank.' Further, RBI vide new governance framework dated April 26, 2021 communicated that Board of Commercial Banks shall be chaired by an Independent Director.
- Consequent to the above and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on June 02, 2021 approved the name of Mr. N.K. Chari (Independent Director) for the post of Part Time/Non-Executive Chairman of the Bank, subject to approval from Reserve Bank of India. Further, as per RBI approval dated, August 23, 2021, Mr. N.K. Chari assumed the office of Part Time/Non-Executive (Independent) Chairman w.e.f. August 23, 2021 for a period of 3 years. Further, his appointment as Part Time/Non-Executive (Independent) Chairman was also approved by the shareholders in the Annual General Meeting held on September 28, 2021.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on February 18, 2022 approved the appointment of Mr. Ravindra Singh Negi as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director for a maximum period of -8- Eight Years from the date of appointment or date of superannuation in Bank of Baroda, whichever is earlier and who holds office as such upto the date of the Annual General Meeting and that he shall be liable to retire by rotation.
- 'Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on April 23, 2022 approved the appointment of Mr. Neelam Damodharan as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years. During the said period, Mr. Neelam Damodharan shall not be liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.



निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड

एक निदेशक की स्वतंत्रता का मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद की पहली बैठक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो घोषणा करें कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह कहते हुए अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने इसकी सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि की है और रिकॉर्ड में लिया है। बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक उक्त मानदंडों के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन

बैंक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तैयार किया है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मानदंड जिसके तहत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी:

गंभीर मुद्दों को बैंक के समक्ष उठाना. गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रितपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; बैंक की ब्रांड छिव को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना ।

एमडी और सीईओ के कार्यनिष्पादन के लिए मापदंड निम्नानुसार है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी; गंभीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना; गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना;

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria prescribed for independence under the provisions of Section 149 (6) of the Companies Act, 2013 which were placed before the Board. The Board has confirmed and taken on record the declaration of Independence provided by the Independent Directors, after undertaking due assessment of the veracity of the same. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the conditions specific under the said norms and are independent of the Management.

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairman, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings:

Raising of concerns to the Board. Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of MD & C.E.O. is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for



बोर्ड और सिमित की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; वित्तीय विवरणों की सिमक्षा; व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान; बैंक की ब्रांड छिव को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की सिमक्षा; बैंक में मानव संसाधन पहल; बैंक की नीतियों का अनुपालन; नैतिकता, आचार संहिता आदि; धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि की रिपोर्टिंग; बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन की सिमक्षा; बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की सिमक्षा करना।

समितियों के कार्य निष्पादन के लिए मानदंड निम्नानुसार

बैठकों की संख्या, बैठकों की कार्यसूचियों का समुचित मूल्यांकन तथा विचार—विमर्श, समिति की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं जो खुले विचारों को प्रोत्साहित करे, भागीदारी को सार्थक करें और मुद्दों का समय पर समाधान हो सके, बैठक के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट प्रस्तुत करे।

मानदंड जिसके तहत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावी है; निदेशक मंडल एक कॉर्पीरेट प्रशासन संरचना विकसित करने में प्रभावी है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमित देता है और प्रोत्साहित करता है; भौतिक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों और कानून के सामग्री उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है; बोर्ड नियमित आधार पर बताए गए मिशन को पूरा करने में संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को आवश्यक सलाह और सुझाव प्रदान करने में प्रभावी है, क्या बोर्ड पूरी तरह से नियामक वातावरण और बाजार में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित है? निदेशकों को बोर्ड की बैठकों से पहले प्रदान की गई जानकारी रुपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है; बोर्ड की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार, सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान को प्रोत्साहित करती हैं; बोर्ड के अध्यक्ष प्रभावी ढंग से और उचित रूप से बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की नीति और शासन कार्यों का नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं; बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं और सुधार की दिशा में कदमों पर उचित रूप से विचार करता है; बोर्ड चयन से समाप्ति तक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की भूमिका की देखरेख करता है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया है; बोर्ड स्वतंत्र लेखापरीक्षा योजना पर विचार करता है और सिफारिशें प्रदान करता है।

the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank.

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market? The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policyandgovernanceworkoftheBoard;TheBoardappropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.



पूंजी संरचना

शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, नई पूंजी का प्रवाह नहीं हुआ और इसलिए, बैंक की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही। 31 मार्च, 2022 को बैंक का श्रेणीवार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था—

संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100%	150.00 करोड़
निर्गमित पूंजी	50%	77.50 करोड़
प्रदत्त पूंजी	50%	77.50 करोड़
2. शेयरहोलिंडग	% शेयरों की	शेयरों
I) भारत सरकार	0.00%	0.00
॥) बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)	98.57%	76392430
III) बीमा कं.	0.00%	0.00
IV)(म्युचुअल फंड) एमएफ / युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
 V) गैर निवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी) / गैर निवासी भारतीय (एनआरआई) / जीडीआर) 	0.00%	0.00
VI) निजी कॉर्पोरेट	0.05%	36256
VII) अन्य / रिटेल वैयक्तिक	1.37%	1060881
VIII) आईईपीएफ	0.01%	10433
कुल	100%	77500000

लाभांश

लाभांश के रूप में लाभ के वितरण के लिए बैंक आरबीआई के परिपन्न का पालन करता है। लाभांश वितरण संरचना में भविष्य में बैंक के विकास में सहयोग के लिए आवश्यक पूंजी को बनाए रखते हुए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को प्रतिफल देना शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 5% का लाभांश अनुंशंसित किया है।

जमा

एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पिटत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) (v) और (vi) के तहत आवश्यक जमाओं से संबंधित प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों, आरबीआई द्वारा जारी दिशा— निर्देशों के सन्दर्भ में और बैंक के

Capital Structure

Share Capital

During the year, there was no infusion of fresh capital and hence, the capital structure of the Bank remained unchanged. The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31 March, 2022, was as under -

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100%	150.00 Cr
Issued Capital	50%	77.50 Cr
Paid-up-Capital	50%	77.50 Cr
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0.00
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.57%	76392430
III) Insurance Co	0.00%	0.00
IV) (Mutual Funds) MFs/United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institu- tional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non- resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.05%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.37%	1060881
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	100%	77500000

Dividend

The Bank adheres to RBI's Circular for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding Shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth. The Bank has recommended declared dividend of 5% for FY 2021-22.

Deposits

Being a Banking Company, the disclosures relating to deposits as required under Rule 8(5) (v) & (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Bank.

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of गैर—कार्यकारी अध्यक्ष और गैर—कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या निदेशकों / प्रबंधन के रिश्तेदारों के साथ इस के व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में किये गए लेन देन के अलावा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेन—देन नहीं किया है, जिससे बैंक और इन पार्टियों के बीच संभावित हितों का टकराव हो सकता है। बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन—देन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था। संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन—देन वर्ज नहीं किया गया था, जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं थे, न ही संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई लेन—देन थे, जो बैंक के व्यवसाय के सामन्य प्रक्रिया के तहत नहीं थे। वितीय वर्ष की शुरुआत में उनकी समीक्षा के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण देने वाला एक विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार प्रदान की गई सर्वव्यापक मंजूरी के अनुसार दर्ज किया गया है।

ऋण गारटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(11), उप—धारा (1) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान अपने व्यवसाय को सामान्य प्रक्रिया में बैंकिंग कंपनी द्वारा दिए गए ऋण,गारंटी या सुरक्षा पर लागु नहीं होते हैं।

बैंक द्वारा किए गए निवेश का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सूचना

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business. Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

Particulars of Loans, Guarantees and Investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Information under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

समितियों की संरचना (रिपोर्टिंग की तिथि पर) Composition of Committees(On the date of reporting)

अनुलग्नक-क / Annexure-A

नाम	एसीबी	आरएमसीबी	एनआरएचआर	एमसीबी	सीएसआर	आईटीडी	डब्ल्यूडी	एनसीबी	सीएसआर	आरसी	एलवीएफ
/ NAME	/ ACB	/RMCB	/NRHR	/ MCB	/CSR	/ITD	/WD	⁄ NCB	/CSR	/RC	/LVF
श्री एन के चारी, (गैर–कार्यकारी अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक Mr. N K Chari, (Non-Executive chairman) Independent Director	х			x	x		x	x	x		-



नाम /NAME	एसीबी / ACB	आरएमसीबी /RMCB	एनआरएचआर /NRHR	एमसीबी / MCB	सीएसआर /CSR	आईटीडी /ITD	डब्ल्यूडी /WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर /CSR	आरसी /RC	एलवीएफ /LVF
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	х	х	х	Chairman/ अध्यक्ष	x		Chairman/ अध्यक्ष	Chairman/ अध्यक्ष	x	х	
श्रीमती बिनीता शाह स्वतंत्र निदेशक Mrs. Binita Shah Independent Director		х	Chairperson/ अध्यक्ष	х	Chairperson /अध्यक्ष	х	х		Chairperson /अध्यक्ष	х	х
श्री संजय मुदलियार— गैर स्वतंत्र निदेशक Mr. Sanjay Mudaliar Non-Independent Director	х	х	x			Chairman/ अध्यक्ष	х	x		х	х
श्री मनोज शर्मा स्वतंत्र निदेशक Mr. Manoj Sharma Independent Director		Chairman/ अध्यक्ष		х		х	х	х	х		Chairman/ अध्यक्ष
श्री यू सी नाहटा स्वतंत्र निदेशक Mr. U C Nahta Independent Director	Chairman/ अध्यक्ष	х	х	х		х				х	х
श्री रवींद्र सिंह नेगी गैर स्वतंत्र निदेशक Mr. Ravindra Singh Negi Non-Independent Director			х	х	х	х		x	x	х	
श्री नीलम दामोदरन स्वतंत्र निदेशक Mr. Neelam Damodharan Independent Director	х	х	х		х				х	Chairman/ अध्यक्ष	

वित्तीय वर्ष 2021—22 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2021-22

क्र.सं.	बीएम	एसीबी	एमसीबी	आरएमसी	आईटीडी	एसआर	एनआरएचआर	सीएस	डब्ल्यूडी	सीएसआर	एलवीएफ	एनसीबी	आरसी
/SN.	/ BM	/ ACB	/ MCB	/RMC	/ITD	/SR	/ NRHR	/cs	/WD	/ CSR	/ LVF	/ NCB	/RC
1.	09.04.21	09.04.21	-	-	-	-	09.04.21	-	-	-	-	-	-
2.	06.05.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	25.05.21	25.05.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	02.06.21	-	-	-	-	-	02.06.21	-	-	-	-	-	-
5.	-	22.06.21	22.06.21	22.06.21	22.06.21	-	22.06.21	22.06.21	-	-	-	22.06.21	22.06.21
6.	23.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	28.07.21	28.07.21	-	28.07.21	-	-	28.07.21	-	-	-	-	-	-
8.	14.08.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	01.09.21	01.09.21	-	-	-	-	01.09.21	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	13.09.21	-	-	-	-	-	-	-	-	13.09.21
11.	-	16.09.21	-	-	16.09.21	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	26.10.21	-	-	-	-	26.10.21	-	-	-	26.10.21	-	-
13.	27.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	06.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	27.01.22	-	-	-	-	-	-	27.01.22
16.	-	28.01.22	-	28.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	29.01.22	-	29.01.22	-	-	-	29.01.22	-	-
18.	31.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	05.02.22	-	-	-	-	-	05.02.22	-	-	05.02.22	-	-	-
20.	18.02.22	-	-	-	-	-	18.02.22	-	-	-	-	-	-
21.	-	08.03.22	-	08.03.22	-	-	-	-	-	-	-	-	08.03.22
22.	09.03.22	-	-	-	09.03.22	-	09.03.22	-	-	-	-	09.03.22	-
कु. ∕ Т	14	9	1	5	4	1	10	1	-	1	2	2	4

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22





- 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- 3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- 4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
- 5. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
- 6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
- 7. ग्राहक सेवा समिति (सीएस)
- विलफुल डिफॉल्टबर समिति (डब्ल्युडीसी)
- 9. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
- 10. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
- 11. गैर-सहयोगी ऋणी (एनसीबी)
- 12. वसूली समिति (आरसी)

टिप्पणी — 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति को 01 सितंबर, 2021 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और मामलों को पीएसएस/अनुमोदन के लिए बोर्ड को रखा जा रहा था।

2. नए फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक ने ग्राहक सेवा समिति को हितधारकों की संबंध समिति में सितंबर 01,2021 से समामेलित कर दिया है। इसलिए समिति की साल में दो बार बैठक हो चुकी है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री निखल मोहन (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी), श्री महेश गोयल (मुख्य वितीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं । श्री दिनेश पंत वित्त वर्ष 2021–22 में एमडी और सीईओ थे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत हरित पहल

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कागज रहित अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में "हरित पहल" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के शीघ्र संचार की सुविधा और डाक पारगमन में वैधानिक दस्तावेजों के नुकसान से बचने के लिए है। इस संबंध में, हमने उन शेयरधारकों को ई—मेल भेजने की पहल की है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत किए हैं और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है जैसे कि वार्षिक सूचना आम बैठक, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, तािक बैंक के शेयरधारकों के लिए वैधानिक दस्तावेजों तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर, 2018 की अधिसूचना

- 1. Audit Committee of Board (ACB)
- 2. Management Committee of Board (MCB)
- 3. Risk Management Committee (RMC)
- 4. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
- 5. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
- **6.** Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)
- 7. Customer Service Committee (CS)
- 8. Wilful Defaulter Committee (WD)
- 9. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
- 10. Large Value Fraud's Committee (LVF)
- 11. Non-Co-Operative Borrower (NCB)
- 12. Recovery Committee (RC)

Note - 1. Management Committee of Board was temporarily suspended on September 01, 2021 and the matters were being placed to the Board for PSS /approvals.

2. As per new framework Bank has amalgamated Customer Service Committee into Stakeholders' Relationship Committee w.e.f. September 01,2021. Therefore, the Committee has met two times in a year.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, as on the date Mr. Nikhil Mohan (Managing Director and Chief Executive Officer), Mr. Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are/were the Key Managerial Personnel's of the Bank. Mr. Dinesh Pant was MD & CEO for the F.Y. 2021-22.

GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

DEMATERIALIZATION OF SHARES

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated



के तहत केवल गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना अनिवार्य कर दिया है और 02 अक्टूबर, 2018 से असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आगामी शेयरों का निर्गम एवं समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त रूप में ही होगा। अधिसूचना का सार निम्नलिखित है:

- गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक,
 जो 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद ऐसी प्रतिभूतियों को स्थानांतिरत करने का इरादा रखता है, हस्तांतरण से पहले ऐसी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत करवाएगा.
- एक असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक,
 जो 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद किसी गैर—सूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनी (चाहे निजी प्लेसमेंट या बोनस शेयरों या अधिकारों की पेशकश के माध्यम से) की किसी भी प्रतिभूति की सदस्यता लेता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी मौजूदा प्रतिभूतियां हैं ऐसी सदस्यता से पहले अभौतिक रूप में धारित है.
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनी एक डिपॉजिटरी को आवश्यक आवेदन करके अपनी सभी मौजूदा प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगी और प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या (आईएसआईएन) सुरक्षित करेगी और अपने सभी मौजूदा सुरक्षा धारकों को ऐसी सुविधा के बारे में सूचित करेगी.

उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने मेसर्स के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को बैंक के शेयरों के डीमैटिरयलाइजेशन के लिए 'रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट' के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया गया था कि हमारी ओर से सुचारु और निर्बाध सेवाओं के लिए अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़ किया जाए।

निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम), समय—समय पर संशोधित, कंपनी के शेयर (बैंक) जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी शेयर जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वे डीमैट रूप में या भौतिक रूप में हों, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में स्थानांतरित किए जाने हैं।

कॉरपोरेट गवर्नैंस

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को पहचानता है। बैंक इस संबंध में न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है बिल्क शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सिहत अपने सभी हितधारकों को सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेस पर बैंक का दर्शन September 10, 2018 has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s K Fintech Private Limited as 'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialized form or physical form, to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, सरकार और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण, जैसा कि प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक है, शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना है । बैंक ने बोर्ड में अपने निदेशकों और इसके वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें कर्मियों की कोर प्रबंधन टीम और बैंक के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बोर्ड के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी रखी जाती है।

वार्षिकी विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ पठित धारा 134(3)(ए) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एमजीटी—7,बैंक की वार्षिक विवरणी बैंक की वेबसाइट https://www.nainitalbank.co.in/ english/About_Us-aspx पर उपलब्ध कराई जा रही है।

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच यानि 31 मार्च, 2022 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख यानि 31 अगस्त, 2022 के बीच हुई हैं, सिवाय इसके जिसको इस वार्षिक रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ किया गया है।

निदेशकों द्वारा घोषणा

बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार निम्नलिखित कथनों की घोषणा और पुष्टि करता है —

- ए) कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलन की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।
- बी) कि ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2022 को बैंक की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- सी) बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।

Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

ANNUAL RETURN

In terms of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014; the Annual Return of the Bank in the prescribed Form MGT-7, is being made available on the website of the Bank at https://www.nainitalbank.co.in/english/About Us.aspx.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank that have occurred between the end of the Financial Year of the Bank i.e. March 31, 2022 and the date of the Directors' Report i.e. August 31, 2022, except as disclosed in this Annual Report.

DECLARATION BY DIRECTORS

The Board of Directors of the Bank hereby declares and confirms the following statements, in terms of Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 -

- a) That in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2022, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- b) That such accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates have been made that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022 and of the profit of the Bank for the year ended on that date.
- That proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.



- डी) यह कि वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- ई) बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वे पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- एफ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली मौजूद थी और वह पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलामों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित किया है, तािक बैंक द्वारा कित्पत जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके। गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दाियत्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गिठत की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है।

बैंक की एक विशद आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे पिलर 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:—

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

पूंजी पर्याप्तता

बेसल—III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 13.67% थी, इस वर्ष 14.05% रही। 31.03.2022 को सकल पूंजी पर्याप्तता में टीयर—I पूंजी 13.13% थी और टीयर—II पूंजी 0.92% रही।

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

नकदी जोखिम उचित लागत पर प्रत्याशित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्शिवक दायित्व पूरे करने की योग्यता है। बैंक में नकदी जोखिम का मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसल ॥। ढ़ाचे पर नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर), नकदी जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन

- That the annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- e) That internal financial controls to be followed by the Bank, were in place and that the same were adequate and were operating effectively.
- f) That proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws was in place and the same were adequate and operating effectively.

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Reputational Risk, Pension Obligation Risk, Business and Strategic Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.05% as against 13.67% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 13.13% and Tier – II capital was 0.92% as on 31.03.2022.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR),

किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार-रहित उच्चगुणवत्ता पूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर-दिनों की समय-सीमा की नकदी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है।

आरबीआई ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) भी पेश किया है जो लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर म्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलनपत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100: के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (IRRBB) दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की माप और निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की संशोधित अविध का उपयोग करता है। शुद्ध ब्याज आय [NII] पर ब्याज दर के उतार—चढ़ाव के अल्पकालिक प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है। ब्याज दर के उतार—चढ़ाव के दीर्घकालिक प्रभाव को इक्विटी के बाजार मूल्य (MVI) में बदलाव के माध्यम से मापा और मॉनिटर किया जाता है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (ALCO) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम वहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला दबाव परीक्षण कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफाल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रुप में परिभाषित किया गया है। ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जोकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR.

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy and LCR & NSFR Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, our Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default of reduction in portfolio value. Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.



बाजार जोखिम

बाजार जोखिम पोर्टफोलियों के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार—उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार—दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता है। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया—कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ है। बैंक अपनी ट्रेडिंग—बुक में बाजार—दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित अविध दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि—रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। अपने दबाव परीक्षण ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियों का व्यापक दबाव परीक्षण करता है।

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड.ऑफिसए दैनिक आधार पर परिभाषित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार पोर्टफोलियों के अनुसार निवेश सीमा को मापता है और उसकी निगरानी करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें बैंक ने बेसल ॥। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जेखिम के लिए जोखिम वेटेड आस्ति की गणना हेतु बेसिक सूचक दृष्टिकोण को परिभाषित किया है. बैंक ने बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख जोखिम सूचक भी परिभाषित किया है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जटिल परिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाररिहत उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल—॥ फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, निगरानी टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। कोविड—19 महामारी के कारण बैंक के कैश फ्लो के भार से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.04.2020 के अपने परिपत्र में बैंक के एलसीआर को निम्नानुसार रखने के लिए अनुमित दी है:

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors investment cap limits portfolio wise as per the defined prudential limits on a daily basis. The market risk capital charge for the Bank is computed as per the Standardized Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy where Bank has defined the Basic Indicator Approach for calculating the Risk weighted assets for Operational Risk as per BASEL III guidelines. Bank has also defined the Key Risk indicators for analyzing the Operational Risk at Bank level.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio was at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. In order to accommodate the burden on banks' cash flows on account of the Covid19 pandemic, RBI in its circular dated 17.04.2020 permitted to Banks' to maintain LCR as under:



परिपत्र की तारीख से सितंबर 30, 2020 तक —	80 प्रतिशत
1 अक्टूबर 2020 जव 31 मार्च 2021 तक —	90 प्रतिशत
1 अप्रैल 2021 और इसके बाद —	100 प्रतिशत

बेसल-॥। कार्यान्वयन

बेसल—III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल—III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल—III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल—III के अन्तर्गत जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

आरबीआई ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) भी पेश किया है जो लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलनपत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एनएसएफआर अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए।

नैनी रिपो लिंक्ड रेट दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई / 2019—20/53 डीबीआर. डीआईआर.बीसी.एनओ.14/13.03.00/ 2019—20, दिनांक 04.09.2019 में दिनांक 01.10.2019 से बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर को बैंक द्वारा प्रदत्तर सभी नए वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की फ्लोटिंग दर के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त परिपत्र के मद्देनजर, एएलसीओ (ALCO) ने अपनी दिनांक 26.09.2019 की मीटिंग में को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर उधार दर की गणना करने का निर्णय लिया अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 1.10.2019 से मासिक आधार पर रेपो दर बैंक द्वारा प्रदत्त सभी नए फ्लोटिंग वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण अथवा रिटेल ऋण (आवास, ऑटो आदि) और लघु एवं सुक्ष्मि उद्यम पर लागू होंगी।

इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26.02.2020 के अपने परिपत्र में बैंकों के लिए मध्यम उद्योगों को दिए गए ऋणों हेतु 01.04.2020 से सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है. इस संबंध में ALCO ने अपनी दिनांक 23.03.2020 की मीटिंग में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर को अनुमोदित कर दिया है अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्योगों को सभी नए फ्लोटिंग रेट

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results, have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The NSFR ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

NAINI REPO LINKED LENDING RATE

RBI in its circular RBI/2019-20/53 DBR.DIR.BC. No.14/13.03.00/2019-20 dated 04.09.2019 made External benchmark based Interest Rate mandatory for all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks with effect from 01.10.2019.

In view of the above mentioned Circular, ALCO in its meeting dated 26.09.2019 decided to compute lending rate based on external benchmark i.e. Repo Rate on monthly basis w.e.f. 01.10.2019, which will be link to all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks from 01.10.2019 as per RBI directives.

Further RBI in its circular dated 26.02.2020, made mandatory for the Banks to link all new floating rate loans to medium enterprises with external benchmark based lending rate with effect from 01.04.2020. In view of this, ALCO in its meeting dated 23.03.2020 approved the external benchmark based lending rate i.e. Naini Repo Linked Lending Rate NRLLR to all



ऋण नैनी रेपो आधारित ऋण दर NRLLR हैं. नैनी रेपो आधारित ऋण दर मासिक अंतराल पर अर्थात प्रत्येक माह की 10 तारीख को पुनर्निधारित की जाएगी।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण की समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दृष्टिकोण अपनाया है। आरबीएस फ्रेमवर्क को ''जोखिम एवं पूंजीगत निर्धारण का पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी)" का नाम दिया गया है और इस प्रक्रिया में लागू एक महत्वपूर्ण घटक / उपकरण ''समेकित जोखिम और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' है। आरबीएस और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' मॉडल है। आरबीएस ऑफ साइट और साथ ही ऑफ साइट पर्यवेक्षण द्व ारा संचालित है जिसमें बैंक को आंकडा संग्रहण और समेकन की प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग की प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आरबीएस 2015–16 पर्यवेक्षी चक्र में बैंक में आरंभ किया गया था। एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है और इसका लक्ष्य पर्यवेक्षी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना है। एसपीएआरसी के तहत मूल्यांकन के दो प्रमुख क्षेत्र जोखिम और पूंजीगत मूल्यांकन है। किसी बैंक के लिए जोखिम मूल्यांकन में अंतर्निहित जोखिम, अंतर्निहित जोखिम के लिए नियंत्रण में अंतर के कारण जोखिम, अभिशासन और ओवरसाइट में अंतर के कारण जोखिम तथा साथ ही विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का स्तर और संस्कृति शामिल होती है। ये मूल्यांकन बैंक के लिए जोखिम को समेकित करते हैं। समेकित रूप से उपलब्ध समेकित जोखिम और पूंजी बैंक के लिए विफलता अंकन का जोखिम (आरओएफएस) निर्धारित करता है। बैंक ने एसपीएआरसी के तहत छठा चक्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं और अब यह 2020-21 का छठा पर्यवेक्षी चक्र आरंभ करने की स्थिति में है।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी उधार देने संबंधी गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है और क्रेडिट पोर्टफोलियों की निगरानी आज के दौर में बैंकों के लिए गुणवत्ता आस्तियों को सुनिश्चित करने और अग्रिम खातों में स्लीपेज की रोकथाम और बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में एक अहम पहलू है। क्रेडिट पोर्टफोलियों की निगरानी के लिए एक अनुशासित प्रयास के लिए बैंक में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष उधिकारियों के साथ—साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर एसोसियेट वाइस प्रेसिडेंट की अगुवाई में एक पूरी तरह से समर्पित विभाग कार्यरत है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियों की प्रभावी निगरानी की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खाता विशिष्ट निगरानी, स्टॉक ऑडिट और क्रेडिट ऑडिट शामिल हैं तािक उधारी खातों की लगातार निगरानी की जा सके और ऋण आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

विपणन

बैंक का विपणन विभाग ग्राहक अधिग्रहण के माध्यम से बैंक के लिए नये व्यवसाय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक, अपने उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा कर और ग्राहक केंद्रित अभियान संचालित कर उत्पाद new floating rate loans to medium enterprises also with effect from 01.04.2020. Naini Repo linked lending rate will be reset on monthly intervals i.e.10th of every month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a Bank to put in place robust systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in your Bank in 2015-16 supervisory cycles. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a Bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a Bank. The Aggregate Risk and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a Bank. Bank has successfully completed the sixth cycle under SPARC and is now well positioned to embark on the sixth supervisory cycle of 2021-22.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity and monitoring of credit portfolio is an important aspect in the banks in today's scenario for ensuring quality of advance assets of the bank to prevent the slippages of advance accounts and enable the bank to take timely corrective actions to improve the quality of its credit portfolio. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full-fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level along with senior officials at Regional Offices specifically designated for the recovery and credit monitoring is functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts and taking remedial steps at appropriate time to arrest deterioration in the quality of loan asset.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank plays a critical role in generating new business for the Bank through customer acquisition. The Bank also takes initiatives in product

विकास और प्रचार प्रसार में भी पहल करता है। विपणन विभाग के डोमेन के तहत उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से धनप्रबंधन सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ

एक विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने बीमा (जीवन बीमा / सामान्य बीमा) उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कंपनियों के साथ प्रबंध व्यवस्था की है। बैंक जीवन बीमा और सामान्य बीमा के लिए बीमा उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। IRDA (जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है) के नए विनियमन के अनुसार, बैंक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के तहत 1 से अधिक बीमा प्रदाता, लेकिन अधिकतम 3 बीमा प्रदाताओं के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। आईआरडीए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2016 से "अनेक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल' का चयन किया है।

बैंक ने सामान्य बीमा के लिये अपने मौजूदा साझेदार नेशनल इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के अलावा पयूचर जनराली इंडिया इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के साथ तथा जीवन बीमा उत्पादों के लिये अपने मौजूदा साझेदार एक्साइड लाइफ इनश्योरेंस के अलावा इंडिया फर्स्ट, इनश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ करार किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने फरवरी 2022 में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ गठजोड़ करके नई साझेदारी भी की है।

अनुपालन विभाग

बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है। बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में नियामक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है।

इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों (वर्टिकलों) को प्रभावित करने वाले प्रमुख विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं की समीक्षा, अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, और अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और बैंक में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना शामिल है।

इस विभाग के प्रमुख कार्यों में नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का प्रसार, संबंधित कॉर्पोरेट कार्यों के लिए नए और संशोधित, सभी शाखाओं और कार्यक्षेत्रों की ऑन—साइट और ऑफ—साइट अनुपालन परीक्षण जांच, development and promotion by creating awareness on products and by driving customer-centric campaigns. The products and services under the domain of Marketing Department can be broadly classified as Wealth Management Services.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

To cater to the needs of a diverse customer base, the Bank has made arrangements with several companies to sale Insurance (Life/General) products. The Bank acts as a corporate agent for the sale of insurance products of both M/s Exide Life Insurance Company Limited and M/s Future Generali India Insurance Company Ltd for life insurance and general insurance respectively. As per the new regulation by IRDA (which is effective from 1st April, 2016), banks can act as Corporate Agent for more than 1 Insurance provider subject to a maximum of 3 insurance providers - under Life, General and Health each. As per the approvals received from IRDA, we have opted for Multiple Corporate Agency Model with effect from 1st April, 2016.

The Bank has tied up with Future Generali India Insurance Company Ltd. in addition to our existing partner National Insurance Company Limited for general Insurance and Exide Life Insurance in addition to our existing partner India First Insurance for Life Insurance Products. The Future Generali India Insurance Company Ltd. has been added as the new partner for General Insurance. Additionally, Bank has also entered into new partnership by entering into the tie up with Care Health Insurance Company for health insurance products in Feb.' 2022.

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, pursuant to its strategic goals to enhance the Bank's reputation in the eyes of all the stakeholders such as Regulators, Customers, Investors, Government, Employees and Public at large by achieving efficiency and effectiveness in matters of Compliance.

The Bank has a dedicated and independent Compliance Department at Bank's Head Office headed by Chief Compliance Officer Besides Regional Compliance Officers in all the three regions, committed to adopting and implementing the best practices and standards in the areas of accountability, transparency and business ethics to promote sustainability and for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations.

The key functions of this Department include, dissemination of regulatory & statutory guidelines, new and revised, to the respective Corporate functions, carry out on-site & off-site compliance test checks of all branches & verticals, review of



नियामक अनुपालन से प्रक्रियाओं की समीक्षा अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और बैंक में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना शामिल है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2022 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं। इसके अलावा, बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने वर्ष के दौरान मेसर्स धर्म राज एंड कंपनी सनदी लेखाकार को केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है।

शाखा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में, 30—लेखा परीक्षा फर्मों को 98 शाखाओं का लेखा परीक्षा कार्य (केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) सौंपा गया था, जिसमें समग्र रूप से बैंक का कुल 90% क्रेडिट पोर्टफोलियो शामिल है।

processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, impart training to employees on compliance aspects and strengthen compliance culture in the Bank.


STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains opinion of auditor and confirms that the financial statements contain all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022 and of the Profit/loss for the year ended 31st March 2022. Further There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.


It is submitted that no changes were made in respect of Central Statutory Auditors M/S Dharam Raj & Co. Chartered Accountants during the year, as they were eligible for reappointment, the re-appointment were duly authorized by members in the Annual General Meeting and Reserve Bank of India has provided the necessary approval for the same.

As regards, Branch Statutory Audit, -30- audit firms were assigned the audit job (including Central Statutory Auditor) of 98 branches, covering a total of 90% credit portfolio of the bank as a whole.

देश की आर्थिक प्रगति में सहयोगी











स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमनें नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे "बैंक" लिखा गया है) की, संलग्न एकल विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र, लाम—हांनि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलत हैं जिसमें दिल्ली, हिरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड में स्थित हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 26 शाखाओं, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 72 शाखाओं और 66 गैर लेखा परिक्षित शाखाओं की विवरणियां सम्मिलत हैं,, की लेखा परीक्षा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित शाखाएं हमारे द्वारा एवं अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई।

हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा माँगी गई अपेक्षित जानकारी विधि से देती हैं और 31 मार्च 2022 को बैंक के कामकाज और उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए हानि और नकदी—प्रवाह की उन लेखा—सिद्धांतों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं, तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय—समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की। उन मानदंडों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में भी वर्णित की गई है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति—संहिता के साथ—साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नीति—संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा—साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ("the Bank"), which comprise the balance sheet as at 31st March, 2022, and the statement of profit and loss and the statement of cash flows for the year ended and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns of 26 branches audited by us, 72 branches audited by Statutory Branch Auditors and 66 unaudited branches of bank at Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. The branches audited by us and those audited by other Statutory Branch Auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, ("the Act")in the manner so required and give a true & fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time, of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2022, and loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अविध के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

रिपोर्टिंग के लिए कोई प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले नहीं हैं।

विषय वस्तु का प्रभाव

- हम बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय विवरणों में संशोधन के संबंध में अनुसूची 18 के नोट संख्या (टी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमने वित्तीय विवरणों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट 12 मई, 2022 को जारी की थी जिसमें 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं। एवं जो बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा 12 मई 2022 को हुई मीटिंग में अनुमोदित की गई थी। निदेशक मंडल ने अब अतिरिक्त प्रकटीकरण और निवेश में उतार-चढाव रिजर्व में वृद्धि के संबंध में वित्तीय विवरणों में संशोधन करने की सिफारिश की है। ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के 30 अगस्त, 2021 के वित्तीय विवरण प्रस्तृति और प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश एवं मास्टर निर्देश वित्तीय विवरण-प्रस्तृति और प्रकटीकरण पर आरबीआई केए बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मान. दंडों पर आरबीआई मास्टर परिपत्र का पालन किया जा सके और आरबीआई द्वारा उठाए गई टिप्पणियों का पालन किया जा सके और तदनुसार वित्तीय विवरणों को उस सीमा तक संशोधित किया गया है और बैंक के बोर्ड द्वारा उनकी बैठक में 04 जुलाईए 2022 को अनुमोदित किया गया है बाद की घटनाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया केवल निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार वित्तीय विवरणों में संशोधन तक ही सीमित है।
- हम संलग्न विवरण की अनुसूची 18 के नोट संख्या 14 (क्यू) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो नोवेल कोरोनावायरस (कोविड –19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं का वर्णन करता है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें।
- 3. बैंक द्वारा व्यवसाय निरंतरता योजना की स्वतंत्र लेखापरीक्षा और संबंधित परीक्षा परिणाम नहीं किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीसीपी किया गया है और परिणाम एसीबी और बोर्ड के समक्ष रखा गया है।
- बैंक द्वारा संचालित किए जा रहे कई कार्यालय खातों / आंतरिक खातों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा किए जाने वाले आरबी.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

There are no Key Audit matters for reporting.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No. (t) of Schedule 18 regarding amendments in Financial Statements pursuant to the decision taken by the Board of Directors of the Bank. We had issued our audit report dated May 12, 2022 on the Financial Statements which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022, and Notes to Financial Statements including Significant Accounting Policies and the other explanatory information, approved by the Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 12, 2022. The Board of Directors have now recommended to amend the financial statements w.r.t additional disclosures and enhancement of Investment Fluctuation Reserve so as to comply the RBI Master Direction on Financial Statement-Presentation and Disclosures dated August 30, 2021, RBI Master Circular on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks and to comply with the observations raised by the RBI and accordingly the Financial Statements have been amended to that extent and approved by the Board of the bank in their meeting held on July 04, 2022. Our audit procedures in relation to the subsequent events are restricted solely to the amendments in the Financial Statements pursuant to the Decision of the Board of Directors.
- We draw attention to Note No. 14(q) of Schedule 18 of the accompanying statement which describes the uncertainties due to the outbreak of Novel Coronavirus (Covid-19). The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.
- Independent audit of the Business Continuity Plan and the corresponding test results were not undertaken by the Bank, Bank to ensure the BCP is undertaken and the outcome is placed before the ACB and the Board.
- 4. Considering a number of Office Accounts / Internal Accounts being operated by the bank, close and





आई दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे खातों की करीबी और निरंतर निगरानी और रिकॉर्ड में रखे जाने के बाद, बैंक को आंतरिक कार्यालय खातों में लेनदेन की निगरानी के लिए सिस्टम आधारित नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

- 5. वर्ष के दौरान बैंक ने क्विंक मोर्टेलिटी के 323 मामले दर्ज किए, जो कुल मिलाकर रु. 11.56 करोड़, इसकी जांच और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया बैंक द्वारा की जा रही है। बैंक को ऋण निगरानी को सुदृढ़ करना चाहिए और संवितरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई / समीक्षा करनी चाहिए।
- 6. बैंक को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए:
 - बड़े मूल्य के ऋणों की ऋण निगरानी की प्रक्रिया के मानकीकरण पर ध्यान दें।
 - अग्रिमों के मूल्यांकन, हामीदारी और मंजूरी के बाद की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है और पहचान किए गए खातों पर समय पर रिपोर्टिंग और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की पीढ़ी और रिपोर्टिंग की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बैंक 12 नवंबर 2021 के आरबीआई के परिपन्न आरबीआई /2021-2022/125 डीओआर.एसटीआर.आर ईसी. 68/21.04.048/2021-22 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें बैंकों को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्वीकृति/मूल्यांकन दस्तावेज में सटीक देय तिथियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।
- 7. पैरा नं. दिनांक 14 सितंबर, 2020 के बैंकों में आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबी. आई परिपत्र के 2.8, 2.4, 2.5, 2.6, दिन के अंत की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एनपीए पहचान, आय मान्यता डी—मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण की प्रक्रिया, लंबित है और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और बैंक द्वारा उक्त परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परिसंपत्ति वर्गीकरण और एसएमए उत्पादन बैंक द्वारा दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनपीए वर्गीकरण के लिए समान पैन/यूआईडी रखने वाले ग्राहकों की पहचान स्वचालित होनी चाहिए।
- 8. केवाईसी / एएमएल ढांचे के तहत ग्राहकों के सिस्टम—आधारित जोखिम वर्गीकरण के क्षेत्रों में चिंता बनी हुई है और विरष्ट प्रबंधन का अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण जून 2022 तक लागू किया जाएगा।
- 9. बैंक ने सभी एनपीए खातों का सितंबर 2022 तक ऑडिट करने का आश्वासन दिया है तािक गैर—वसूली ब्याज की रािश (यदि कोई हों) की पहचान की जा सके, जो P&L में वापस / गलत तरीके से दर्ज नहीं की गई है और उसे वापस दिया गया है।
 - आगे मौजूदा एनपीए खातों पर अप्राप्त ब्याज / ब्याज सस्पेंस से संबंधित ब्याज सस्पेंस ळर हेड के तहत पड़े रु.13.46 करोड़ को भी संबंधित ऋण खाते में वापस / जमा किया जाना चाहिए।

- continuous monitoring of such accounts as per RBI guidelines to be undertaken by bank and kept on record, further the Bank should strengthen the system based control mechanism for monitoring the transactions in internal office accounts.
- 5. During the year the Bank reported 323 cases of quick mortality aggregating ₹ 11.56 Crore, the investigation thereon and fixing of staff accountability is under process by the Bank. The Bank should strengthen the credit monitoring and post disbursal follow up/review.
- 6. The Bank should comply the following:
 - Focus on standardizing the process of credit monitoring of large value loans.
 - ◆ The appraisal, underwriting and post-sanction monitoring of advances, needs to be strengthened and the system of generation and reporting of Early Warning Signals (EWS) to ensure timely reporting and action on the identified accounts. Further the Bank to ensure compliance of RBI circular RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 dated November 12th 2021, requiring Banks to specify the exact due dates for repayment of a loan in the loan sanction/appraisal document.
- 7. In terms of Para no. 2.8, 2.4, 2.5, 2.6 of RBI circular on Automation of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning processes in banks dated September 14, 2020, the process of NPA identification, income recognition de-recognition and asset classification as a part of day end process, is pending and requires immediate attention and compliance of the said circular be ensured by the Bank. Further, the asset classification and SMA generation needs to be done on daily basis by the Bank. Furthermore, the identification of customers having same PAN/UID for NPA classification should be automated.
- Concerns in the areas of system-based risk categorization
 of customers under the KYC/AML framework persisted
 and required a more focused attention of the Senior
 Management. Bank has ensured that the system based
 risk categorization will be implemented by June 2022.
- The Bank has assured to conduct an audit of all the NPA accounts by September 2022 to identify the amount of un-realized interest (if any) not reversed/incorrectly accounted in the P&L and reverse the same.
 - Further ₹ 13.46 Crore lying under Interest Suspense GL head pertaining to unrealized interest/interest suspense on existing NPA accounts should also be reversed / credited to respective loan account.



- 10. बैंक ने आश्वासन दिया है कि अल्पकालिक समीक्षा सिहत खातों की समीक्षा/नवीकरण के लिए महत्वपूर्ण डेटा फ़ील्ड, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पहचान पर्याप्त रूप से कैप्चर की जाती है; योजना की सही मैपिंग, गतिविधि/उद्देश्य कोड आवश्यक सिस्टम सत्यापन के साथ सीबीएस में ठीक से कैप्चर किए जाते हैं।
- 11. बैंक में "विशेष संपत्ति वसूली शाखाएं" रखने की सिफारिश की जाती है ताकि वसूली प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।
- 12. बैंक 11 फरवरी, 2022 को फिनेकल में माइग्रेट हो गया था। ऑडिट के दौरान, हमने देखा कि ब्याज आवेदन, सुरक्षा अद्यतन, जमा के नवीनीकरण, पुनर्भुगतान अनुसूची आदि से संबंधित कुछ मुद्दे मौजूद हैं, जिन पर बैंक सुधार के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंक को फिनेकल में संचालन और प्रक्रियाओं की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है तािक आवेदन को जल्द से जल्द स्थिर किया जा सके और फिनेकल में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया जा सके।

इस विषय पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है। वित्तीय विवरणों से इतर जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यिद, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यनिष्पातदन और बैंक के वित्तीय प्रवाह के जो उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य

- 10. The bank has assured that critical data fields for review/ renewal of accounts including short term reviews, Priority Sector Lending identification are adequately captured; correct mapping of scheme, activity/purpose codes are properly captured in CBS with necessary system validations.
- 11. It is recommended to have a "Special Asset Recovery Branches" in the Bank so that the recovery process may be strengthened.
- 12. The Bank had migrated to FINACLE in February 11, 2022. During the course of audit, we observed that few issues relating to interest application, security updation, renewal of deposits, repayment schedule etc. exist, which require immediate attention of the Bank for rectification. Further, Bank needs to closely monitor operations and processes in Finacle so as to stabilize the application at the earliest and utilize the advanced features available in Finacle.

Our Opinion is not modified in respect of this matter

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in Board's Report and annexure to Board Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in

हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) के साथ तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय—समय पर जारी विभिन्न दिशा—निर्देशों व परिपत्रों का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख—रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड, को पूरा करने, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुकित के संबंध में, और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने रख—रखाव की जिम्मेदारी भी सिम्मलित है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखे से या गलती से, वास्तविक महत्त्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी वास्तविक गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखे या गलती से हो सकती हैं और तब वास्तविक समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक अंग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं;

 विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,



अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।

- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की समुचितता का आकलन करते हैं।
- इस बात पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई वास्तिवक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में सबंधित प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

मैटेरिलिटी, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना, (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण किमयां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical

उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो संबंधित सुरक्षा उपाय हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो। संबंधित सुरक्षा—उपाय भी बताते हैं।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यतिक्तयों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अविध के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंति महत्वतपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेकख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक ने लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्यों कि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य मामले

- हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 72 शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों के वित्तीय विवरणों सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 तक 3796,22,49,115.54 रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती हैं और कुल राजस्व रु. 257,48,17,409.69 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों में 31 मार्च 2022 तक 41.38% अग्रिम, 47.66% जमा और 32.68% गैर—निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 42.73% राजस्व शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण सूचना शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा—परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- वित्तीय विवरणों में संशोधन के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या (टी) के अनुसार, यह रिपोर्ट 12.05.2022 को जारी हमारी पूर्व रिपोर्ट का स्थान लेती है।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

तुलन—पत्र एवं लाभ—हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 तथा कंपनियां (लेखा मानक) संशोधन, 2016 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड (3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि: requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- We did not audit the financial statements / information of 72 branches and processing centers included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 3796,22,49,115.54/-as at 31stMarch 2022 and total revenue of ₹ 257,48,17,409.69/- for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centers cover 41.38 % of advances, 47.66 % of deposits and 32.68 % of Non-performing assets as at 31st March 2022 and 42.73 % of revenue for the year ended 31st March 2022. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- Pursuantto Note No. (t) of Schedule 18 of the accompanying financial statements, regarding amendments in financial statements, this report supersedes our earlier report issued on 12.05.2022.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:



- ए) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।
- बी) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन—देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।
- सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेत् पर्याप्त पाई गईं।
- डी) लाभ हानि खाते संबंधित समाप्तं वर्ष के लिए वास्तिविक शेष (लाभ और हानि के) दर्शाते हैं.

इसके अतिरिक्ति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सूचित करते हैं कि:—

वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं;

- ए) हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बिहयां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है,से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्राप्त कर ली गई हैं।
- बी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत बैंक के लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें विधिवत् इस रिपोर्ट में लिया गया है।
- सी) तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट संबंधित है लेखा बिहयों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।
- डी) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।
- ई) 31 मार्च, 2022 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2022 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं हैं।
- एफ) बैंक की वित्तीय रिपोंटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सन्दर्भ में एवं ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव के लिये "अनुलग्नक (क)" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

- we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
- the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit:
- d) the profit and loss account shows a true balance [of profit or loss] for the year then ended.

Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:

- a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
- b) The reports on the accounts of the branch offices of the Bank audited under Section 143(8) of the Act by statutory branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time.
- e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March 2022 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure-A";

जी) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक की धारा 197 की कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i) बैंक के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सिंहत कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हो सकता है:
- बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के
 लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतिरत करने में कोई देरी नहीं
 हई है।
- (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कोई भी धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विवेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से ("अंतिम लामार्थी") उधार या निवेश करें या अंतिम लामार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।
 - (बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सिहत, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थ. ओं में उधार या निवेश करेगा। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं; तथा
 - (सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (ए) और (बी) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, remuneration paid to the Directors are not in excess of the limit laid down in the Section 197 of the Companies Act, 2013

With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Bank does not have any long term contracts including derivative contracts for which there are any material foreseeable losses;
- ii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.
- iii. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- (c) Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate by us in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (a) and (b) contain any material misstatement.



- iv. बैंक द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।
- v. बैंक ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे पूरे साल सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रेल फीचर में है के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है— यह खंड लागू नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (लेखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 की 31.03.2022 की अधिसूचना के तहत प्रावधान में संशोधन किया है। 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन का विस्तार करता है।

कृते **धरम राज एंड कं**. सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्याः 014461एन

धरम राज

साझेदार सदस्यता संख्या 094108 यूडीआईएन संख्या 22094108AMJBFG9257

हस्ताक्षर का स्थानः गाजियाबाद रिपोर्ट की तारीख 04.07.2022

- iv. The dividend declared or paid during the year by the Bank is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.
- v. The Bank has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention- This clause is not applicable as Ministry of Corporate Affairs has amended the proviso vide Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2022 vide notification dated 31.03.2022 extends implementation of Audit Trail software to financial year commencing on or after the April 1, 2023.

For DHARAM RAJ & CO.

Chartered Accountants Firm's Registration No. 014461N

Dharam Raj

Partner Membership No. 094108 UDIN: 22094108AMJBFG9257

Place of Signature: Ghaziabad Date of Report 04.07.2022





दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की एकल वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट का संलग्नक (क)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप—धारा 3 के खंड (प) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

 हमने 31 मार्च 2022 को नैनीताल बैंक लिमिटेड ('द बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा—जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय 2. नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंत. रिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्व ारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ('दि गाइडेंस नोट') इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी की गयी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- 3. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपीटिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के भाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिपीटिंग पर आन्तरिक वित्तीरय नियंत्रण पर गाईडेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियन्त्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाईडेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपीटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से सभी तात्विक संदर्भों में संचालित हो रहे हैं।
- हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिपीटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

 We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

- 3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the Standards"), asspecified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.
- Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial



सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीनय रिपोंटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोंटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीशय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने कि यदि तात्विक कमजोरी मौजूद है और आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं । चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीमय विवरण में तात्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिपोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक 6. प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिपीटिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तृति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेत् तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से संबद्ध है जो सही, स्पष्ट रुप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन-देन एवं शाखा की संपत्तियों के निपटान को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन-देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेत् अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिपॉटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

7. आन्तरिक वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धन का अत्यधिक दबाव तात्विक मिथ्या कथन जोिक त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलन का कोई अनुमान यह जोिखम रखता है कि वित्तींय रिर्पोटिंग पर वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीितयों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का स्तर घट सकता है।

controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.





मामले पर अवधारणा

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2022 तक निम्नलिखित कमियाँ चिह्नित की गई हैं:

- ए) बैंक स्वचालित पिरसंपत्ति वर्गीकरण (एनपीए / एनपीआई के रूप में अग्रिम / निवेश का वर्गीकरण और उनके उन्नयन), प्रावधानीकरण की गणना और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता स्निश्चित करे।
- बी) केन्द्रीय लेखापरीक्षा निरीक्षण विभाग (सीआईएडी) में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर ध्यान देने का अभाव था। इसके अलावा बैंक, बैंक में अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करे।
- सी) बैंक को फिनेकल में संचालन और प्रक्रियाओं की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है ताकि ऍप्लिकेशन्स को जल्द से जल्द स्थिर किया जा सके और फिनेकल में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया जा सके।
- डी) खातों की स्वीकृति के बाद की समीक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न किमयां देखी गई जैसे स्टॉक स्टेटमेंट का सत्यापन न होना, स्टॉक स्टेटमेंट बैंक प्रारूप के अनुसार नहीं होना, साविध ऋण खातों में आहरण शक्ति दर्ज किया जाना और ऋण खातों में क्रेडिट और डेबिट योग की समीक्षा।
- ई) बैंक द्वारा संचालित किए जा रहे कई कार्यालय खातों / आंतरिक खातों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा किए जाने वाले आरबी. आई दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे खातों की करीबी और निरंतर निगरानी और रिकॉर्ड में रखे जाने के बाद, बैंक को आंतरिक कार्यालय खातों में लेनदेन की निगरानी के लिए सिस्टम आधारित नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

वर्ष के दौरान बैंक ने क्विक मोर्टेलिटी के 323 मामले दर्ज किए। बैंक को ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व-स्वीकृति तंत्र, ऋण निगरानी और वितरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई/समीक्षा को मजबूत करना चाहिए।

- 9. बैंक को निम्नलिखित नियंत्रणों को सुदृढ करना चाहिए:
 - बड़े मूल्य के ऋणों की ऋण निगरानी की प्रक्रिया का मानकीकरण करना।
 - अग्रिमों के मूल्यांकन, जोखिम अंकन और मंजूरी के बाद की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है और पहचान किए गए खातों पर समय पर रिपोर्टिंग और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की पीढ़ी और रिपोर्टिंग की प्रणाली को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।
- 10. बैंक में "विशेष संपत्ति वसूली शाखाएं" रखने की संस्तुति की जाती है ताकि वसूली प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

Emphasis of Matter

According to the information and the explanations given to us and based on our audit, the following weaknesses have been identified as at March 31, 2022:

- a) Bank to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes.
- Central Audit Inspection Department (CIAD) lacked focus on providing independent assurance and needs strengthening. Further Bank to ensure compliance culture in the Bank.
- c) Bank needs to closely monitor operations and processes in Finacle so as to stabilize the application at the earliest and utilize the advanced features available in Finacle.
- d) Post sanction review of accounts needs to be strengthened whereby various deficiencies were observed such as non-verification of stock statements, stock statement not as per bank format, drawing power being entered into Term loan accounts and review of credit and debit summations in loan accounts.
- e) Considering a number of Office Accounts / Internal Accounts being operated by the bank, close and continuous monitoring of such accounts as per RBI guidelines to be undertaken by bank and kept on record, further the Bank should strengthen the system based control mechanism for monitoring the transactions in internal office accounts.

During the year the Bank reported 323 cases of quick mortality. The Bank should strengthen pre – sanctioning mechanism, credit monitoring and post disbursal follow up/review so as to control such cases.

- 9 The Bank should strengthen the following controls:
 - Standardizing the process of credit monitoring of large value loans.
 - The appraisal, underwriting and post-sanction monitoring of advances, needs to be strengthened and also the system of generation and reporting of Early Warning Signals (EWS) to ensure timely reporting and action on the identified accounts.
- 10. It is recommended to have a "Special Asset Recovery Branches" in the Bank so that the recovery process may be strengthened.



11. बैंक 11 फरवरी, 2022 में फिनेकल में माइग्रेट हो गया था। ऑडिट के दौरान, हमने देखा कि ब्याज आवेदन, सुरक्षा अद्यतन, जमा के नवीनीकरण, पुनर्भुगतान अनुसूची आदि से संबंधित कुछ मुद्दे मौजूद हैं, जिनमें सुधार के लिए बैंक को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंक को फिनेकल में संचालन और प्रक्रियाओं की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है तािक ऍप्लिकेशन्स को जल्द से जल्द स्थिर किया जा सके और फिनेकल में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

इस सबंध म हमारा राय म संशोधन नहां ह

राय

हमारी राय में, बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किया गया था। बैंक आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहा है।

अन्य मामले

बैंक शाखाओं से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणीकरण पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय के संबंध में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।

कृते **धरम राज एंड कं**. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्याः 014461N

धरम राज

साझेदार

सदस्यता संख्याः ०९४१०८

यूडीआईएन संख्याः 22094108AMJBFG9257

हस्ताक्षर का स्थानः गाजियाबाद रिपोर्ट की तारीख 04.07.2022 11. The Bank had migrated to FINACLE in February 11, 2022. During the course of audit, we observed that few issues relating to interest application, security updation, renewal of deposits, repayment schedule etc exist, which require immediate attention of the Bank for rectification. Further, Bank needs to closely monitor operations and processes in Finacle so as to stabilize the application at the earliest and utilize the advanced features available in Finacle.

However, our opinion is not modified in respect of above stated matters

Opinion

In our opinion, the Bank has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

Other Matters

Our Aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy of internal financial controls over Financial reporting in so far as it relates to bank branches, is based on the corresponding reports of the branch auditors and certification by the management. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For DHARAM RAJ & CO.

Chartered Accountants Firm's Registration No. 014461N

Dharam Raj

Partner

Membership No. 094108 UDIN: 22094108AMJBFG9257

Place of Signature: Ghaziabad Date of Report 04.07.2022

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरूआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रति दीर्घाविध के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नति हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, उनके परिवारों स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान के लिए वचनबद्ध है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये और जो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो।

बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकर ऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं हैं) के विकास और उन्नित और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है। यह सीएसआर नीति इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं की सहायता, पहचान, निष्पादन और निगरानी के लिए निर्देशी दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी और इस संबंध में कानून और नीतिगत मान को तथा पद्धतियों के अनुपालन द्वारा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वःविनियामक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति सीएसआर गतिविधियों को चलाते और कार्यान्वित करते हुए नियमों का अनुपालन भी निर्धारित करेगी।

उद्देश्य

सीएसआर कारपोरेट व्यवहार और अभिशासन का उच्च स्तर है और इसे ऐसे साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कारपोरेट और सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों का सामाजिक उद्देश्यों की सतत् वृद्धि और विकास के संबंध में तालमेल करता है। सीएसआर आंतरिक (कर्मचारी, शेयरधारकों, निवेशकों) और बाह्य (सार्वजनिक अभिशासन, समुदाय सदस्यों, सिविल सोसायटी समूहों, अन्य उद्यमों) हितधारको दोनों के लिए व्यापार गतिविधियों की लागत और व्यापार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सीएसआर न तो परोपकार है और नही विपणन का माध्यम। यह बैंक द्वारा समाज के कल्याण में सहयोग करने का प्रयास है जहां से वह अनिवार्य प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए सीमाओं के भीतर अपनी ताकत प्राप्त करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत व्यय की गयी राशि—

- ए) कुल राशि जो वित्तीय वर्ष में व्यय की जानी थी– रु. 8.78 करोड़
- बी) बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि— रु. 9.78 लाख
- सी) वित्तीय वर्ष में व्यय न हो पायी (बाकी) राशि–
- डी) वित्तींय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि का विवरण (व्यय स्वरूप)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited, since its incorporation, has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance and also in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Basically Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large, to improve their lives in ways that are good for business and for development.

The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and also reducing negative impact of its operations on the environment This CSR Policy will serve as a guiding document to help, identify, execute and monitor CSR Projects in keeping with the spirit of the Policy and would function as a self-regulating mechanism for the Bank's CSR activities by observing adherence to laws and ethical standards and practices in this regard. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

OBJECTIVES

CSR is a niche area of corporate behavior and governance and is recognized as one of the tools that synergizes the efforts of corporate and the social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. CSR is a process of managing the costs and benefits of business activity to both internal (employees, shareholders, investors) and external (institutions of public governance, community members, civil society groups, other enterprises) stakeholders. CSR is neither charity nor a marketing tool. It shall be an effort of the Bank to contribute to the welfare of the society from where it derives its strength, within the limits, while simultaneously ensuring the mandatory provisions.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESONSIBILTY

Amount spent under Corporate Social Responsibility during the financial year 2021-22

- A. Total amount which was to be spent in the financial year ₹ 8.78 Lakh
- B. Amount spent by the bank during the financial year ₹ 9.78 Lakh
- C. Unspent (remaining) amount in the financial year -
- D. The details of the amount (expenditure form) spent during the financial year are as follows-



राशि लाख में (Amount in Lakh)

	રાણ લાલ મ (Amount in Lakr					
क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं / Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम—वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। Promoting health care including preventive health care and sanitation.	कोविड—19 खतरे से निपटने के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर उपलब्ध कराना। Providing Sanitizer Dispenser to combat COVID-19 threat	1. बी.डी.पांडे अस्पताल, नैनीताल। 2. एसएसपी कार्यालय, पुलिस लाइन, नैनीताल 1. B.D.Pandey Hospital, Nainital. 2. SSP Office, Police Line, Nainital	0.14	0.14	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
2	गरीब छात्रों के लिए शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना। Promoting education activities for poor students.	गरीब मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना Providing financial assistance to poor meritorious students	देवकी साह कुंदन लाल साह मेमोरियल ट्रस्ट, नैनीताल द्वारा चयनित गरीब मेधावी छात्रों के लिए योगदान Contribution for poor meritorious students selected by Devki Sah Kundan Lal Sah Memorial Trust, Nainital	0.25	0.39	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
3	छात्रों / एथलीटों के बीच खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। Promoting sports activity among the student/athletes.	गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली महिला एथलीट को वित्तीय सहायता प्रदान करना। Providing financial assistance to women athlete with poor family background.	सरकारी गर्ल्स पीजी कॉलेज हल्द्धानी। Govt. Girls P.G College Haldwani.	0.50	0.89	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
4	खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं में खेल के स्तर का उत्थान। Promoting sports activity and upliftment of sports level among the youth.	फुटबॉल टूर्नामेंट Football Tournament	चेज़र फाउंडेशन (उत्तराखंड, नैनीताल) Chasers foundation (Uttrakhand , Nainital)	0.31	1.20	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
5	रोगियों के लिए सुरक्षित पेयजल, निवारक स्वास्थ देखभाल उपलब्ध कराना। Providing safe drinking Officer water, preventive health care for patients.	सीएमओ कार्यालय नैनीताल के लिए 1 आरओ वाटर प्यूरीफायर 1 RO Water Purifier to CMO office Nainital.	सीएमओ कार्यालय, नैनीताल CMO office Nainital.	0.13	1.33	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
6	ग्रामीण क्षेत्र में जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करना। To improve life in Rural area, Safeguarding environmental sustainability .	ग्रामीण क्षेत्र में 18 सोलर लाइट सिस्टम लगाए गए। 18 Solar light System installed at rural area .	ग्राम—खगयार, डोनी, कोठिया प्रखंड—तड़ीखेत, तहसील—रानीखेत, जिला—अल्मोड़ा Village- Khagyar, Doni , Kothiya Block - Tadikhet, Tehsil- Ranikhet , District -Almora	1.86	3.19	एमडी एवं सीईओ MD & CEO



क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं / Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम—वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
7	ग्रामीण क्षेत्र में जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करना । To improve life in Rural area, Safeguarding environmental sustainability .	ग्रामीण क्षेत्र में 14 सोलर लाइट सिस्टम लगाए गए। 14 solar light system installed at rural area.	गांव—तल्ला जलोनी, मल्ला जलोनी, नवाँ, छितर खानीखेत, जिला—अल्मोड़ा Village- Talla Jaloni , Malla Jaloni, Nawan & Chhitar Ranikhet , District -Almora	1.44	4.63	एमडी एवं सीईओ MD & CEO
8	पारंपरिक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास Promotion and Development of traditional Art & Culture	प्रतियोगिता और सांस्कृतिक गतिविधि Competition and cultural activity	श्री राम सेवक सभा Shree Ram Sewak Sabha	0.10	4.73	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief operating Officer
9	वनस्पतियों और जीवों और पशु कल्याण के संरक्षण के लिए Protection of flora and fauna and animal welfare.	जी.बी. पंत हाई एल्टीट्यूड जू. नैनीताल में वन्य जीवों और पक्षियों को गोद लेना Adoption of wild life animals and birds at G.B Pant High altitude Zoo, Nainital	जी.बी. पंत हाई एल्टीट्यूड जू, नैनीताल G.B Pant High altitude Zoo, Nainital	4.00	8.73	एमडी एवं सीईओ MD & CEO
10	पारंपरिक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास Promotion and Development of traditional Art & Culture	ऐपण (उत्तराखंड की पारंपरिक कला) प्रतियोगिता Aipan (Traditional Art of Uttarakhand) Competition	नैनीताल Nainital	1.05	9.78	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief operating Officer

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को, महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिये गये बहुमूल्य दिशानिर्देशों एवं उचित समय पर दिये गये सहयोग के लिए, जिसके बिना वर्तमान परिणाम प्राप्त करना संभव न होता, कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति उनके सतत् संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की, उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी, उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा–निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

स्थानः नैनीताल **(निखिल मोहन)** दिनांकः 06.09.2022 प्रबंध—निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

For and on Behalf of the Board of Diectors

Place: Nainital (Nikhil Mohan)

Date: 06.09.2022 MD & CEO



फॉर्म संख्या एमआर–3 सचीवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम संख्या 9 के अनुसार (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014]

सेवा में.

श्रीमान सदस्य नैनीताल बैंक लिमिटेड नैनी बैंक हाउस, सेवन ओक मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड –263001

(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234) AUTHORISED CAPITAL: 1,500,000,000.00 PAID UP-CAPITAL: 77,50,00,000.00

में, सीएस जया यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव जिसकी सदस्यता संख्या एफ—10822 और सीओपी संख्या 12070 है, ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (CIN: U65923UR1922PLC000234) (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से आयोजित की गई थी जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बिहयों, कागज़ातों, कार्यवृत्त, पुस्तकों, फार्म और दायर रिटर्न और अन्य रिकार्ड, जो कंपनी ने रखे हैं के ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर और बैंक एवं इसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान दी गयी जानकारी के आधार पर मैं व्यक्त करती हूँ कि मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वित्तींय वर्ष में नीचे दिए गए नियमों का सांविधिक रूप से पालन किया है और कंपनी के पास उचित—बोर्ड—प्रक्रिया एवं उचित अनुपालन—तंत्र है,जो यहां दिये गए तरीके और इस सीमा तक नीचे दी गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बिहयों / बुक्स, कागज़ातों, कार्यवृत्तं बिहयों, फार्म और दायर रिटर्न एवं अन्य रिकार्ड की ऑनलाइन जांच निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में की है —

- कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाए गए नियमों
- 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- 4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 March, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

The Nainital Bank Limited

Naini Bank House, Seven Oaks

Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

AUTHORISED CAPITAL: 1,500,000,000.00
PAID UP-CAPITAL: 77,50,00,000.00

I, CS Jaya Yadav, Practicing Company Secretary with Membership No. F-10822 and COP No. 12070, have acknowledged the compliance of applicable statutory provisions and good corporate practices of The Nainital Bank Limited (CIN: U65923UR1922PLC000234) (hereinafter referred to as the "Bank"). Secretarial audit of compliance. The secretarial audit was conducted in a manner that provided me with a reasonable basis for evaluating corporate conduct/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

On the basis of online verification of the Bank's books, papers, minutes, books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and information furnished by the Bank and its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit Based on this, I express that in my opinion, the Bank has statutorily complied with the rules set out below for the financial year ended March 31, 2022 and the company in fair on-board procedures and a fair Compliance Mechanism, subject to reporting in the manner set forth herein and to the extent described below:

I have checked online the books/books, papers, minute books, forms and returns filed and other records of the bank for the financial year ended 31st March, 2022 in respect of the following provisions –

- 1. Companies Act 2013 (Act) and Rules made thereunder
- 2. Banking Regulation Act, 1949
- 3. Reserve Bank of India Act, 1934
- The Negotiable Instruments Act, 1881





- 5. बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
- 6. भ्गतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- 7. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961
- धन–शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं धन–शोधन निवारण अधिनियम (रिकॉर्ड का रखरखाव आदि.) नियम, 2005; और
- 9. निम्नलिखित के संबंध में अन्य लागू कानून और विनियमः
 - ए) विविध सांविधिक रिजस्टर और दस्तावेजों का रख-रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां:
 - बी) फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, एन.सी.एल.टी. या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाइल किया जाना अपेक्षित है;
 - सी) बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस
 - डी) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैंठक और परिपत्र से पारित प्रस्ताव:
 - ई) बोर्ड और उसकी सिमतियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त;
 - एफ) निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों, लेखा परीक्षा समितियों, नामांकन एवं पारिश्रमिक, और मानव संसाधन समिति, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रबंध निदेशकों एवं कार्यपालक निदेशकों सिहत निदेशकों की नियुक्ति, सेवािनृत्ति और पुनः नियुक्ति
 - जी) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय;
 - एच) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय:
 - आई) कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी;
 - जे) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान;
 - कें) जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि का अन्तरण;
 - एल) निदेशक मंडल की रिपोर्ट:
 - एम) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणियों का प्रकाशन, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के फॉर्म 8 के अनुसार बैंक की तरल आस्तियां एवं देयताएं विवरणी सहित भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली

- 5. The Bankers Book Evidence Act, 1891
- 6. Payment and Settlement Systems Act, 2007
- 7. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
- Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Prevention of Money Laundering Act (Maintenance of Records etc.
- 9. Other applicable laws and regulations in relation to:
 - a). Maintenance of various statutory registers and documents and necessary entries therein;
 - b). Forms, returns, documents and proposals to be submitted to the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, NCLT. or is required to be filed before other officers;
 - Notices of meetings of the Board and various committees of directors
 - d) resolutions passed by circulars and meetings of directors and all committees of directors;
 - e) Minutes of the proceedings of the meetings and general meetings of the Board and its committees;
 - f) Yes. Constitution of Board of Directors, Committees of Directors, Audit Committees, Nomination and Remuneration, and Human Resource Committee, CSR Committee, Risk Management Committee and Appointment, Retirement and Re-appointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors
 - g) appointment and honorarium of statutory and internal auditors;
 - h) constitution of committee of inspection department for internal audit;
 - i) transfer and transmission of shares of the company, issue and allotment of shares and issue of share certificates;
 - j) Of. declaration and payment of dividends;
 - k) transfer of funds to the Investor Education and Protection Fund, as required by the Act;
 - I) Report of the Board of Directors;
 - m) Publication of Annual Financial Returns for the year ended March 31, 2020, and Filing of Returns to be submitted to the Reserve Bank of India including the Statement of Liquid Assets and Liabilities of the Bank



रिटर्न्स की फाइलिंग.

- एन) सीएसआर कमेटी का गठन एवं कम्पनी एक्ट 2013 के खण्ड 135 के अनुसार इसका कार्यान्वयन;
- ओ) वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान कोई और पूंजी जारी नहीं की गई

हमने निदेशक मंडल (एसएस—1) और आम बैठकों (एसएस—2) की बैठक और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स के संबंध में सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा—निर्देश, मानकों, आदि का पालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

समीक्षाधीन अविध के दौरान बैंक ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में अपने मौजूदा शेयरों का अमूर्तीकरण शुरू कर दिया है। परिपन्न के अनुपालन के तहत मौजूदा शेयरों के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया बैंक में नियमित आधार पर जारी है.

सीएसआर अनुपालन

बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधि के लिए 9.78 लाख रुपये खर्च किए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2019–20 में खर्च नहीं की गई 37.30 लाख रुपये की राशि चालू परियोजनाओं पर खर्च किए जाने के लिए रखी है।

श्रम कानूनों के संबंध में अनुपालन

मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक विभिन्न श्रम और अन्य संबंधित कानूनों का पालन कर रहा है और बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच कोई श्रम संबंधी कोई बड़ा मुकदमा लंबित नहीं है ।

डीआरटी / एनसीएलटी में कानूनी वसूली के मामलों की स्थिति

मेरे पास उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक डीआरटी / एनसीएलटी के समक्ष कुछ कानूनी मामले लंबित हैं। बैंक को सलाह दी जाती है कि वह मामलों के शीघ्र निपटान / वसूली या निपटान के लिए विशेष प्रयास / अभियान करें।

भारतीय बैंक के रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में

ए) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर निम्नलिखित मानदंडों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बैंक पर रुपये 56,00,000/— (छप्पन लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया। in accordance with Form 8 of the Banking Regulation Act, 1949.

- n) Constitution of CSR Committee and its implementation as per Clause 135 of the Companies Act 2013;
- o) No further capital issued during the financial year 2021-22

We have also examined the compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards in respect of Meeting of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) and Guidance Notes issued by the Institute of Company Secretaries.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, standards, etc., as mentioned above.

DEMATERIALIZATION OF SHARES-

During the period under review, the Bank has started dematerialisation of its existing shares in pursuance of the notification dated September 10, 2018 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The process of dematerialisation of existing shares is going on in the Bank on regular basis in compliance with the circular.

CSR COMPLIANCE

The Bank has spent ₹ 9.78 Lakhs for CSR Activity for the FY 2021-22. The Bank has retained an amount of ₹ 37.30 Lakhs, an unspent CSR amount for the FY 2019-20 for being spent on the ongoing projects as on date of reporting.

COMPLIANCE WITH RESPECT TO LABOR LAWS:

As per the information given to me, the Bank is complying with various labor and other related laws and no major labor related litigation is pending between the Bank and its employees.

STATUS OF LEGAL RECOVERY CASES IN DRT/NCLT

As per the information provided, there are a few legal matters pending before the DRT/NCLT as on March 31, 2022. The Bank is advised to make special efforts /drive for early settlement/recovery or disposal of cases.

COMPLIANCE IN RELATION TO DIRECTIVES OF THE RESERVE BANK OF INDIA

a) Reserve Bank of India imposed on the bank a monetary penalty of ₹ 56,00,000/- (Fifty-Six Lakhs only) for noncompliance with certain provisions of the directions issued by Reserve Bank with respect to the following norms:





- आय की पहचान, पिरसंपित वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड — एनपीए खातों में विचलन;
- ii. वित्तीय विवरणों में "लेखों के लिए नोट्स" में प्रकटीकरण परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन।
- iii. रिज़र्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग (03 जुलाई 2017 को अद्यतन) पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना।
- बी) भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा "RBI ई—कुबेर ब्लड CC पोर्टल में रिपोर्टिंग न करना" और आरबीआई द्वारा करेंसी चेस्ट के ऑडिट के दौरान उठाये गये अन्य मुद्दों के कारण बैंक पर रुपये 2,92,186 /— (दो लाख बयानबे हजार एक सौ छियासी मात्र) जुर्मना / पैनल ब्याज शुल्क के रूप में लगाया गया ।

यह सुझाव दिया जाता है कि भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक । और ॥ का पूरी तरह से पालन करें।

बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में रिकॉर्ड में लिया लिए गये आधार पर हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय है कि बैंक के पास सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं एवं उन्हें और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि उन्हें बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बनाया जा सके एवं सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

जैसा कि सूचित किया गया है, बैंक ने जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करते हुए विभिन्न सांविधिक / नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

मुझे आगे कहना है कि-

बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर—कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अविध के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अिधनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले और मीटिंग में सार्थक सहभगिता सुनिश्चित करने के लिए, एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सार्थक सिस्टम मौजूद है। अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है। मैं आगे रिपोर्ट करती हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप

- Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Pertaining to Advances -Divergence in NPA Accounts;
- Disclosure in the "Notes to Accounts" to the Financial Statements - Divergence in the asset classification and provisioning.
- Non-compliance with certain provisions of the directions issued by Reserve Bank on "Frauds - Classification and Reporting by commercial banks and select Fls (Updated as on July 03, 2017).
- b) An amount of ₹ 2,92,186/- (Two Lakh Ninety-Two Thousand One Hundred Eighty-Six Only) as penalty/penal interest charges imposed on the Bank by Reserve Bank of India, Kanpur due to "Non-reporting in the RBI E-Kuber CyM CC portal" and other issues observed during the Audit of Currency Chest carried by RBI.

It is suggested to meticulously adhere to the Secretarial Standard I and II issued by the Institute of Company Secretaries of India in full.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by various authorised officials and taken on record by the Board of Director(s) at their meeting(s) we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

As informed, the Bank has responded appropriately to notices received from various statutory/ regulatory authorities by initiating actions for corrective measures wherever necessary.

I have to say further that-

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes. I further report that there are



बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाएं / कार्रवाइयां की हैं:

i. बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में संशोधन किया है ताकि मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट को एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विभाजित किया जा सके।

ह. ∕ −

जया यादव

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या – एफ10822

इस रिपोर्ट को हमारे उस तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है। adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has undertaken the following events/actions:

 The Bank has amended its article of Association through the postal ballot to incorporate splitting up of the position of existing Chairman & Chief Executive Officer into a Part Time Chairman and a Full-time Managing Director & C.E.O.

Sd/-


Jaya Yadav

Practising Company Secretary Membership No. - F10822


Date: 06.09.2022 Certificate of Practice No. – 12070 Place: Gurugram UDIN: F010822D000923131

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 1 and forms an integral part of this report.

आकर्षक एवं लाभकारी जमा योजनाएं











अनुलग्नक-1

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

श्रीमान सदस्य

नैनीताल बैंक लिमिटेड

(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234) जीबी पंत रोड, नैनीताल उत्तराखंड —263001

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेरी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी के अंतर्गत सचिवीय रिकॉर्ड व्यवस्थित को रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विविध उपर्युक्त प्रणाली की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना की प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, शामिल है.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और सचिवीय अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है.
- बैंकिंग कंपनी होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा बही और लेखा मानक की सटीकता की लेखा परीक्षा की जा रही है।
- हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा साक्ष्य और बैंक के प्रबंधन से प्राप्त जानकारी पर्याप्त हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।
- जहां भी आवश्यक हो हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और गतिविधियों आदि के बारे में प्रबंधन का अभिमत प्राप्त किया है ।
- हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, हमने परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया है। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं, का पालन मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का निष्पादन किया है।

ह. / — जया यादव प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्यता संख्या — एफ10822 प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या— 12070

स्थानः गुरुग्राम यूडीआईएनः एफ010822डी000923131

दिनांकः 06.09.2022

ANNEXURE -1

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT ISSUED BY COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

To

The Members

The Nainital Bank Limited

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

G B Pant Road Nainital Uttaranchal-263001

My Secretarial Audit Report for the financial year ended 31st March 2022 read with this letter

Management's Responsibility

 Keeping secretarial records under the responsibility of the Bank's management, putting in place various aforesaid systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the system is functioning in an adequate and effective manner, is included.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
- Being a Banking company, the correctness of the Book of accounts and accounting standard are being audited by the Central Statutory Auditors approved by the Reserve Bank of India.
- We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- Wherever required we have obtained the managements representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, 1 followed provide a reasonable basis for my opinion.
- The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Sd/-Jaya Yadav Practising Company Secretary Membership No. - F10822 Certificate of Practice No. – 12070 UDIN: F010822D000923131

Annual Report 2021-22

Date: 06.09.2022

Place: Gurugram



बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2022)

सारणी डीएफ-1: लागू किये जाने का कार्यक्षेत्र

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेडः

- i) गुणात्मक प्रकटीकरणः
- क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2022)

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

- i) Qualitative Disclosures:
- a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

				•		
संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या उस संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उस संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
शून्य / Nil						

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में नहीं लिए गए समूह इकाइयों की सूची।

ऐसी कोई समूह इकाई नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेत् लिया गया हो।

- ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः
- ग. समेकन हेत् विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन के लिए शामिल किया गया हो।

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में किमयों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव की कोई संभावना नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

 List of group entities not considered for consolidation
 both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

- ii) Quanitative Disclosures:
- c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

 The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.





सारणी डीएफ-2ः पूंजी पर्याप्तता

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाम को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधि का लाम या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल—III फ्रेमवर्क के अनुसार वैश्विक रुप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैन्चमार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:-

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक नीतिगत और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पुंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन सिमित करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए बैंक पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धित, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धित तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आविधक पद्धित अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतों तथा बैंक की गितिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है।बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लिक्षित तथा
 टिकाऊ पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

i) Qualitative Disclosures

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2022
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताऐं	
	 मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो 	409.03
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	`
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	54.40
	• ब्याज दर जोखिम	54.40
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
	• इक्विटी जोखिम	0.00
(ঘ)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आव	! श्यकताऐं
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	55.09
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा क्	वुल पूंजी अनुपातः
	• समेकित समूह के लिए सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	
	• टियर 1 अनुपात	
	• टियर 2 अनुपात	
	• सीआरएआर	
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	13.13%
	• टियर 1 अनुपात	13.13%
	• टियर 2 अनुपात	0.92%
	• सीआरएआर	14.05%

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

- क) ऋण आस्तियों को वगीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :--
 - गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ –
 - मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अविध के लिए
 ब्याज तथा / या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
 - ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओडी / सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ आर्डर) रहता है।
 - खरीदे गए तथा बट्टे खाते डाले गए बिलों के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक की अविध से बकाया अतिदेय बिल।

ii) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crores) 31.03.2022			
(b)	Capital requirements for Credit Risk				
	Portfolios subject to Standardized Approach	409.03			
	Securitization Exposures				
(c)	Capital requirements for Market	Risk			
	Standardized Duration Approach	54.40			
	Interest Rate Risk	54.40			
	Foreign Exchange Risk (including Gold)				
	Equity Risk	0.00			
(d)	Capital requirements for Operation	onal Risk			
	Basic Indicator Approach	55.09			
(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and	Total Capital ratios:			
	Group CRAR				
	CET 1 Ratio				
	Tier 1 Ratio				
	Tier 2 Ratio				
	• CRAR				
	Stand alone CRAR				
	CET 1 Ratio	13.13%			
	Tier 1 Ratio	13.13%			
	Tier 2 Ratio	0.92%			
	• CRAR	14.05%			

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.





- अल्पाविध फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

किसी भी ओ.डी. / सी.सी. खाते को उस स्थिति में आऊट ऑफ आर्डर खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहां तुलन—पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अविध में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते आऊट ऑफ आर्डर समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उस स्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भृगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है –

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय—अवमानक अस्तियों से भी सम्बधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जाएगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वगीकृत किया जाएगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हों / जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाहय लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हानि संपत्ति के रूप में पहचानी गई हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण / पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.



कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्त्ताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं—स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है :

ऋण जोखिम दर्शनः

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि करना ताकि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों को आर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रिमक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें तािक विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण स्विधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गित के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely presanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.



 विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथिमकता प्राप्तक्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख—रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) बैंकवार आधार पर निर्धारित सीमा में ऋण जोखिम के मापन, नियंत्रण और प्रबंधन के साथ—साथ निदेशक मंडल द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्यपद्धित के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित पद्धतियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, किमयों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपॉटिंग और/अथवा आकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली विद्यमान है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है। हालांकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है, जहां पोर्टफोलियो ऋण जोखिम आधार

 To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is



परिभाषित तरीकों पर त्रैमासिक अंतराल पर विश्लेषण किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजरः

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2022
निधि आधारित बकाया	4211.79
गैर-निधि आधारित बकाया	130.56
कुल सकल ऋण	4342.35

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2022
निधि आधारित जोखिम	4786.39
गैर निधि आधारित जोखिम	107.31
कुल सकल ऋण जोखिम	4893.70

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरणः

	राशि (करोड़ रू. में)		
एक्सपोजर	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
	बकाया	बकाया	
घरेलू परिचालन	4211.79	130.56	
विदेशी परिचालन			
कुल	4211.79	130.56	

घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरणः

analysed on quarterly interval on the basis defined methods.

ii) Quantitative Disclosures

b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2022
Fund Based Outstanding	4211.79
Non-fund Based Outstanding	130.56
Total Gross Credit	4342.35

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2022
Fund Based Exposure	4786.39
Non-fund Based Exposure	107.31
Total Gross Credit Exposure	4893.70

c) Geographic Distribution of Exposures:

	Amount (₹ in Crores)
Exposures	Fund Based Outstanding	Non-fund Based Outstanding
Domestic operations	4211.79	130.56
Overseas operations		
Total	4211.79	130.56

d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रं.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित एक्सपोजर Fund Based Exposure	गैर निधि आधारित एक्सपोजर Non Fund Based Exposure	कुल Total
q/a	खनन और उत्खनन	Minning and Quarrying	60.40	-	60.40
ए/A.1	कोयला	Coal	-	-	-
ए/A.2	अन्य	Other	60.40	-	60.40
बी / B	फूड प्रोसेसिंग	Food Processing	64.64	0.42	65.06
बी / B.1	चीनी	Sugar	-	-	-
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	27.31	-	27.31
बी / B.3	चाय	Tea	0.52	-	0.52
बी / B.4	कॉफी	Coffee	-	-	-
बी / B.5	अन्य	Others	36.81	0.42	37.23
सी / с	पेय पदार्थ	Beverages	0.38	-	0.38
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	-	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.38	-	0.38
डी / D	टैक्सटाईल	Textiles	92.44	6.38	98.82
डी / D.1	सूती टैक्सटाईल	Cotton Textile	3.44	0.35	3.79
डी / D.2	जूट टैक्सटाईल	Jute Textile	0.00	-	0.00
डी / D.3	हैन्डीक्राफ्ट / खादी / सिल्क / ऊनी /	Handicraft/Khadi/Silk/Woollen	70.61	3.83	74.44
डी / D.6	अन्य	Other Textile	18.39	2.20	20.59
ई ∕ E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	3.87	-	3.87
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	6.20	-	6.20
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	10.17	-	10.17
एच/н	पैट्रोलियम	Petroleum	0.60	-	0.60
आई /।	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद	Chemicals and Chemical Products	15.54	-	15.54



क्रं.सं. S. No.	उद्योग /	Industry	निधि आघारित एक्सपोजर Fund Based Exposure	गैर निधि आधारित एक्सपोजर Non Fund Based Exposure	कुल Total
आई / 1.1	फर्टिलाईजर	Fertilizers	0.85	-	0.85
आई / 1.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	6.02	-	6.02
आई / 1.3	पैट्रो –कैमिकल्स	Petro-Chemicals	-	-	-
आई / 1.4	अन्य	Other	8.67	-	8.67
जे / រ	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	11.85	-	11.85
के / к	कांच एवं कांच के उत्पाद	Glass and Glassware	4.81	-	4.81
एल ∕ ∟	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	2.48	-	2.48
एम / M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	25.71	0.55	26.26
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	16.55	0.55	17.10
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	9.16	-	9.16
एन / N	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	116.02	-	116.02
एन / N.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	0.29	-	0.29
एन / N.2	अन्य इन्जीनियरिंग	Other Engg	115.73	-	115.73
ओ⁄0	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमैंट	Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	15.77	-	15.77
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.18	-	0.18
क्यू / Q	नर्माण निर्माण	Construction	12.04	3.25	15.29
आर / R	आधारभूत सुविधाएं	Infrastructure	64.39	30.79	95.18
आर / R.1	ट्रांसपोर्ट	Transport	20.20	-	20.20
आर / R.1.1	रेलवे	Railways	-	-	_
आर / R.1.2	रोडवेज	Roadways	20.20	-	20.20
अार / R.1.3	एविएशन	Aviation	-	-	-
आर / R.1.4	वाटरवेज	Waterways	-	-	-
आर / R.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट	Others Transport	-	-	-
आर / R.2	ऊर्जा	Energy	14.55	-	14.55
आर / R.2.1	गैर–नवीकरणीय ऊर्जा	Non-Renewable Energy	-	-	-
आर / R.2.2	नवीनीकृत ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)	Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	14.55	-	14.55
आर / R.2.3	गैस / एल.एन.जी. (भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Oil & Gas (Storage & Pipeline)	-	-	-
आर / R.2.4	अन्य	Other	29.64	30.79	60.43
आर / R.4.1	दूरसंचार	Telecommunication	-	-	
आर / R.4.2	वाटर सेनिटेशन	Water Sanitation	-	-	
आर / R.4.3	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाए	Social and Commercial Infrastructure	29.34	1.09	30.43
आर / R.4.4	अन्य सुविधाएं	Other Infrastructure	0.30	29.70	30.00
अार / R.4.5	अन्य उद्योग	Other Industries	78.16	0.22	78.38
एस / S	सभी उद्योग	All Industries	585.65	41.61	627.26
ਹੀ ∕ T	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	Residuary other advances	4,200.74	65.70	4,266.44
ਟੀ ∕ T.1	विमानन क्षेत्र	Aviation Sector	-	-	-
ਟੀ ∕ T.2	एनबीएफसी	NBFC	-	-	-
ਟੀ ∕ T.3	 अन्य शेष अग्रिम	Other residuary Advances	4,200.74	65.70	4,266.44
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	4,786.39	107.31	4,893.70



(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रं.सं. S. No.	उद्योग /	Industry	निधि आधारित बकाया Fund based outstanding	गैर निधि आधारित बकाया Non Fund outstanding	कुल Total Outstanding
ए/A	खनन और उत्खनन	Minning and Quarrying	54.57	0.30	54.87
ए/A.1	कोयला	Coal	0.00	-	-
ए/A.2	अन्य	Other	54.57	0.30	54.87
बी / B	फूड प्रोसेसिंग	Food Processing	59.60	0.49	60.09
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.00	0.05	0.05
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	26.19	-	26.19
बी / B.3	चाय	Теа	0.52	-	0.52
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	-	-
बी / B.5	अन्य	Others	32.89	0.44	33.33
सी / с	पेय पदार्थ	Beverages	0.30	-	0.30
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	-	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.30	-	0.30
डी / D	टैक्सटाईल	Textiles	43.10	3.82	46.92
डी / D.1	सूती टैक्सटाईल	Cotton Textile	3.29	0.35	3.64
डी / D.2	जूट टैक्सटाईल	Jute Textile	0.00	-	0.00
डी / D.3	हैन्डीक्राफ्ट / खादी / सिल्क / ऊनी /	Handicraft/Khadi/Silk/Woollen	22.45	1.20	23.65
डी / D.6	अन्य	Other Textile	17.36	2.27	19.63
ई∕E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	3.83	-	3.83
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	5.34	-	5.34
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	8.08	-	8.08
एच/н	पैट्रोलियम	Petroleum	0.08	0.06	0.14
आई /।	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद	Chemicals and Chemical Products	13.28	0.07	13.35
आई /।.1	फर्टिलाईजर	Fertilizers	0.84	-	0.84
आई / 1.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	4.99	-	4.99
आई / 1.3	पैट्रो –कैमिकल्स	Petro-Chemicals	0.00	-	-
आई / 1.4	अन्य	Other	7.45	0.07	7.52
जे / រ	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	10.22	-	10.22
के / к	कांच एवं कांच के उत्पाद	Glass and Glassware	4.64	-	4.64
एल/L	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	2.06	-	2.05
एम/M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	22.85	0.43	23.28
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	13.93	0.43	14.36
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	8.92	-	8.92
एन / N	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	112.92	0.80	113.72



क्रं.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित बकाया Fund based outstanding		कुल Total Outstanding	
एन∕N.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	0.14	0.80	0.94	
एन ∕ N.2	अन्य इन्जीनियरिंग	Other Engg	112.78	-	112.78	
ओ⁄0	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमैंट	Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	12.89	-	12.89	
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.18	-	0.18	
क्यू / Q	निर्माण	Construction	7.37	8.80	16.17	
आर / R	आधारभूत सुविधाएं	Infrastructure	60.94	0.75	61.69	
आर / R.1	ट्रांसपोर्ट	Transport	19.00	0.75	19.75	
आर / R.1.1	रेलवे	Railways		-	-	
आर / R.1.2	रोडवेज	Roadways	19.00	0.75	19.75	
आर / R.1.3	एविएशन	Aviation		-	-	
आर / R.1.4	वाटरवेज	Waterways		-	-	
आर / R.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट	Others Transport		-	-	
आर / R.2	ऊर्जा	Energy	14.41	-	14.41	
आर / R.2.1	गैर—नवीकरणीय ऊर्जा	Non-Renewable Energy		-	-	
आर / R.2.2	नवीनीकृत ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)	Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	14.41	-	14.41	
आर / R.2.3	गैस / एल.एन.जी. (भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Oil & Gas (Storage & Pipeline)		-	-	
आर / R.2.4	अन्य	Other	27.52	12.01	39.53	
आर / R.4.1	दूरसंचार	Telecommunication		-	-	
आर / R.4.2	वाटर सेनिटेशन	Water Sanitation		-	-	
आर / R.4.3	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाए	Social and Commercial Infra- structure	27.26	2.57	29.83	
आर / R.4.4	अन्य सुविधाएं	Other Infrastructure	0.26	9.44	9.70	
आर / R.4.5	अन्य उद्योग	Other Industries	20.47		20.47	
एस / s	सभी उद्योग	All Industries	442.72	27.53	470.25	
ਹੀ ∕ T	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	Residuary other advances	3769.07	103.03	3872.10	
ਟੀ ∕ T.1	विमानन क्षेत्र	Aviation Sector	-	-	-	
ਟੀ ∕ T.2	एनबीएफसी	NBFC	-	-	-	
ਟੀ ∕ ⊤.3	अन्य शेष अग्रिम	Other residuary Advances	3769.07	103.03	3872.10	
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	4211.79	130.56	4342.35	



ऐसे उद्योगों का ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के समग्र सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है:

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क. सं.	उद्योग	कुल एक्सपोजर / वकाया शेष (रुपये करोड़ में)	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत	
S. No.	Industry	Total Exposure/(O/s bal.) (in Crores)	% of Total Gross Credit Exposure	
	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	

ङ) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषणः

e) Residual maturity breakdown of assets

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crores)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष / Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश / Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां / Fixed Assets	अन्य आस्तियां / Other Assets	जोड़ / Total
1 दिन / Day	114.26	199.66	6.26	18.1	0	232.91	571.19
2-7 दिन / Day	6.44	28.96	0	89.18	0	2.95	127.53
8-14 दिन / Day	6.58	5.89	0	104.16	0	3.64	120.27
15-30 दिन / Day	5.96	5.00	49.88	207.95	0	7.08	275.87
31दिन — 2 माह तक / 31 days — upto 2 Months	8.29	78.37	84.73	105.48	0	14.93	291.80
2 माह से अधिक और 3 माह तक / Over 2 Months upto 3 Months	11.89	90.09	0	104.29	0	14.93	221.20
3 माह से अधिक और 6 माह तक / Over 3 upto 6 Months	26.91	226.21	135.04	1.9	0	58.1	448.16
6 माह से अधिक और 12 माह तक / Over 6 upto 12 Months	43.38	694.39	40.24	6.48	0	7.55	792.04
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year upto 3 Years	94.01	13.72	270.95	1569.41	0	6.63	1954.72
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 upto 5 Years	2.58	0.00	694.37	342.01	0	20.4	1059.36
5 वर्ष से अधिक / Over 5 Year	0.68	0.00	1009.63	1367.87	75.46	22.09	2475.73
जोड़ / TOTAL	320.98	1342.29	2291.10	3916.83	75.46	391.21	8337.86

(रुपये करोड में) / (₹ in Crores)

	(via axio ii) (cin diote				
क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		जोड़ / Amount		
एफ / f)	एनपीए (सकल)*ः	(सकल)*: NPAs (Gross)*:			
	अवमानक	Substandard	126.62		
	संदिग्ध 1 Doubtful 1		77.21		
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	221.07		
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	58.71		
	हानिकर	Loss	24.34		
जी / g)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	163.61		
एच / h)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios			
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	Gross NPAs to gross advances (%)	12.10%		



क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेप	गी / Asset Category		जोड़ / Amount
	शुद्ध अग्रिम में निवल एनपीए (%)	Net NPAs to net advances (%)		4.25%
आई / i)	एनपीए (सकल) में उतार—चढ़ाव	Movement of NPA(Gross)		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		650.67
	वृद्धि	Additions		129.97
	कमी	Reductions	Reductions	
	अंतिम शेष	Closing balance		507.95
जे / j)	विशिष्ट प्रावधान	SPECIFIC PROVISION		
	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार–चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		358.60
	वर्ष के दोरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the perio	d	91.45
	बट्टे खाते/अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write offs/ Write back of excess p	provisions	168.89
	प्रावधानों के बीच अन्तरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including	transfers between provisions	
	अंतिम शेष	Closing balance		281.16
	सामान्य प्रावधान	GENERAL PROVISION		
के / k)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for NPA	Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		62.84
	अवधि के दौरा किया गया प्रावधान	Provisions made during the period Write offs Write back of excess provisions		0.00
	बट्टे खाते			0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना			0.00
	प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions		0.00
	अंतिम शेष्	Closing balance		62.84
	आय विवरण में सीधे बुक किये गये बहे खाते	Write-offs that have been booked	directly to the income statement	0.00
	आय विवरण में सीधे बुक की गयी वसूलियां	Recoveries that have been bo statement	oked directly to the income	0.04
एल/।)	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing Invest	tments	0.54
एम / m)	गैर निष्पादक निवेश के लिए की गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for nor	n-performing investment	0.54
एन / n)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव	Movement of provisions for depre	eciation on investments	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		3.08
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	Provisions made during the perio	d	5.33
	बट्टे खाते डाले गये	Write-off		0.00
	अधिक प्रावधान निकाले गये	Write back of excess provisions Closing balance		0.00
	अंतिम शेष			8.41
ओ / o)	मुख्य उद्योग द्वारा या प्रति पक्षकार प्रकार	By major industry or counter type		
			एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान
	शीर्ष 5 उद्योग	Top 5 Industries	113.65	56.72
पी / p)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण	Geographic-wise breakup	सकल एनपीए / Gross NPA	प्रावधान
	घरेलू	Domestic	507.95	281.16

^{*}ब्याज सस्पेंस को छोड़कर / *Excluding interest suspense



सारणी डीएफ–4ः मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्ट फोलियों के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बैंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेन्सियों को ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निधारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्घारण समितियां-

- क्रेडिट एनालिसेज एण्ड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग (पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिक वर्क
- एसएमईआरए

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गयाः

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णनः

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक है
 लघुअविध की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी
 परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अविध की ऋण पात्रता निर्धारण
 भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की
 रेटिंग को स्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर केलिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर केलिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो।
- 30.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल स्वीकृत सीमा वाले ऋणों के मामले में बैंक आरबीआई द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने के संबंध में बेसल ॥ मानदंडों का पालन करेगा। तथापि, रु. 10.00 करोड़ और उससे अधिक और रु.30.00 करोड़ तक की स्वीकृत कुल ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं से इस तरह की रेटिंग प्राप्त करने / प्रस्तुत करने के लिए एक अंडरटेकिंग प्राप्त किया जाना है ।
- बैंक केवल मान्यता प्राप्त सीआरए से अनुरोधित रेटिंग का उपयोग करता है ।

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- The Bank will comply with the Basel II norms in respect of obtaining rating from RBI approved external agencies in case of loans having aggregate sanctioned limit of ₹ 30.00 Crore and above. However, an undertaking from the borrowers having sanctioned aggregate credit facilities of ₹10.00 Crores and above and up to ₹ 30.00 Crores to be obtained for obtaining/submitting of such ratings as & when the same is required as per regulator's guidelines.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूंहों में बैंक की बकाया (मूल्यांकित और अमुल्यांकित) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है:

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (मूल्यांकित और अमुल्यांकित) के आधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है:

बकाया राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2022	निधीतर आधारित 31.03.2022
1	100% जोखिम भार से कम	2608.73	0.00
2	100% जोखिम भार	882.52	68.84
3	100% जोखिम भार से अधिक	176.20	0.00
4	सीआरएम कटौती	544.34	61.72
	कुल एक्सपोजर	4211.79	130.56

एक्सपोजर राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2022	निधीतर आधारित 31.03.2022
1	100% जोखिम भार से कम	3233.99	0.00
2	100% जोखिम भार	526.06	45.59
3	100% जोखिम भार से अधिक	482.00	0.00
4	सीआरएम कटौती	544.34	61.72
	कुल एक्सपोजर	4786.39	107.31

सारणी डीएफ—5 : ऋण जोखिम कम करनाः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं: बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है जिसमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना व्यवस्था सहित प्रक्रिया, उद्देश्य , संपार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार निहित हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारन्टियों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:—

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने केकारण / ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देनाः

ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2022	Non-Fund Based 31.03.2022
1	Below 100 % risk weight	2608.73	0.00
2	100 % risk weight	882.52	68.84
3	More than 100 % risk weight	176.20	0.00
4	CRM Deducted	544.34	61.72
	Total Exposure	4211.79	130.56

Exposure Amount (₹ in Crores)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2022	Non–Fund Based 31.03.2022
1	Below 100 % risk weight	3233.99	0.00
2	100 % risk weight	526.06	45.59
3	More than 100 % risk weight	482.00	0.00
4	CRM Deducted	544.34	61.72
	Total Exposure	4786.39	107.31

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and



 जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रुप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्शिवक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्शिवक मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्शिवक और गारंटियों की वैधता ओर मूल्यांकन/आविधक निरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है।

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक के पैनल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन केआधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पालिसीगाइडलाइन्स) में दिये गए हैं।

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णनः

जोखिम के न्यूनीकरण के लिए बैंक द्वारा समान्यतः प्रयोग में लाई गई संपार्शिवक आस्तियाँः

- 1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
- 2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ।
- 3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार एवं भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआइसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
- 5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के सापेक्ष नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण आभूषण।
- 7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गांरटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरूद्ध गारंटरों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्शिवक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के सापेक्ष ऋणों में उपलब्ध हैं। Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

- 1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- 2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- 3. Bank's own deposits
- 4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies,
- 5. Cash Margin against Non-fund based facilities
- 6. Gold Jewellery
- 7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr. no. 3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम को कम करने वाले उपायः

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने के जेवर, घोषित समर्पण मूल्य वाली एल.आइ.सी. पॉलिसीयाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभृतियाँ को स्वीकार किया।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (करोड़ रुपये में)

क्रं सं.	विवरण	31.03.2022
(ख)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा किया गया हो।	606.06
(ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जो गारंटी / ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर हो।	

सारणी डीएफ—6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरः मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति संबंधी दिशा—निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2022
शून्य		

ट्रेडिंग बहीः

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2022
श्रन्य		

बैंक के पास 31.03.2022 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ-7ः ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिमः

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। CRM securities are also taken in non-fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery, LIC Policies with a declared surrender value, securities issued by Central and State Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2022
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	606.06
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2022
NIL		

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2022
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2022.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.



बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अविध दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है। इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठनः बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- एएलसीओ समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2022
क)	ब्याज दर जोखिम	54.40
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	

सारणी डीएफ-8ः परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता,आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजनासम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई गई है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठनः

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है-

- निदेशक मण्डल
- जोखिम प्रबंधन बोर्ड समिति
- आईआरएमसी (आंतरित जोखिम प्रबंधन समिति)
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समृह

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

i) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2022
a)	Interest Rate Risk	54.40
b)	Equity Position Risk	
c)	Foreign Exchange Risk	

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- IRMC (Internal Risk Management Committee)
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभावः

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा / कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित है।

जोखिम को कम करने और / या से बचाव करने की नीति तथा कमकरने / बचाव करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई है। नीति की रुपरेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे— चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलू निहित हैं।

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंकने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलन

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने केलिये आधारम्ल सूचक पद्दति अपनायी है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

31.03.2022 को परिचालन जोखिम के लिये पूंजी प्रभार रु. 55.09 करोड़ का था जबिक 31.03.2022 को परिचालन जोखिम आस्तियां रु. 479.05 करोड़ की थीं।

सारणी डीएफ–9ः बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता / पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट—बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिमबैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है।ब्याज दर में विपरीत उतार—चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल / जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग—अलग समयमें परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिये

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2022 was ₹ 55.09 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2022 was ₹ 479.05 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book(IRRBB)

i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting



प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को लागू कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

अंतर विश्लेषणः ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और तुलनपत्र के अलग—अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बचीहुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धिहो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचितकरता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरुप बैंक कीशुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

- 2. जोखिम से आयः जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दरमें वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याजदर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट केकारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।
- 3. इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ)पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दरमें परिवर्तन से निर्धारित रेट—शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि) :

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिये जोखिम सेआय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है।

- प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः आस्ति और देयताओं के लिये 02 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान

repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

- 2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
- 3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- **Yield curve risk:** A parallel shift of 2% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the



लियागया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(रू. करोड़ में)

आय पर जोखिम	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
आय पर जााखन	-15.11	15.11

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अवधि)

 इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियां और देयताओं की संशोधित अवधिकी गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधितक तक पहुंचा जा सके घरलूे परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिक मूल्यी पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शॉक के लिये अवधि अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
। इक्षिपटा के आर्थिक मूल्य में परिपतिन	11.06%	(-)11.06%

सारणी डीएफ—10ः प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि—जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं—अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड रू. में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2022	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2022
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं		
2	पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली		
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली		
4	कुल		

assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

Forming at Dick	-200 bps	200 bps
Earning at Risk	-15.11	15.11

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

 Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Feanamic Value of Fauity	-200 bps	200 bps
Change in Economic Value of Equity	11.06%	(-)11.06%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹in Crores)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2022	Current Exposure 31.03.2022
1	Foreign Exchange Contracts		
2	Cross Currency Interest rate Swaps		
3	Single Currency Interest Rate Swaps		
4	Total		



सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना भाग-1- 31 मार्च, 2022 से प्रयोग के लिए तालिका

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2022

(रुपये मिलियन में) / (₹ in Million)

		(रुपय ।मालयन म	// (< !!! !!	
豖.	31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्रकटीक	रण तालिका		संदर्भ
₹.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां			सं. ∕
S. No.	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			Ref No
	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां			110
	non Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1550.00	a = a1 + a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4370.54	
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5920.54	
सामा	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
	mon Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)		
10	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets		
11	नकदी–प्रवाह हेज रिजर्व	Cash-flow hedge reserve		
12	अपेक्षित हानिं के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	परिभाषित—लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किएगए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिकराशि)	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिकराशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold		
23	जिनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	जिनमें सेः मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights		
25	जिनमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (२६ए + २६बी + २२६सी २६डी)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		



豖.	31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्रकटीक	रण तालिका		संदर्भ
₹.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां			₹і./
S.	Basel III common disclosure template to be used from March 31,	2017		Ref
No. 26a	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		No
26b	जिसमें सेः असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
26c	जिसमें सेः बैंक के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
26d	जिसमें सेः अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	5920.54	
अतिर्वि	रेक्त टियर 1 पूंजीः लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुपमें वर्गीकृत (सतत गैर—संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप मेंवर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	जिसमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments		
	रेक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन ional Tier 1 capital : regulatory adjustments			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ए + ४१बी)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41a	जिनमें सेः गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital		
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	Tier 1 Capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	5920.54	



क्र.	31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्रकटीक	रण तालिका		संदभ
₹.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां			₹./
S. No.	Basel III common disclosure template to be used from March 31, Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	2017		Ref No
टियर	2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान 2 capital: instruments and provisions			140
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने केआधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं तत्तीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समहू टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	जिनमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	प्रावधान	Provisions	413.31	
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	413.31	
	2 पूंजीः विनियामक समायोजन			
	2 capital: regulatory adjustments	I		_
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments		<u> </u>
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		_
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्ट पोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	जिसमें सेः गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	जिसमें सेः बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहींकिया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	Tier 2 capital (T2)	413.31	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	6333.85	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (६०ए + ६०बी + ६०सी)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	40588.59	
60a	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	35567.67	
50b	जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	4730.42	
60c	जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4790.50	
गंत्ती	अनुपात / Capital ratios	I		
51	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.13%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.13%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.05%	
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



豖.	31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्रकटीक	रण तालिका		संदर्भ
₹і.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां			₹./
S. No.	Basel III common disclosure template to be used from March 31, Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	2017		Ref No
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	जिसमें सेः जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement		
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	य न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) nal minima (if different from Basel–III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
	ी के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से unts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	देयता का निवल)	Telated tax hability)		
	2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) cable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	413.31	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings- based approach		
1	आफट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 201 al instruments subject to phase-out arrangements (only applicable	•,		
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		



टेम्प्लेट के लिए नोट/NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्प्लेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Particular		(रु. मिलियन में) / (₹ in Million)
10	10 संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां Deferred tax assets associated with accumulated losses		
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये कुल	Total as indicated in row 10	
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	जाय कटौती की not deducted fully from capital and instead	
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital	
26 बी / b	यदि गैर—समेकित गैर—वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तोः	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	ii) Increase in risk weighted assets	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	413.31
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	413.31

सारणी डीएफ—12: पूंजी की संरचना—मिलान संबंधी अपेक्षाएं Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1/Step 1

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities		
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5457.82	5457.82
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest		
	कुल पूंजी	Total Capital	6232.82	6232.82
ii	जमाराशियां	Deposits	74858.79	74858.79
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	3733.84	3733.84
	जिनमें सेः ग्राहकों की जमाराशियां	of which: Customer deposits	71124.95	71124.95
	जिनमें सेः अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)		



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI		
	जिनमें सेः बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies		
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)		
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments		
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2286.98	2286.98
	कुल	Total	83378.59	83378.59
В	आस्तियां	Assets		
i	नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3209.75	3209.75
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	13422.89	13422.89
ii	निवेश:	Investments:	22910.97	22910.97
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20897.73	20897.73
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities		
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares		
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1856.54	1856.54
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates		
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)	303.37	303.37
	घटा मूल्यहास	Less Depreciation	146.67	146.67
iii	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	39168.28	39168.28
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	42117.91	42117.91
	समायोजन मदें	Netting items	2949.63	2949.63
iv	अचल आस्तियां	Fixed assets	754.62	754.62
v	अन्य आस्तियां	Other assets	3912.08	3912.08
	जिनमें सेः साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets		
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets		
vi	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation		
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account		
	कुल आस्तियां	Total Assets	83378.59	83378.59



चरण 2/Step **2**

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			\(\)	(1 v. 14(4) 4/7 (viii	
			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00	a1
	जिसमें सेः सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	775.00	775.00	
	जिसमें सेः एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1			
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5457.82	5457.82	
	जिसमें सेः	of which:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	– Statutory Reserve	1754.41	1754.41	
	– शेयर प्रीमियम	– Share Premium	775.00	775.00	a2
	– केपिटल रिजर्व	– Capital Reserve	162.41	162.41	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	Revaluation of Fixed Assets	162.41	162.41	
	• अन्य आरक्षितियां	Other Reserve	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	– Revenue and Other Reserve	2776.19	2766.19	
	• निवेश आरक्षिति खाता	Investment Reserve Account			
	• आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति–आस्थगित कर	Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	– अन्य आरक्षिति	Other Reserve	2297.89	2297.89	
	• निवेश उतार—चढ़ाव आरक्षित	Investment Fluctuation Reserve	212.47	212.47	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	Investment Reserve Account	10.48	10.48	
	• धारा ३६ के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	Special reserve u/s36	255.35	255.35	
	– वर्तमान समय हानि	– Current period Loss			
	कुल पूंजी	Total Capital	6232.82	6232.82	
ii	जमाराशियां	Deposits	74858.79	74858.79	
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	3733.84	3733.84	
	जिनमें सेः ग्राहको की जमाराशियां	of which: Customer deposits	71124.95	71124.95	
	जिनमें से:अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)			
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें सेः भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI			
	जिनमें सेः बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)			
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments			



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2286.98	2286.98	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill			
	जिनमें सेः अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets			
	कुल	Total	83378.59	83378.59	
В	आस्तियां	Assets			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3209.75	3209.75	
ii	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	13422.89	13422.89	
iii	निवेश:	Investments:	22910.97	22910.97	
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20897.73	20897.73	
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities			
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares			
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1856.54	1856.54	
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates			
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)	303.37	303.37	
	घटा मूल्यहास	Less Depreciation	146.67	146.67	
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	39168.28	39168.28	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	42117.91	42117.91	
	नेटिगं मदें	Netting items	2949.63	2949.63	
V	अचल आस्तियां	Fixed assets	754.62	754.62	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets			
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	3912.08	3912.08	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets			
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets			
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation			
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account			
	कुल आस्तियां	Total Assets	83378.59	83378.59	



चरण 3 / Step 3

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण —सारणी डीएफ—11 (भाग ।/II जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel-III common disclosure template (with added column) - Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers /letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे निर्गमित किये गये योग्य सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock com- panies) capital plus related stock surplus	1550.00	अ1 ፬ अ2 a1 & a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4370.54	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (कंवल असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5920.54	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		

सारणी डीएफ—13ः विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीजः बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण—

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अविध तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपन्न—वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी.आई.के दिशा—निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा—निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अविध तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular-Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking book



लीवरेज अनुपात

बेसल III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टीयरप् पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 3.5 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर.बी.आई. के दिशा—िनर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण 31मार्च, 2022 को निम्नवत हैं:—ं—

Leverage Ratio

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of March 31st, 2022 is as follows:::

सारणी डीएफ 17— लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद /।	tem	रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	83378.59
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	ऑफ बैलेंस शीट मदों के लिए समायोजन (अर्थात ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समकक्ष केंडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	8939.73
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	-5984.30
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	86334.02

सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	On-balance sheet exposures	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	83378.59
2	(वेसल IIII टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	83378.59



क्रं. सं. S. No.		मद / Item	लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework	
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative exposures		
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)		
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लि एपूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions		
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियोंसे घटाए गए डेरिवेटिव संपार्शिवक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework		
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट—बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)		
8	(ग्राहक—समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)		
9	लिखित क्रेंडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives		
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)		
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)		
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	Securities financing transaction exposures		
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions		
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)		
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets		
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures		
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं. 12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)		
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	8939.73	
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5984.30	
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं. 17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	17 and 18) 2955.43	
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures		
20	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	5920.54	
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. ३,११,१६ और १९ का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	86334.02	
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio		
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	6.86%	



31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31⁵¹ MARCH 2022

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

पूँजी और दायित्व/CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2022 की स्थिति As on 31.03.2022	31.03.2021 की स्थिति As on 31.03.2021
पूँजी / Capital	1	775000	775000
आरक्षितियां और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	5457824	5115491
जमा राशियां / Deposits	3	74858785	74125888
उधार / Borrowings	4	-	-
अन्य दायित्व और उपबंध / Other Liabilities & Provisions	5	2286979	1806272
	जोड़ / Total	83378588	81822651
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	3209750	3415707
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	13422893	15791517
निवेश / Investments	8	22910966	23190150
अग्निम / Advances	9	39168277	36477004
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	754622	328365
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	3912080	2619908
	जोड़ / Total	83378588	81822651
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities		975167	1305175
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection			757
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।	'	1	

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन—पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

एन.के. चारी N.K.Chari गैर कार्यकारी अध्यक्ष Non Executive Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

संजय मुदालियार
Sanjay Mudaliar
गैर—स्वतंत्र निदेशक
Non-Independent Director
डीआईएन / DIN - 07484086
रिवेन्द्र सिंह नेगी
Ravindra Singh Negi
गैर—स्वतंत्र निदेशक
Non-Independent Director
डीआईएन / DIN - 08248608

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 04.07.2022 निखल मोहन Nikhil Mohan प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 09655509

मनोज शर्मा
Manoj Sharma
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 09085665
एम.के. गोयल
M.K. Goyal
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

बिनीता शाह Binita Shah स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा

Uttam Chand Nahta स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 08533075 विवेक शाह Vivek Sah कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 014461एन FRN-014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj) साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



31 मार्च, 2022 को समाप्त अविध के लिए लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31^{57} MARCH 2022

(रुपये हजार में) / (₹ In Thousands)

	अनुसूची		31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	SCHEDULE	Period Ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	5619884	5931299
अन्य आय / Other Income	14	406377	459919
जोड़ / Total		6026261	6391218
II. व्यय/EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज / Interest Expended	15	3121100	3621528
परिचालन खर्च / Operating Expenses	16	1902134	1618007
प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies		713701	1139067
जोड़ / Total		5736935	6378602
Ⅲ. लाम / PROFIT			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net profit for the year		289326	12616
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		289326	12616
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve		72332	3154
राजस्व और अन्य आरक्षितियांः / Revenue & Other Reserves:			-
।) निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve Account		-29904	-
ii) सामान्य आरक्षित / General Reserve		-	62
iii) धारा 36 (i) (viii) के तहत बनाया गया विशेष रिजर्व		_	9400
special reserve created u/s 36(i)(viii)			3100
प्रस्तावित लाभांश / Interim Dividend Paid			-
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर / Dividend Tax on Interim Dividend Paid			-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		38750	-
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि / Balance Carried over to Balance Sheet		208148	-
जोड़ / Total		289326	12616
प्रति शेयर आय (रू.) / Earnings per Share (₹)			
मूल / Basic		3.73	0.16
तनु / Diluted		3.73	0.16

एन.के. चारी N.K.Chari

गैर कार्यकारी अध्यक्ष Non Executive Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

संजय मुदालियार Sanjay Mudaliar

गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 07484086 रिवन्द्र सिंह नेगी Ravindra Singh Negi गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 08248608

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 04.07.2022 निखिल मोहन Nikhil Mohan

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 09655509

मनोज शर्मा Manoj Sharma

स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665 एम.के. गोयल

M.K. Goyal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer बिनीता शाह Binita Shah स्वतंत्र निदेशक

Racid Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा Uttam Chand Nahta

स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 08533075 विवेक शाह

Vivek Sah कंपनी सचिव Company Secretary हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 014461एन FRN- 014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj)

साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N. No. 094108





31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2022

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	समाप्त वर्ष 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2021
	Period Ended 31.03.2022	
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व शुद्ध लाभ / Net profit before taxes	290353	141716
समायोजन / Adjustments for		
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on fixed Assets	67453	28142
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on investment Written back	115891	30776
निवेश पर किया गया मूल्यहास / Provision made on Investment	91757	141981
एनपीए के संबंध में प्रावधान / Provision in respect of NPA	425250	850101
पुर्नगठित मानक संपत्ति के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restructured	76162	-21707
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items		
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets	-57	6894
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	7154	36926
प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back		0
	1073964	1214829
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in investments	163293	-6458758
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in advances	-2691273	1812879
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in other assets	-1292174	145522
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings		-60
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in deposits	732898	-2668408
अन्य देयता और प्रावधानों मं वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	-27859	-827977
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid	-1027	-129100
परिचालनगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क) / Net cash from operating activities (A)	-2042177	-6911073
ख)/B) निवेश गतिधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from investing activities		
स्थाई आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in fixed Assets	-493654	-37672
व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	0.00	0.00
समनुषंगी / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख) / Net Cash from investing activities (B)	-493654	-37672
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी / शेयर प्रीमियम / Share Capital / Share Premium	0	0
लामांश / Dividend	-38750	-
असुरक्षित प्रतिदेय बांडों पर भुगतान / देय ब्याज/Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (ग) / Net Cash from financing activities (C)	-38750	-
नकदी और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष (क)+(ख)+(ग)/	-2574581	-6948745
Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)		
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष / Opening Cash & cash equivalents	19207224	26155969
नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष/Closing Cash & cash equivalents	16632643	19207224

एन.के. चारी N.K.Chari

गैर कार्यकारी अध्यक्ष Non Executive Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

संजय मुदालियार Sanjay Mudaliar

नित्रभू Mudaila गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 07484086 रिवन्द्र सिंह नेगी Ravindra Singh Negi गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 08248608

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 04.07.2022 निखिल मोहन Nikhil Mohan

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 09655509

मनोज शर्मा Manoj Sharma स्वतंत्र निदेशक

Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665 एम.के. गोयल

M.K. Goyal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer बिनीता शाह Binita Shah स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा Uttam Chand Nahta

स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 08533075 विवेक शाह

Vivek Sah कंपनी सचिव Company Secretary हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 014461एन

FRN- 014461N (सी.ए. घरम राज) / (CA Dharam Raj)

साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



तुलन—पत्र की अनुसूचियां / Schedules to Balance Sheet

अनुसूची 1-पूजी/SCHEDULE 1- CAPITAL

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
प्राधिकृत पूंजी (10 /— रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) (विगत वर्ष 10 /— रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) (Previous Year 15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	1500000	1500000
जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी Issued, Subscribed, Called up and Paid up capital 10 ∕ — रू. प्रति शेयर मूल्य वाले 775,00,000 शेयर 775,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each (बैंक औफ़ बड़ौदा की 98.57 प्रतिशत फीसदी हिस्सेदारी) (Bank of Baroda holds 98.57%)	775000	775000
जोड़ / Total	775000	775000

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
ı	सांविधिक आरक्षितियाँ / Statutory Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1671885	1668731
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	72332	3154
	अंतिम शेष/Closing Balance	1744216	1671885
II	पूँजीगत रिजर्व / Capital Reserve :	162413	164418
क) / a)	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व / Revaluation Reserve	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	164418	262931
	वर्ष के दौरान वृद्धि / addition/deletion during the year		-87097
	परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यह्वास जो लाभ व Depreciation on account of revaluation of हानि खाते को अंतरित किया गया / premises transferred to Profit & Loss Account	-2005	-11416
	अंतिम शेष/Closing Balance	162413	164418
ख) / b)	अन्य / Others	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि / addition during the year	-	-
	अंतिम शेष/Closing Balance	-	-
III	शेयर प्रीमियम/Share Premium :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	775000	775000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction During the Year*	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	775000	775000



		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves	-	-
(i)	निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	120717	19117
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	91757	101600
	घटाएं : सामान्य प्रावधान को अंतरण / Less: Transferred To General Provision	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	212474	120717
(ii)	अन्य रिजर्वं / Other Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2087731	2076253
	जोड़ें : लाम—हानि खाते से अन्तरित की गई राशि / Addition : Transferred from Profit & Loss Account	210153	11478
	कटौती / Deduction:	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	2297884	2087731
	निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve A/C	10478	40382
	विशेष रिजर्व खंड 36 (I) (VIII) के अन्तर्गत / special reserve u/s 36(1) (VIII)	255358	245958
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Adition During the Year	0	9400
	अंतिम शेष / Closing Balance	255358	255358
	जोड़ / Total (IV)	2776194	2504188
V	लाभ और हानि खाते का शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	जोड़ / Total (I,II,III, IV & V)	5457824	5115491

अनुसूची 3 - जमाएँ / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
क/A	।) माँग निक्षेप / Demand Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	9911	26676
	ii) अन्य से / From Others	4627820	4364829
	जोड़ / Total	4637731	4391505
	॥) बचत बैंक जमाएँ / Savings Bank Deposits	25773441	23880593
	III) सावधि जमाएँ / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	3723925	5886381
	ii) अन्य से ∕ From Others	40723688	39967409
	जोड़ / Total	44447613	45853790
	जोड़ / Total (।, ॥ एवं / & ॥)	74858785	74125888
ख/B	।) भारत में शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches in India	74858785	74125888
	॥) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches outside India		0
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	74858785	74125888



अनुसूची 4- उधार/SCHEDULE 4-BORROWINGS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	भारत में उधार/Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
	ii) अन्य बैंक / Other Banks	-	-
	iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	-	-
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	-	-
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	-	-
III	जमानती उधार राशियां जो उपरोक्त । में शामिल हैं Secured Borrowings Included in I above	-	-

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और उपबंध / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS (रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	संदेय बिल / Bills Payable	294996	272884
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	-	
III	उपार्जित ब्याज / Interest Accrued	118058	82443
IV	अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं) / Others (Including Provisions)	1873925	1450945
V	अग्रिम दिया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax Paid in advance/tax deducted at source	-	-
	जोड़ / Total (I से / to V)	2286979	1806272
	नोट : टियर ॥ पूंजी हेतु लिए गए अधीनरुप ऋण NOTE: Subordinated Debts raised in Tier II Capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
I	नकदी (इसमें विदेशी करैंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (Including foreign currency notes nil)	292266	210179
II	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	2917484	3205528
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0	0
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	3209750	3415707



अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
ı	भारत में / In India		
	i) बैंकों में बैलेंश / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	147293	131517
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	11425600	14260000
	जोड़ / Total	11572893	14391517
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	600000	400000
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	1250000	1000000
	जोड़ / Total	1850000	1400000
	जोड़ / Total (i एवं / & ii)	13422893	15791517
II	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	जोड़ / Total (। एवं / & ।।)	13422893	15791517

अनुसूची — 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	23057633	23220926
	घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	146667	30776
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	22910966	23190150
	अलग—अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	20815629	20521329
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities		
	iii) शेयर / Shares		
	iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	1854581	2429332
	v) समनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचूअल फंडस, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	240756	239489
	जोड़ / Total	22910966	23190150
Ш	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	जोड़ / Total (। एवं / & ।।)	22910966	23190150



अनुसूची - 9 अग्रिम/ SCHEDULE 9- ADVANCES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

3 G			
		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
क) / A	i) क्रय किये गये और मितीकाटे पर भुगतान किये गये विनिमय पत्र Bills Purchased and Discounted	4390	9540
	ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रति—संदेय उधार Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	20321409	19725107
	iii) सावधि उधार / Term Loans	18842479	16742357
	जोड़ / Total	39168277	36477005
ख)/B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by Tangible Assets	36271937	35669782
	ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Govt. Guarantees	8	160
	iii) अप्रतिभूत / Unsecured	2896332	807062
	जोड़ / Total	39168277	36477004
ग) / c	।) भारत में अग्रिम / Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	18635847	20718768
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण/Net Priority Sector	18635847	20718768
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	1985	7452
	iii) बैंक / Banks		-
	iv) अन्य / Others	20530445	15750784
	जोड़ें: बीओबी से सहभागिता में आईबीपीसी Add: IBPC participation with BOB		
	शुद्ध अन्य / Net Others	39168277	36477004
	॥) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	जोड़ / Total	39168277	36477004

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	परिसर / Premises		
	(पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर $/$ पुनर्मूल्यांकित राशि) $/$ At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	220799	334737
	वर्ष के दौरान परिवर्धन $$ Addition during the Period	1468	64046
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Deduction during the Period	-	177985
	अद्यतन मूल्यहास — (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यह्नास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	29047	27042
	ब्लाक । का अ. शेष / Closing Block I	193220	193756
II	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceeding year	595503	537883
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the period*	492425	57960
	वर्ष $$ कं दौरान $$ कटौतियां $$ / Deductions during the period	222	339
	अद्यतन अवक्षयण / Depreciation to date	526304	460895
	ब्लाक ॥ का शेष / Closing Block II	561402	134609
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	754622	328365



अनुसूची - 11- अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustment (Net)	97293	239
II	उपार्जित ब्याज / Interest Accrued	661882	810486
III	अग्रिम रूप से कर भुगतान / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	208260	188989
IV	स्टेशनरी और स्टाम्प / Stationery and Stamps	41	37
V	अन्य / Others	2944604	1620157
	जोड़ / Total (। से / to V)	3912080	2619908

अनुसूची - 12 समाश्रित दायित्व/SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
ı	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as Debts	4754	4754
II	धोखाघड़ी के विरूद्ध देनदारी / Liability against frauds	0	0
III	घटकों की ओर से दी गई गारंटी—भारत में Guarantees given on behalf of constituents - IN INDIA	676625	838272
IV	स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	11808	148830
V	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	281980	313316
	जोड़ / Total (। से / to V)	975167	1305172

अनुसूची — 13— अर्जित ब्याज/schedule 13- Interest Earned

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
I	अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा Interest/Discount on Advances/Bills	3308186	3239533
II	निवेशों पर आय (शुद्ध) / Income on Investments (NET) घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधित राशि Less:amount amortised during the year	1556006	1453887
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर—बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	706477	1102955
IV	अन्य / Others	49215	134925
	जोड़ / Total (। से / to IV)	5619884	5931299



अनुसूची - 14- अन्य आय/SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange & Brokerage	27620	25761
II	निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि Profit / Loss on sale of investments घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of investments	96659	163011
III	निवेश के पुनर्मल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments घटाएं: निवेश के पुर्नमूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	-53282	0
IV	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	57	-6894
V	विविध आय / Miscellaneous Income	318604	262124
VI	तृतीय पार्टी का कमीशन / Third party commission	16718	15917
	जोड़ / Total (I से to VI)	406377	459919

अनुसूची—15— व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED (रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	जमाओ पर ब्याज / Interest on Deposits	3121087	3621333
Ш	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI /Inter Bank Borrowings	13	196
III	अन्य / Others	0	0
	जोड़ / Total (। से to III)	3121100	3621528

अनुसूची - 16- परिचालन व्यय/ SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	1132660	999314
Ш	किराया, कर और रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	167690	155964
Ш	मुद्रण और लेखन—सामग्री / Printing and Stationery	11492	7761
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	2803	3787
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य हास/Depreciation on Bank's Property घटाइए — परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास/Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	67453	28142
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	2110	647
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षक के शुल्क और व्यय सहित) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	6024	3019
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	8275	13735
IX	डाक, तार, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	11736	8774
Х	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance	13315	18834
XI	बीमा / Insurance	82922	80875
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	395654	297154
	जोड़ / Total (। से to XII)	1902134	1618007



अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतिया

1. पृष्टभूमि

नैनीताल बैंक लिमिटेड, वर्ष 1922 में नैनीताल, उत्तराखंड में निगमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है और वाणिज्यिक बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सिंहत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगी हुई है।

2. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर गोइंग कंसर्न अवध्यारणा के आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय—समय पर निर्धारित वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड शामिल होते हैं।, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानक (एएस), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ—साथ भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की सीमा तक। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अन्रूप हैं।

3. अनुमानों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अविध के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सिहत) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से मिन्नहो सकता है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अविधयों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

4. निवेशः

- 4.1 निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है -
 - (i) परिपक्वता तक धारित (HTM)
 - (ii) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और
 - (iii) बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के तहत उप—वर्गीकरण के साथ, (i) सरकारी प्रतिभूतियां, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर और बांड, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य—की इकाइयाँ म्युचुअल फंड, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, सुरक्षा रसीदें और अन्य निवेश है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BACKGROUND

The Nainital Bank Limited, incorporated in Nainital, Uttarakhand in the year 1922, is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949 and is engaged in providing a wide range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations.

2. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, notified Accounting Standards (AS) issued under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable and current practices prevailing in the banking industry in India. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

4. INVESTMENTS:

- 4.1 Investments are categorized into three categories
 - (i) Held to Maturity (HTM),
 - (ii) Held for Trading (HFT) and
 - (iii) Available for Sale (AFS)

with sub-classification under each category viz., (i) Government Securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Debentures & Bonds, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) Others – Units of Mutual Funds, Certificate of Deposits, Commercial Paper, Security Receipts and other investments, in accordance with RBI guidelines.





जिस श्रेणी के तहत निवेश को वर्गीकृत किया जाएगा, उसका निर्धारण अधिग्रहण के समय किया जाएगा। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री के लिए रखे जाते हैं, उन्हें "ट्रेडिंग के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचएफटी सिक्योरिटीज जो 90 दिनों की अवधि के लिए बिना बिके रहती हैं, उस तारीख को एएफएस सिक्योरिटीज के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। निवेश जो उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के स्थानांतरण की तारीख पर प्रचलित अधिग्रहण लागत / बुक वैल्यू / बाजार मूल्य में से कम से कम और ऐसी स्थानांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभृतियों के अधिग्रहण पर किसी भी प्रीमियम को एक सीधी रेखा के आधार पर सुरक्षा की शेष परिपक्वता पर परिशोधित किया जाता है। एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश मार्क-टू-मार्केट हैं। 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में शामिल उद्धत निवेशों का बाजार / उचित मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडों / उद्धरणों, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची से उपलब्ध स्क्रिप के बाजार मूल्य के संबंध में मापा जाता है या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्य। निवेश वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी के भीतर शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। निवेश की प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोडकर जहां अस्थायी के अलावा अन्य कमी का प्रावधान किया गया है, निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का बुक वैल्यू नहीं बदला जाता है।

बैंक निवेश की खरीद / बिक्री के लिए लेखांकन की निपटान तिथि पद्धति और निवेश की बिक्री पर लागत और लाभ के लेखांकन के निर्धारण के लिए भारित औसत लागत पद्धति का अनुसरण करता है। अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए निवेश से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि लाभ और हानि खाते में लगाए जाते हैं। ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, रियायती लिखत होने के कारण, मूल्य वहन लागत पर किया जाता है। म्युचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / एनएवी पर किया जाता है। गैर-उद्धृत बांड, डिबेंचर और वरीयता शेयरों के मामले में जहां ब्याज / लाभांश नियमित रूप से प्राप्त होता है (अर्थात 90 दिनों से अधिक अतिदेय नहीं), बाजार मूल्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) के आधार पर निकाला जाता है जैसा कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) / फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) द्वारा प्रकाशित

The category under which the investments would be classified is decided at the time of acquisition. Investments which the bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity". Investments which are primarily held for sale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading".

As per RBI guidelines, HFT Securities which remain unsold for a period of 90 days are classified as AFS Securities on that date. Investments which are not classified in either of the above two categories are classified as "Available for Sale".

Shifting of securities among the categories is accounted at the least of the acquisition cost / book value / market price prevailing on the date of shifting and depreciation, if any, on such shifting is fully provided for. Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost. Any premium on acquisition of government securities are amortized over the remaining maturity of the security on a straight line basis. Investments classified under the AFS and HFT categories are marked-to-market. The market / fair value of quoted investments included in the 'AFS' and 'HFT' categories is measured with respect to the Market Price of the Scrip as available from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI or prices declared by Financial Benchmark India Private Limited, periodically. Net depreciation, if any, within each category of investment classification is recognised in Profit and Loss Account. The net appreciation, if any, under each category of Investment is ignored, Except in cases where provision for diminution other than temporary is created, the book value of individual securities is not changed consequent to the periodic valuation of Investments.

The Bank follows settlement date method of accounting for purchase / sale of investments, and weighted average cost method for determining cost and accounting of profit on sale of investments. Brokerage, commission and securities transaction tax (STT) etc., pertaining to investment, paid at the time of acquisition are charged to the profit and loss account. Broken period interest on debt instruments and government securities is treated as a revenue item. Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost. Units of Mutual Funds are valued at the latest repurchase price / NAV declared by the Mutual Fund. In case of unquoted bonds, debentures and preference shares where interest / dividend is received regularly (i.e. not overdue beyond 90 days), the market price is derived based on the Yield to Maturity (YTM) for Government Securities as published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL)/Fixed Income



किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग पर लागू क्रेडिट जोखिम के लिए उपयुक्त रूप से चिहिनत किया जाता है। गैर—निष्पादित निवेशों की पहचान की जाती है और उनका मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। एचएफटी और एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री / निवेश की बिक्री / मोचन लाभ और हानि खाते में शामिल हैं। एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार कर और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरण के समायोजन के बाद पूंजी रिजर्व में विनियोजित किया जाता है।

4.2 निवेश में उतार-चढाव आरक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपन्न संख्या आरबीआई / 2017–18 / 147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.102 / 21.04.048 / 2017–18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018–19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ या (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी ओर एएफएस पोर्टफोलियों का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

5 अग्रिमों और उस पर प्रावधान:

अग्रिमों को मानक और गैर—निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं। तुलन—पत्र में उल्लिखित अग्रिमों को, प्रावधानों, ब्याज उचंत, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और विनियोग के लंबित और विविध खाते में रखे गए वसूलियों को घटाकर दिखाया गया है। गैर—निष्पादित अग्रिमों पर ब्याज एक अप्राप्त ब्याज खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी जाती है। बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर अब आवश्यक नहीं समझे जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है। पुनर्गठन / पुनर्निर्धारित आस्तियों के संबंध में, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें पुनर्गठन पर प्रदान की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में कमी, जैसा भी लागू हो, शामिल है।

आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मानक पिरसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है। अंतर—बैंक भागीदारी के माध्यम से अग्रिमों का हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के साथ और बिना जोखिम के किया जाता है। जोखिम के साथ भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को अग्रिम में से घटाया/शामिल किया जाता है। जोखिम रहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को उधार/निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) and suitably marked up for credit risk applicable to the credit rating of the instrument. Non Performing Investments are identified and valued based on RBI guidelines. Sale / Redemption of Investments Profit or loss on sale / redemption in respect of securities in HFT and AFS category is included in the Profit and Loss account. Profit on sale / redemption of investments in HTM category is included in the Profit and Loss Account and is appropriated to Capital Reserve after adjustments for tax and transfer to Statutory Reserve, as per RBI guidelines.

4.2 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017- 18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are classified as standard and non-performing assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by RBI. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions, interest suspense, claims received from credit guarantee institutions and recoveries pending appropriation and held in sundry account. Interest on non-performing advances is transferred to an unrealized interest account and not recognized in profit and loss account until received. Amounts recovered against debts written off is recognised as income and provisions no longer considered necessary based on the current status of the borrower, is reversed to the profit and loss account. In respect of restructured / rescheduled assets, provision is made in accordance with RBI guidelines, including diminution in the fair value of the assets to be provided on restructuring, as applicable.

Provision for standard assets, is made in accordance with the guidelines and at levels stipulated by RBI from time to time. Transfer of advances through inter-bank participation is undertaken with and without risk in accordance with RBI guidelines. In case of participation with risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is reduced from / included in advances. In case of participation without risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is classified under borrowings / investments.





अचल सपत्तिः

परिसर और अन्य अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिखा जाता है क्योंकि मुल्यहास को बटटे खाते में डाल दिया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय, और जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध) जैसे सभी व्यय शामिल हैं। पहले से उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर होने वाले बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि होती है ।

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्याकन

वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर (हर तीसरे वर्ष) परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मुल्यांकन पर मुल्यांकन, यदि कोई हो, पूंजी भंडार के तहत पुनर्मृल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मृल्यांकन संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली संपत्ति की वहन राशि में कमी को लाभ और हानि के विवरण पर आरोपित किया जाना चाहिए। हालांकि, कमी को उस परिसंपत्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक सीधे पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को डेबिट किया जाना चाहिए।

मूल्यहासः 7.

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास पैराग्राफ 7.2 में संदर्भित के अलावा 7.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ॥ के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के मामले में, जिसके संबंध में मुल्यहास इन पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

क्र. सं	अचल संपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास / परिशोधन चार्ज करने की विधि	मूल्यड्रास/ परिशोधन दर/
1.	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप)	सीधी रेखा विधि	33.33% हर साल
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बना रहा है.	सीधी रेखा विधि	33.33% हर साल
3.	हाई एंड सर्वर और नेटवर्क / नेटवर्क डिवाइस (डेटा सेंटर आदि) /	सीधी रेखा विधि	16.67% हर साल
4.	कोर बैंकिंग समाधान अर्थात फिनेकल 10 और संबंधित कार्यान्वयन लागत	सीधी रेखा विधि	16.67% हर साल
5.	अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर और फिटिंग, प्लांट और मशीनरी, वाहन और कार्यालय उपकरण)/	लिखित रेखा विधि	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत दी गई उपयोगी जीवन के आधार पर विभिन्न दरें

FIXED ASSETS:

Premises and other fixed assets are accounted for at historical cost as reduced by depreciation written off. The cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation cost, expenditure incurred for development of software, and GST (net of ITC). Subsequent expenditure incurred on the assets already in use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capacity.

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by two independent valuers, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve. A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

7. **DEPRECIATION:**

7. 1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 7.2] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation/	Depreciation/ amortization rate
1.	Computers (End user device such as laptop, desktop)	Straight Line Method	33.33% every year
2.	Computer software's, forming an integral part of hardware	Straight Line Method	33.33% every year
3.	High End Servers and networks/Network devices (Data Centers etc)	Straight Line Method	16.67 % every year
4.	Core Banking Solution viz Finacle 10 and related Implementation cost.	Straight Line Method	16.67 % every year
5.	Other fixed assets (Furniture & Fittings, Plant & Machinery, Vehicles and Office Equipment's)	Written down value method	Various rates depending upon useful life given under Schedule II of Companies Act 2013



7.2 कंप्यूटर (लैपटॉप / डेस्कटॉप / प्रिंटर) और कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बनने वाले सॉफ्टवेयर पर मूल्यड्रास, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 33.33% प्रति वर्ष की दर से सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

परिवर्धन पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से खरीद / उपयोग में लाने की तिथि से प्रदान किया जाता है।

कर्मचारी लाभ

8.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि नैनीताल बैंक लिमिटेड पीएफ नियमों के अनुसार एक वैधानिक दायित्व है, बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। फंड का प्रबंधन द नैनीताल बैंक लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

8.2 ग्रेच्युटी

नैनीताल बैंक लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान एक वैधानिक दायित्व है। यह एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

8.3 पेंशन

पंशन देयता नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पंशन विनियम 1995 के तहत एक परिभाषित लाभ दायित्व है, और यह उन कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए हैं और पंशन का विकल्प चुना है। पेंशन देयता नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है।

नई पेंशन योजना जिन कर्मचारियों में से योजना के तहत बैंक में सेवा ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है, बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान देता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

8.4 वेतन संशोधन— बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), (बैंकों के प्रबंध ान का एक प्रतिनिधि निकाय) और कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होता है। पिछला वेतन संशोधन 01 नवंबर 2017 से लागू हो गया था।

9. आय अभिज्ञान

आय और व्यय को आम तौर पर उपार्जन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो। गैर—निष्पादित आस्तियों के अलावा अन्य ऋणों, अग्रिमों और निवेशों से ब्याज/अन्य प्रभारों को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। गैर—निष्पादित अग्रिमों/निवेशों पर ब्याज आय को

7.2 Depreciation on Computers (Laptops/Desktop/Printer) and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.

8.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees enrolled under the scheme is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 Wage revision- The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations. The last wage revision had become applicable w.e.f. November 01, 2017.

9. REVENUE RECOGNITION

Income and Expenditure are generally accounted on accrual basis, except otherwise stated. Interest/other charges from loans, advances and investments other than on non-performing assets, are recognized on accrual basis. Interest income on nonperforming Advances/



आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूली पर मान्यता दी जाती है।

गैर निष्पादित अग्रिमों में की गई वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाती है:

- क) गैर-निष्पादित आस्तियों के मामले में, वसूलियों को प्रभारों,
 ब्याज और मूल देय राशियों के क्रम में विनियोजित किया जाता
 है:
- ख) एकमुश्त निपटान खातों के मामले में पहले वसूलियों को मूलधन शेष में समायोजित किया जाता है। समझौता निपटान मामलों में /परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बिक्री में, खाते के बंद होने के समय निपटान पर सैक्रिफाइस का हिसाब लगाया जाता है।

बैंक गारंटी / साख पत्र, लॉकर किराया, बैंक आश्वासन और तीसरे पक्ष के उत्पादों पर कमीशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र व्यापार, कार्ड पर वार्षिक शुल्क रसीद के आधार पर हिसाब किया जाता है।

स्वीकृत / वितरित ऋणों पर एकत्रित प्रसंस्करण / अन्य शुल्क, संबंधित ऋण अधिग्रहण लागत के साथ सुविधा की स्थापना / नवीनीकरण पर मान्यता प्राप्त है।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय और आयकर रिफंड पर ब्याज को मान्यता दी जाती है। माल और सेवा कर इनपुट क्रेडिट को सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पुस्तकों में संशोधित किया गया है।

10. आय पर करः

आयकर व्यय में न्यायिक घोषणाओं और कानूनी राय (यानी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि, उसके तहत बनाए गए नियमों और निर्धारित सामग्री सिद्धांतों पर विचार करने के बाद किए गए वर्तमान कर प्रावधान शामिल हैं। आय गणना और प्रकटीकरण मानकों में) और वर्ष के दौरान आस्थिगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन।

आस्थिगित आय कर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानते हैं जो एक अविध में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अविध में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थिगित कर आस्तियों को उनकी भविष्य की प्रतिवर्तिता की सीमा तक खाते की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है। आस्थिगित कर देनदारियों को प्रोद्भवन के वर्ष में पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। आस्थिगित कर को कर दरों और तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है।

11. प्रति शेयर आय

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय Investments are recognized upon realisation, as per prudential norms prescribed by RBI.

Recoveries made in non-performing advances are appropriated as under:

- a) In case of Non-Performing assets, the recoveries are appropriated in the order of charges, interest and principal dues;
- b) In case of One Time Settlement accounts the recoveries are first adjusted to principal balance. In compromise settlement cases / sale to Asset Reconstruction Companies (ARC), sacrifice on settlement is accounted at the time of closure of account.

Commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, banc assurance and third party products, Priority Sector Lending Certificate trading, annual fee on cards are accounted on receipt basis.

Processing / other fees collected on loans approved / disbursed, along with related loan acquisition costs are recognised at inception / renewal of the facility.

Dividend income and interest on Income Tax refund is recognised when the right to receive payment is established. Goods & Service Tax input credit is accounted for in the books within the time limit prescribed under CGST Rules, 2017, as amended.

10. TAXES ON INCOME:

Income Tax expense comprises of current tax provision made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion (i.e. the amount of tax for the period determined in accordance with the Income Tax Act, 1961, the rules framed there under and considering the material principles set out in Income Computation and Disclosure Standards) and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Deferred income taxes recognize timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets are recognized in the books of account to the extent of their future reversibility. Deferred Tax Liabilities are recognized fully in the year of accrual. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

11. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share)



की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना अविध के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और अविध के दौरान बकाया कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की गई है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के अनुसार, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह होगा दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व का खुलासा तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर—दूर तक न हो। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय की पहचान हो सकती है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14. नकदी और नकद समकक्ष

नकदी और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा शामिल है।

15 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।है। issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

13. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

14. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

15. Corporate Social Responsibility

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013 is recognised in the Profit and Loss Account.



अनुसूची 18: 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

- 1. नियामक पूंजी / Regulatory Capital
- क) नियामक पूंजी की संरचना / a) Composition of Regulatory Capital

क्र.सं / Sr No.	विवरण /Particulars	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	592.06	563.90
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	NIL	NIL
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)/(i + ii)/Tier 1 capital (i + ii)	592.06	563.90
iv)	टियर 2 पूंजी /Tier 2 capital	41.33	34.47
v)	कुल पूंजी टियर 2 पूंजी / Total capital (Tier 1+Tier 2)	633.39	598.37
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4508.86	4376.40
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)/ CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	13.13%	12.88%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.13%	12.88%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.92%	0.79%
×)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीएसआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) / Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.05%	13.67%
xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	6.86%	6.65%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of भारत सरकार / Government of India राज्य सरकार / State Government प्रायोजक बैंक / Sponsor Bank	NIL	NIL
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL	NIL
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर—इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	NIL	NIL

बी) रिज़र्व से आहरण

वाणिज्यक बैंकों (दिशानिर्देश), 2021 के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार एएफएस पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) से 2.99 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है, जो निवेश की ऐसी श्रेणी में एमटीएम के बराबर है (करों का शुद्ध और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि का शुद्ध) है।

b) Draw down from Reserves

An amount of ₹ 2.99 Crores have been utilized from Investment reserve account (IRA) during the Financial Year on account of depreciation in the AFS portfolio] which is equivalent to MTM in such category of investment (net of Taxes and net of amount required to be transferred to Statutory Reserve) in accordance with RBI Master Direction on Classification] Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions] 2021



संपत्ति देयता प्रबंधन

ए) 31-03-2022 को संपत्ति और देनदारियों की कुछ वस्तुओं की परिपक्वता पैटर्न

Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31-03-2022

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

देयताएं / Liabilities	1 दिन / 1 day	2 से 7 दिन/ 2 to 7 days	8 से 14 दिन/ 8 to 14 days	15 से 30 दिन / 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह / 31 days to 2 months	2 माह से 3 माह तक/2 month to 3 month	3 माह से अधिक — और 6 माह तक/ Over 3 months & up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक/ Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	कुल / Total
जमाराशियां/ Deposits	122.66 (86.93)	216.17 (190.93)	241.50 (216.99)	205.12 (173.48)	307.23 (383.66)	388.07 (389.33)	927.32 (1267.74)	1514.15 (1464.71)	3456.02 (3130.62)	88.12 (90.93)	19.52 (17.27)	7485.88 (7412.59)
अग्रिम / Advances	18.10 (23.13)	89.18 (98.13)	104.16 (117.86)	207.95 (227.36)	105.48 (109.41)	104.29 (112.05)	1.90 (57.28)	6.48 (128.23)	1569.41 (1649.34)	342.01 (415.77)	1367.87 (709.14)	3916.83 (3647.70)
निवेश / Investments	6.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (19.13)	49.88 (0.00)	84.73 (44.67)	0.00 (16.62)	135.04 (148.00)	40.24 (156.76)	270.95 (360.89)	694.37 (547.93)	1009.63 (1025.02)	2291.10 (2319.02)
उधारियां / Borrowings	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं/ Foreign Currency liabilities	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि (31 मार्च 2021) के आंकड़े दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2021)



लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(राशि करोड़ रू. में)

(Amount in ₹ Cr)

		पहली तिमाही 20 Q1 2021		दूसरी तिमाही 20 Q2 2021		तीसरी तिमाही 2 Q3 2021		चौथी तिमाही 20 Q4 2021	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
उच्च	गुणवत्ता वाली तरल व	भ्रास्तियां / High	Quality Liqu	uid Assets					
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)/ Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		2073.47		2069.11		2086.82		2138.68
नकर्द	प्रवाह / Cash Outflo			T	ı		ı		
2.	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा, जिनमें से/ Retail deposits and deposits from small business customers	5358.59	340.85	5423.15	345.95	5464.26	349.69	5522.52	353.90
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	3900.28	195.01	3927.29	196.36	3934.64	196.73	3967.10	198.36
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	1458.31	145.83	1495.87	149.59	1529.62	152.96	1555.42	155.54
3.	असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से / Unsecured wholesale funding of which	1553.33	855.49	1604.74	916.41	1518.99	820.42	1535.13	824.60
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)/ Operational deposits (all counterparties)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
(ii)	गैर—परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार) / Non-operational deposits (all counterparties)	1553.33	855.49	1604.74	916.41	1518.99	820.42	1535.13	824.60
(iii)	असुरक्षित ऋण / Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सुरक्षित थोक वित्त पोषण / Secured wholesale funding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		पहली तिमाही 20 Q1 2021		दूसरी तिमाही 2 Q2 2021		तीसरी तिमाही 2 Q3 2021		चौथी तिमाही 2 Q4 2021	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से/ Additional requirements, of which	626.99	34.73	613.61	33.16	584.75	31.56	582.45	31.83
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	626.99	34.73	613.61	33.16	584.75	31.56	582.45	31.83
6.	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व / Other contractual funding obligations	122.74	122.74	115.61	115.61	159.87	159.87	217.14	217.14
7.	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व / Other contingent funding obligations	123.40	3.70	121.82	3.65	125.32	3.76	123.30	3.70
8.	कुल नकद बहिर्वाह/ Total Cash Outflows	7785.05	1357.50	7878.93	1414.79	7853.18	1365.30	7980.53	1431.17
नकर्द	ो इनफ्लो / Cash Inflo	ws							
9.	सुरक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		पहली तिमाही 20 Q1 2021		दूसरी तिमाही 20 Q2 2021		तीसरी तिमाही 2 Q3 2021		चौथी तिमाही 2 Q4 2021	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल मारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित भूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह/ Inflows from fully performing exposures	216.54	216.37	292.99	292.49	190.09	189.79	153.81	151.68
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	200.68	100.34	215.26	107.63	229.19	114.59	249.94	124.97
12.	कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Inflows	417.22	316.71	508.25	400.12	419.27	304.38	403.75	276.65
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	कुल एचक्यूएलए / Total HQLA		2073.47		2069.11		2086.82		2138.68
14.	कुल नकद बहिर्वाह घटा कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Outflows less Total Cash Inflows	7367.83	1040.79	0.00	1014.67	7433.91	1060.92	7576.79	1154.52
15.	कुल नकदी वहिगर्मन का 25% / 25% of Total Cash outflows	1946.26	339.38	0.00	353.70	1963.30	341.32	1995.14	357.79
16.	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह (14 या 15 से अधिक) / Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]	7367.83	1040.79	0.00	1014.67	7433.91	1060.92	7576.79	1154.52
17.	तरलता कवरेज अनुपात(%) (एचक्यूएलए/ कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह/Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/ Total Net Cash Outflows)		199.22%		203.92%		196.70%		185.24%

गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल सिमित (बीसीबीएस) ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रस्ताव दिया था तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों की अविध तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण तरलता तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। LCR को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए फ्फर। के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई के दिशा—निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम एलसीआर 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

1 जनवरी से शुरू	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा कोविड 19 महामारी के कारण आरबीआई ने 17.04.2020 से एलसीआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।, विवरण नीचे दिया गया है:

सर्कुलर की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

LCR में दो घटक होते हैं:

- (ए) स्ट्रेस्ड परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- (बी) कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाहः शब्द "कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह" को बाद के 30 कैलेंडर दिनों (स्ट्रेस्ड अवधि) के लिए निर्दिष्ट तनाव परिदृश्य में "कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह" घटा "कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति / कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह का स्टॉक>=100%

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए):

तरल संपत्ति में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें आसानी से बेचा या उपयोग किया जा सकता है तािक विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों में धन प्राप्त किया जा सके। उन्हें बिना किसी कानूनी, नियामक या परिचालन बाधाओं के भारमुक्त होना चािहए। संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति माना जाता है यदि उन्हें आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मृल्य का कोई नृकसान नहीं होता है।

एचक्यूएलए की बैंक की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा और एलसीआर (एफएएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, इसके अतिरिक्त, नकद, आरबीआई के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक शेष, शामिल हैं। लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए— और उससे ऊपर के कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर शामिल थे।

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

- (a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- (b) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash
Outflows over the next 30 calendar days >=100%

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.



बैंक के नकद बहिर्वाह में मुख्य रूप से खुदरा जमा, असुरक्षित थोक निधिकरण, और अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से धन, आहरित कमिटेड क्रेडिट शामिल हैं।

कैश इनफ्लो में मुख्य रूप से रिटेल और लघु व्यवसाय प्रतिपक्ष से प्राप्त राशि शामिल है, गैर–वित्तीय थोक प्रतिपक्षों से प्राप्त होने वाली राशि, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशि और आर बी आई, अन्य संविदात्मक से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ—साथ गैर—आहरण प्रतिबद्धताओं को , आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा ऑफसेट लागू करके की जाती है।

मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता अर्थात 100% से अधिक, आसानी से 185.24% था। औसत नकद बहिर्वाह रु.143.17 करोड़ था, औसत नकदी अंतर्वाह रु. 276.65 करोड़ था। मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति 2138.68 करोड़ रुपये थी।

ग) एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

एनएसएफआर गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के राशि के रूप में परिभाषित किया गया है;

NSFR= (उपलब्ध स्थिर फंडिंग (ASF)) / (आवश्यक स्थिर फंडिंग (RSF))

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन—पत्र से बाहर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एनएसएफआर घटकों का भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर 31 दिसंबर 2021 को 206.52% और 31 मार्च 2022 को 216.17% था, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR for the quarter ended March 2022 was 185.24% comfortably above RBI prescribed minimum requirement i.e. 100%. Average cash outflows were ₹ 1431.17 Crore, Average cash inflows were ₹ 276.65 Crores. Average High Quality Liquid Assets were ₹ 2138.68 Crores of the quarter ended March 2022.

c) NSFR Disclosure Standards

NSFR Qualitative Disclosure

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding;

NSFR= (Available Stable Funding (ASF)) / (Required Stable Funding (RSF))

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st December 2021 and 31st March 2022 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 206.52% as on 31st December 2021 and 216.17% as on 31st

अनुसार 100% की आवश्यकता थी।

एनएसएफआर से संबंधित प्रकटीकरण की निरंतरता और उपयोगिता को बढ़ावा देने और बाजार अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बैंक को आरबीआई द्वारा दिए गए एक सामान्य टेम्पलेट के अनुसार अपना एनएसएफआर प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए बैंक को वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के साथ इस प्रकटीकरण को प्रकाशित करना आवश्यक है (अर्थात आमतौर पर त्रैमासिक या अर्ध—वार्षिक), बिना आक्षेप के ही वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई हो। NSFR जानकारी की गणना समेकित आधार पर की जाती है और भारतीय रुपये में प्रस्तुत की जाती है।

आंकड़ों को तिमाही—अंत टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनएसएफआर घटकों के भारित और भारित दोनों मूल्यों का घोषित तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो। भारित मूल्यों की गणना एएसएफ (उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण) या आरएसएफ (आवश्यक स्थिर वित्त पोषण) कारकों को लागू करने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 05.02.2021 में निर्णय लिया कि एनएसएफआर दिशानिर्देश 1, 2021 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। March 2022 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

To promote the consistency and usability of disclosures related to the NSFR and to enhance market discipline, bank is required to publish its NSFR according to a common template given by RBI. Bank is therefore required to publish this disclosure along with the publication of financial statements (i.e. typically quarterly or semi-annually), irrespective of whether the financial statements are audited. The NSFR information is calculated on a consolidated basis and presented in Indian Rupee.

Data must be presented as quarter-end observations. Both un-weighted and weighted values of the NSFR components are to be disclosed unless otherwise indicated. Weighted values are calculated as the values after applying ASF (Available stable funding) or RSF (Required stable funding) factors.

RBI in its circular dated 05.02.2021 decided that NSFR guidelines will come into effect from October 1,2021.

			/ A		रुपये करोड़ मे	/(₹ in Crore)			
			Appendix II	T	24 42 2024				
	एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पले	अव	/ NSFR DISCIOS शिष्ट परिपक्वता इ eighted value l		य /	भारित			
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	6 महीने से ≥ 1 वर्ष / 6 months to < 1yr	≥1 वर्ष / ≥ 1yr	मूल्य / Weighted value			
एएसएफ आइटम / ASF Item									
1	पूंजी / Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	633.39	633.39			
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	633.39	633.39			
3	अन्य पूंजीगत साधन / Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा / Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	0.00	0.00	5796.65	0.00	5387.82			
5	स्थिर जमा / Stable deposits	0.00	0.00	3416.66	0.00	3245.83			
6	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	0.00	0.00	2379.99	0.00	2141.99			
7	थोक निधि /Wholesale funding: (8+9)	0.00	0.00	1366.07	0.00	683.04			
8	परिचालन जमा / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	अन्य थोक वित्त पोषण / Other wholesale funding	0.00	0.00	1366.07	0.00	683.04			



अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित Unweighted value by residual						भारित
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	6 महीने से ≥ 1 वर्ष / 6 months to < 1yr	≥1 वर्ष / ≥ 1yr	मूल्य / Weighted value
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	11.81	119.50	119.50
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	0.00	11.81	119.50	119.50
13	कुल एएसएफ ∕ Total ASF (1+4+7+10)					6823.74
आरएर	मएफ आइटम / RSF Item		,			
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादनः / Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	0.00	637.53	3052.84	2303.12
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना/ Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर—वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें सेः / Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	0.00	637.53	0.00	318.77
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल ॥ मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



			य / nturity	भारित		
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	6 महीने से ≥ 1 वर्ष / 6 months to < 1yr	≥1 वर्ष / ≥ 1yr	मूल्य / Weighted value
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	2,598.59	1,689.08
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल ॥ मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ/ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	3052.84	1984.35
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज—ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त है / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य संपत्तियांः (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	1791.15	737.77	364.70	847.04
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां डिफ़ॉल्ट निधियों में अनुबंध और योगदान/ CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां भिन्नता मार्जिन पोस्ट किया गया / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories		1791.15	737.77	364.70	847.04
30	ऑफ–बैलेंस शीट आइटम / Off-balance sheet items		130.57	0.00	0.00	6.53
31	कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)					3156.69
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)					216.17%



3. निवेश / Investment

क) 31 मार्च 2022 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचनाः/ a) Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2022

(राशि रु. करोड़ में) / Amount in (crore)

								(राशि रु. कराड़ म)/ Amount			
		lı	भारत में 1 nvestment					हे बाहर नि ents outsi	•		
	सरकारी प्रतिभृतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Deben- tures/ Bonds	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश / Total Invest- ment in India	सरकारी प्रतिभृतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश /Total Invest- ments out- side India	कुल निवेश / Total Invest- ments	
परिपक्वता के लिए											
आयोजित / Held to											
Maturity											
कुल / Gross	1243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.39	0.00	0.00	0.00	1243.39	
घटाएं: गैर–निष्पादित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवेशों के लिए प्रावधान											
(एनपीआई) / Less:											
Provision for non-											
performing investments											
(NPI)											
शुद्ध / Net	1243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.39	0.00	0.00	0.00	1243.39	
बिक्री के लिए उपलब्ध/											
Available for Sale											
कुल / Gross	846.38	0.00	0.00	186.19	29.80	1062.37	0.00	0.00	0.00	1062.37	
घटाः मूल्यङ्गास और एनपीआई के लिए प्रावधान/ Less: Provision for	8.21	0.00	0.00	0.74	5.72	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67	
depreciation and NPI											
शुद्ध / Net	838.17	0.00	0.00	185.45	24.08	1047.70	0.00	0.00	0.00	1047.70	
ट्रेडिंग के लिए धारित/ Held for Trading											
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाः मूल्यङ्गास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
शुद्ध / Net							0.00	0.00	0.00		
कुल निवेश / Total	2089.77	0.00	0.00	186.19	29.80	2305.76	0.00	0.00	0.00	2305.76	
Investments											
घटाएं: गैर—निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non- performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाः मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	8.21	0.00	0.00	0.74	5.72	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67	
शुद्ध / Net	2081.56	0.00	0.00	185.45	24.08	2291.09	0.00	0.00	0.00	2291.09	





बी) 31 मार्च 2021 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचनाः/ a) Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2021

(राशि रु. करोड़ में) / Amount in (crore)

		भारत में निवेश/						iii (crore		
		1.	भारत म nvestment					हे बाहर नि ents outsi	-	
	सरकारी प्रतिभृतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Deben- tures/ Bonds	अन्य/ Others	भारत में कुल निवेश / Total Invest- ment in India	सरकारी प्रतिभृतियाँ / Govt. Securities	ents outsi अन्य / Others	मारत के बाहर निवेश /Total Invest- ments out- side India	कुल निवेश / Total Invest- ments
परिपक्वता के लिए आयोजित / Held to										
Maturity										
कुल / Gross	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	1314.09
घटाएं: गैर—निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) / Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	1314.09
बिक्री के लिए उपलब्ध/										
कुल / Gross	741.12	0.00	0.00	242.93	23.95	1008	0.00	0.00	0.00	1008.00
घटाः मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
शुद्ध / Net	738.04	0.00	0.00	242.93	23.95	1004.92	0.00	0.00	0.00	1004.92
ट्रेडिंग के लिए घारित/ Held for Trading										
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाः मूल्यह्रास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net							0.00	0.00	0.00	
कुल निवेश / Total Investments	2055.21	0.00	0.00	242.93	23.95	2322.09	0.00	0.00	0.00	2322.09
घटाएं: गैर—निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non- performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाः मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
शुद्ध / Net	2052.13	0.00	0.00	242.93	23.95	2319.01	0.00	0.00	0.00	2319.01



बी) मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि रू. करोड़) / (Amount in ₹ Cr)

	मदें / IMovement of provisions held towards depreciation on	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	investments	Current Year	Previous Year
(i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन / Movement of investments	of provisions held toward	ls depreciation on
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3.08	0.00
(b)	जोड़ेंः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.33	3.08
	Add: Provisions made during the year		
(c)	घटाः वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट—ऑफ़ खाते	NIL	NIL
	Less: Write off / write back of excess provisions during the year		
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	8.41	3.08
(ii)	सुरक्षा प्राप्तियों के प्रावधान/		
	Provisions for Security Receipts	_	
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	NIL	NIL
(b)	कमः वापस अतिरिक्त प्रावधान /	NIL	NIL
	Less: Write back of excess provision		
(c)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान/	5.72	NIL
(८)	Add: Provisions made during the quarter	5.72	INIL
(d)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट—ऑफ़ खाते में डालना / वापस /	NIL	NIL
	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year		
(e)	अंतिम शेष / Closing Balance	5.72	NIL
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन/		
	Movement of provisions for NPI		
(a)	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	NIL	NIL
(b)	कमः वापस अतिरिक्त प्रावधान /	NIL	NIL
	Less: Write back of excess provision		
(c)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान/	0.54	Nil
(८)	Add: Provisions made during the quarter	0.54	IVII
(d)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट—ऑफ़ खाते में डालना/वापस/	NIL	NIL
	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year		
	अंतिम शेष / Closing Balance	0.54	NIL
(iv)	निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व में संचलन		
	Movement in Investment Fluctuation Reserve		
(1)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	12.07	1.91
(2)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि /	9.18	10.16
	Amount transferred during the year		
(3)	कमः ड्राडाउन / Less: Drawdown	NIL	NIL
(4)	31.03.2022 को अंतिम शेषराशि / Closing balance as on 31.03.2022	21.25	12.07
(5)	AFS' और HFT/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में IFR	2.00%	1.20%
	में अंतिम शेष राशि / Closing balance in IFR as a percentage of closing		
	balance of investments in AFS* and HFT@Current category		



ग) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

एचटीएम पोर्टफोलियो में / से एएफएस में 5% से अधिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का विवरणः शून्य।

डी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

c) Sale and transfers to/from HTM category

Details of Transfer of Securities to/from HTM portfolio to AFS in excess of 5%: NIL.

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non & performing non & SLR investments

	विवरण / Particulars	(राशि रू. करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)	(राशि रू. करोड़ में)/ (Amount in ₹ Cr)
ए∕а	प्रारंभिक जमा / Opening balance	NIL	NIL
बी / b	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1st April	0.54	NIL
सी / c	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती / Reductions during the above period	NIL	NIL
डी / d	अंतिम शेष / Closing balance	0.54	NIL
ई / e	कुल प्रावधान /Total provisions held	0.54	NIL

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि रू. करोड़ में)

i) Issuer composition of non & SLR investments

(₹ in crores)

京 . ゼ. ∕ S. No.	जारीकर्ता / Issuer	Am	शे / ount	प्लेस Exte Pri Place	जी मेंट/ ent of vate ement	निगर्म / of 'B Inves Gra Secu	जनिक 'Extent Below tment ade' Irities		-	में अन Exte 'Unr Secu	निवेश (रेटेड / ent of rated' urities	से असू Exte 'Unli Secu	नेवेश में चीबद्ध / nt of isted' rities
(1)	(2)	(3)	(4)		5)			(6)	-	7)
		चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष /Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष /Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष /Current year	पिछला वर्ष / Previous year
(i)	पीएसयू / PSU	40.00	50.01	40.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	एफआई / Fls	30.90	50.89	30.90	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक / Banks	29.82	39.79	29.82	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporate	34.93	39.87	34.93	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य / Others	80.34	86.32	70.37	48.96	0.00	0.00	0.00	37.36	6.26	0.00	6.26	23.95
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions held for depreciation	(6.46)	0.00	(6.46)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल / Total	209.53	266.88	203.27	229.52	0.00	0.00	0.00	37.36	6.26	0.00		

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) — बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन नहीं किया था।

e) Repo transactions (in face value terms) - The Bank had not entered into any Repo or reverse repo transactions during the current year and last year.



4. संपत्ति की गुणवत्ता /4. Asset quality

- (i) 31 मार्च 2022 तक धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरणः
- (i) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2022:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

	मानक / Standard			ष्पादित / erforming		योग / Tota
	कुल मानक अग्रिम/Total StandardAd- vances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए/Gross St	tandard Advance	s and NPAs				
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3377.93	166.09	385.86	98.72	650.67*	4028.60
जोड़ें वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Add: Additions during the year					129.97	
कमः वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					272.69	
अंतिम शेष / Closing balance	3690.37	126.62	356.99	24.34	507.95@	4198.32
*सकल एनपीए में कटौती के कारणः/ *Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रडेशन / i) Upgradation					74.09	74.09
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर)/ ii) Recoveries (exclud- ing recoveries from upgraded accounts)					78.73	78.73
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					119.09	119.09
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट—ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					0.78	0.78
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)/ Provisions (excluding Floating Provi	sions)					
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	18.32	25.08	237.68	95.84	358.60	376.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान / Add: Fresh provisions made during the year					91.45	91.45
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट—ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					168.89	168.89
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष/ Closing balance of provisions held	25.94	20.72	236.10	24.34	281.16	307.10
शुद्ध एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					206.93	
जोड़ें वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year					शून्य / NIL	
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					43.32	
अंतिम शेष / Closing Balance					163.61	163.61

^{*}शुरुआती सकल एनपीए में रुपये 21.73 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल है।

^{@ #.13.46} करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर।

^{*}The opening Gross NPA Includes Interest suspense of ₹ 21.73 crore.

[@]Excluding interest suspense of ₹ 13.46 crore

	मानक / Standard	गैर-	-निष्पादित / No	n-Perform	ing	योग / Total
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Perform- ing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions			,			
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						NIL
घटाः वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						NIL
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट–ऑफ़ खाते और उस पर की ग	ाई वसूली / Technical w	rite-offs and the	e recoveries	made ther	eon	
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट—ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						18.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						119.09
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.01
अंतिम शेष Closing balance						137.68

ii) 31 मार्च 2021 तक अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरणः

(ii) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2021:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹crore)

	मानक / Standard		गैर—निष्पादित / Non-Performing				
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances		
सकल मानक अग्रिम और एनपीए/Gross St	andard Advances	and NPAs					
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3581.97	114.97	319.69	101.37	536.03	4118.00	
जोड़ें वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year					176.94		
कमः वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					62.30		
अंतिम शेष / Closing balance	3377.93	166.09	385.86	98.72	650.67	4028.60	
*सकल एनपीए में कटौती के कारणः/ *Reductions in Gross NPAs due to:					62.30	62.30	



	मानक / Standard	गैर—निष्पादित / Non-Performing				
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
i) अपग्रडेशन / i) Upgradation					9.60	9.60
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर)/ ii) Recoveries (exclud- ing recoveries from upgraded accounts)					52.70	52.70
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट–ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					शून्य / NIL	शून्य / NIL
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)/ Provisions (excluding Floating Provis	sions)	_				
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	20.49	17.09	159.52	98.09	274.70	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान / Add: Fresh provisions made during the year					85.00	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट—ऑफ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1.10	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of provisions held	18.32	25.08	237.68	95.84	358.60	
शुद्ध एनपीए / Net NPAs #						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					184.14	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year					22.79	
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					-	
अंतिम शेष / Closing Balance					206.93	

	मानक / Standard	मानक / Standard गैर-निष्पादित / Non-Performing				
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						शून्य / NIL
घटाः वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						शून्य / NIL





	मानक / Standard	i	ौर–निष्पादित /	Non-Perfo	orming	योग / Total
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट—ऑफ़ खाते और उस पर की ग	ाई वसूली / Technical	write-offs and	the recover	ries made	thereon	
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट—ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						18.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						शून्य / NIL
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.25
अंतिम शेष Closing balance						18.60

अनुपात (प्रतिशत में)	Ratios (in per cent)	चालू वर्ष Current Year	पिछला বর্ष Previous Year
सकल एनपीए से सकल अग्रिम/	Gross NPA to Gross Advances	12.10 %	16.15%
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम/	Net NPA to Net Advances	4.25%	5.77%
प्रावधान कवरेज अनुपात /	Provision coverage ratio	67.72%	64.77%

(ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹crore)

豖.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year			
सं. Sr. No.		बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए / Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	
i)	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector							
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	858.06	172.30	20.08%	844.26	163.77	19.40%	
b)	प्राथमिकता—प्राप्त क्षेत्र में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम / Advances to industries sector eligible as priority sector lending	412.63	141.78	34.36%	410.46	141.72	34.53%	
c)	(i) सेवाएं / Services	666.02	78.55	11.79%	648.34	30.06	4.64%	
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	352.86	18.12	5.14%	365.29	83.58	22.88%	
	उप—योग / Subtotal (i)	2289.57	410.75		2268.35	419.13		



豖.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year			
सं. Sr. No.		बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए / Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	
ii)	गैर—प्राथमिकता वाला क्षेत्र/ Non-prio	rity Sector						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	4.23	1.18	27.90%	2.01	1.08	53.73%	
b)	उद्योग / Industry	73.38	15.74	21.45%	197.28	129.50	65.64%	
c)	सेवाएं / Services	274.11	29.65	10.82%	1115.31	42.57	3.82%	
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	1557.03	50.63	3.25%	445.64	58.39	13.10%	
	उप−कुल (ii) / Sub-total (ii)	1908.75	97.20		1760.24	231.54		
	कुल (l + ii) Total (l+ii)	4198.32	507.95		4028.59	650.67		

#रुपये 13.46 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल नहीं है। #Excludes Interest suspense of ₹ 13.46 Crore

ख) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

b) Particulars of resolution plan and restructuring

- i) 7 जून 2019 के परिपन्न बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण शून्य
- i) Particulars of resolution plan implemented vide circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 NIL
- ii) पुनर्रचना के अधीन खातों का विवरण
- ii) Details of accounts subjected to restructuring

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)/ Corporates (excluding MSME)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) / Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)/ Retail (excluding agriculture and MSME)		कुल / Total	
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
	उधारकर्ताओं की संख्या/ Number of borrowers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL
मानक Standard	सकल राशि (र्रॅं करोड़)/ Gross Amount (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/ Provision held (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL
अवमानक / Sub-	उधारकर्ताओं की संख्या/ Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL
standard	सकल राशि (₹ करोड़)/ Gross Amount (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL
	प्रावधान (र्रॅ करोड़)/ Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
संदिग्ध Doubtful	उधारकर्ताओं की संख्या/ Number of borrowers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL
	सकल राशि (रैं करोड़)/ Gross Amount (रैं crore)	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/ Provision held (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL



		गतिवि Agric and	ौर संबद्ध धियाँ / ulture allied vities	को छ Corp	(एमएसएमई ोड़कर) / porates ing MSME)	उद्यम (एम् Micro, S Medium	्र और मध्यम गएसएमई) / Small and Enterprises SME)	एमएस छोड़ Retail (agricul	(कृषि और एमई को कर) / excluding ture and GME)	_	ल / otal
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
	उधारकर्ताओं की संख्या/ Number of borrowers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL
कुल / Total	सकल राशि (₹ करोड़)/ Gross Amount (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/ Provision held (₹ crore)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य/ NIL	शून्य / NIL

(iii) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018—19 दिनांक 01.01.2019, आरबी. आई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी. बीसी. 34/21.04. 048/2019—20 दिनांक 11.02.2020 और आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी बीसी/4/21.04.048/2020—21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार 'अग्रिमों का पुनर्गटन — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकमुश्त पुनर्गटन) पर, एमएसएमई पुनर्गटित उधारकर्ताओं का 31.03.2022 तक विवरण नीचे है: (ह लाख में)

खातों की संख्या	31.03.2022 को राशि
3	1449.81

(iv) आरबीआई परिपन्न संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021—22 दिनांक 05.05.2021 और दिनांक 04.06.2021 के आरबीआई परिपन्न संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.21/21.04.048/2021—22 रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पर — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड —19 संबंधित स्ट्रेस का समाधान, पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

खातों की संख्या	फंडेड आउट स्टैंडिंग 31.03.2022	प्रावधान धारित
226	2749.46	300.32

(v) आरबीआई सर्कुलर के अनुसार सं. DOR.STR.REC.11 / 21.04. 048 / 2021—22 दिनांक 05.05.2021 पर "समाधान फ्रेमवर्क — 2.0% COVID—19 का समाधान व्यक्तियों 'और लघु व्यवसाय''" से संबंधित स्ट्रेस, उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए थे और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है: —

(iii) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated **01.01.2019**, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated **11.02.2020** & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated **06.08.2020** on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on (In ₹ Lakhs)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2022
3	1449.81

(iv) In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(In ₹ Lakhs)

No of Accounts	Funded O/s as on 31.03.2022	Provision Held
226	2749.46	300.32

(v) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals* and Small Business*"", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-



(₹ लाख में)

खातों की संख्या	कुल एक्सपोजर 31.03.2022
205	2672.10

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण खंड को कवर करता है। सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020—21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021—22 दिनांकित 5 मई 2021पैरा 5(ए) में शामिल है।

- **लघु व्यवसाय (खुदरा व्यापार और थोक व्यापार सहित) उन व्यक्तियों के लिए विस्तारित है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपन्न संख्या डीओआर के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020—21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई के परिपन्न संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021—22 दिनांकित 5 मई, 2021 पैरा 5(बी) में शामिल है।
- (vi) 30 सितंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए प्रारूप — X प्रारूप, आरबीआई/2021—22/31 DOR.STR.REC-11/21.04.048/2021—22

		व्यक्तिगत		
क्र. सं.	विवरण	व्यक्तिगत ऋण	व्यवसायिक ऋण	छोटे व्यवसाय
(y)	भाग ए के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या /	198	8	25
(बी)	इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है/	198	8	24
(सी)	योजना के कार्यान्वयन से पहले (बी) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर/	1900.8	22.65	1160.07
(डी)	(सी), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था/	0	0	0
(₹)	अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है/	0	0	0
(एफ)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि	181.55	4.45	128.36

(In ₹ Lakhs)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2022
205	2672.10

- * Individual covers only Personal Loan segment as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(a) of RBI circular No DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.
- ** Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.)
- (vi) Format X Format for disclosures to be made in the quarters ending September 30, 2021 and December 31, 2021, RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22

S.	Description	Indivi Borro	Small	
NO		Personal Loans	Business Loans	businesses
(A)	Number of requests received for invoking resolution process under Part A	198	8	25
(B)	Number of accounts where resolution plan has been mplemented under this window	198	8	24
(C)	Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan	1900.8	22.65	1160.07
(D)	Of (C), aggregate amount of debt that was converted into other securities	0	0	0
(E)	Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	0	0	0
F)	Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan	181.55	4.45	128.36





(vii) वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण, 31 मार्च 2022 की स्थितिः

रु. लाख में

		31.03.2022 को राशि	पुनर्गठन की तिथि	प्रावधान
1	गंगा टूरिज्म	1.94	30.03.2021	0.19
2	एवीएम रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	393.38	31.03.2021	39.34
3	एल पी ग्रीन्स	1054.50	30.03.2021	57.99

सी) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई के परिपन्न संख्या डीबीआर बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018 / 2018—19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार, यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानों और आकरिमकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है। और / या आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक हैं, तो बैंकों को आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक हैं।

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	राशि
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए	650.67
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए	655.67
3.	सकल एनपीए में विचलन (2—1)	5.00
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए	206.93
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए	210.83
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5—4)	3.90
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 तक एनपीए के लिए प्रावधान	358.60
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2021 को एनपीए के लिए प्रावधान	359.70
9.	प्रावधान में विचलन (8—7)	1.10
10	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले लाभ की रिपोर्ट	118.24
11.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) दर्ज	1.26
12.	प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) /	0.16

(vii) Details of Loan Assets subjected to restructuring during financial year 2020-21, status as on 31st March 2022:

₹ In Lacs

		Amount as on 31.03.2022	Date of restructure	Provision
1	Ganga Tourism	1.94	30.03.2021	0.19
2	AVM Resorts Private Limited	393.38	31.03.2021	39.34
3	L P Greens	1054.50	30.03.2021	57.99

c) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning.

(Amount in ₹ Cr)

Sr.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	650.67
2.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bankof India	655.67
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	5.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	206.93
5.	Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	210.83
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	3.90
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	358.60
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	359.70
9.	Divergence in provisioning (8-7)	1.10
10	Report Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2021	118.24
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021	1.26
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021 after considering the divergence in provisioning	0.16



डी) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण — बैंक ने चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी ऋण एक्सपोजर को स्थानांतरित

ई) घोखाघड़ी खाते

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	13 No's	06 No's
धोखाधड़ी में शामिल राशि (रु. करोड़ में)	73.45	1.235
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (रु. करोड़ में)	5.65	1.235
वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (रु. करोड़ में)	13.03	7.43
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (रु. करोड़ में)	शून्य	शून्य

एफ) covid—19 से संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020—21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020—21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के अनुसार 31 मार्च 2022 तक COVID 19 संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण

d) Disclosure of transfer of loan exposures – The Bank have not transferred any loan exposure in current and previous financial year.

e) Fraud accounts

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Number of frauds reported during the year	13 No's	06 No's
Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	73.45	1.235
Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	5.65	1.235
Provisions held at the end of the year (in \mathbb{T} Cr)	13.03	7.43
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	NIL	NIL

f) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19 related Stress

Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06. August 2020 as of March 31, 2022.

(राशि रु. करोड़ में) / (Amt in ₹Cr)

उधारकर्ता का प्रकार/	समाधान योजना के कार्यान्वयन	(ए) का, कुल	(ए) का,	(ए) का,	समाधान योजना के
Type of borrower	के परिणामस्वरूप मानक के	ऋण जो	अर्घ— वर्ष	छमाही	कार्यान्वयन के
	रूप में वर्गीकृत खातों के लिए	छमाही के	के दौरान	के दौरान	परिणामस्वरूप मानक के
	एक्सपोजर-पिछले छमाही के	दौरान एनपीए	राइट ऑफ	उधारकर्ताओं	रूप में वर्गीकृत खातों में
	अंत में स्थिति यानी 30.09.2021	में बदल	खाते में	द्वारा भुगतान	एक्सपोजर–इस छमाही के
	\(y)	गया /	डाली गई	की गई	अंत में स्थिति (ए)/
	30.09.2021 Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2021 (A)	Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	राशि / Of (A), amount written off during the half-year	राशि / Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year (A)
व्यक्तिगत ऋण/					
Personal Loans					
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*					
जिनमें से, एमएसएमई / Of which, MSMEs			शून्य / NIL		
-			INIL		
अन्य / Others					
कुल Total					





5. एक्सपोजर / Exposures

- क) अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक्सपोजर
- a) Exposure to real estate sector

(राशि रु. करोड़ में) / (₹ In Crore)

श्रेणी / Category	31.03.2022	31.03.2021
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर /a) Direct exposure		
(i) आवासीय मोर्टगेज 🖊 (i) Residential Mortgages		
आवासीय संपत्ति पर मोर्टगेज द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है; ('आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में	838.77	744.75
वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दिखाए जा सकते हैं) / Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (*Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	(307.02)	(336.39)
(ii) वाणिज्यिक अचल संपत्ति — / (ii) Commercial Real Estate –		
**वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु—परिवार आवासीय भवन, बहु—किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर मोर्टगेज द्वारा सुरक्षित ऋण।) एक्सपोजर में गैर—निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)/ **Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	82.00	81.5
(iii) मोर्टगेज समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश —/ (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures —		
ए. आवासीय / a. Residential,		
बी. व्यावसायिक अचल संपत्ति / b. Commercial Real Estate. बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर b) Indirect Exposure	0.00	0.00
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर—निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर/ Total Exposure to Real Estate Sector	920.77	826.25
**वाणिज्यिक रियल एस्टेट में एक्सपोजर जिसमें शामिल हैं / **Exposure to Commercial Real Estate includes		_
फंडेड एक्सपोजर / Funded Exposure	76.56	
गैर—वित्तपोषित एक्सपोजर / Non Funded Exposure	5.44	
*कर्मचारी आवास ऋण शामिल /*include staff housing loans.		



- बी) पूंजी बाजार में एक्सपोजर शून्य/ b) Exposure to capital market NIL
- सी) जोखिम श्रेणी—वार देशीय एक्सपोजर लागू नहीं / Risk category-wise country exposure Not Applicable
- डी) गैर जमानती अग्रिम/ d) Unsecured advances

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous Year
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम / Total unsecured advances of the bank	289.63	80.71
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है। / Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य / Estimated value of such intangible securities	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

- ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर शून्य / e) Factoring exposures NIL
- एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजरः / f) Intra Group Exposures:

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

	31 मार्च 2022 तव	চ/As on March	31, 2022	31 मार्च 2021 तक/As on March 31, 2021			
विवरण / Particulars	फंड आघारित/ Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total	फंड आधारित/ Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total	
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total Amount of Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा—ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत / Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	
इंट्रा—ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण / Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	





संबंधित पार्टी प्रकटीकरण — (लेखा मानक — 18): Related party Disclosure – (Accounting Standard - 18):

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

					(राशि रु. कराड़ म) (Amoun	13 111 (01010
लेन—देन की प्रकृति / Nature of Transaction	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) / Parent (as per ownership or control)	पेरेंट सहायक कंपनियों / Parent's Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उपक्रम / Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
अर्जित ब्याज/ Interest Earned	0.61	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.61
अन्य आय/ Other Income	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.0032	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.0032
कमीशन आय/ Commission Income	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.0714	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.0714
लाभांश दिया / Dividend Paid	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कमीशन का भुगतान/ Commission Paid	0.02	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य ∕ NIL
पारिश्रमिक / Remuneration	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.256	शून्य / NIL	0.256
सेवाओं का प्रतिपादन / Rendering of services	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
जमा (कासा) / Deposits (CASA)						
–प्लेसमेंट/ Placements – प्राप्त हुआ/– Received	7.61	शून्य / NIL	178.72	शून्य / NIL		7.61 178.72
निवेश / Investments:- कॉल मनी / Call Money	60.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	60.00
अग्रिमों / Advances		शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	
जारी आईबीपीसी / IBPC Issued	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
आईबीपीसी में भाग लिया / IBPC Participated	0.00 (0.00)					0.00 (0.00)
गैर—वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं वर्ष के अंत में / Non-funded commitments At the year end	6.13	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	6.13



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के संबंधित पक्षों को देय / प्राप्त करने योग्य अधिकतम शेष राशि नीचे दी गई है: The maximum balances payable to/receivable from the related parties of the Bank during the year ended 31 March, 2022 are given below

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

आइटम / संबंधित पार्टी /Items/ Related Party	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)/ Parent (as per Ownership or control)	सहायक कंपनियों / Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उद्यम / Associates/ Joint ventures #	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार/ Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
प्राप्त जमा / Deposit Received			178.72			178.72
जमा का प्लेसमेंट / Placement of deposits	7.61					7.61
अग्रिम * / Advances *						
निवेश / Investments						
गैर—वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments						
कॉल लेंडिंग / Call Lending	60.00					60.00
स्वैप / फॉरवर्ड अनुबंध / Swap/ Forwards Contract						
हाइब्रिड कैपिटल में संबंधित पार्टी का निवेश / बैंक के बांड / Investment of related party in Hybrid Capital/Bonds of the Bank						
प्रबंधन अनुबंधों के तहत देय / Payable under management contracts						
अन्य प्राप्य (शुद्ध) / Other receivables (net)			0.11			0.11
अन्य देय (शुद्ध) / Other payables (net)						

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध :

Names of the related parties and their relationship with the Bank

i)	मूल संस्था / Parent	arent बैंक ऑफ बड़ौदा (98.57 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रमुख शेयरधारक)/			
		Bank of Baroda (Major Shareholder with 98.57% equity)			
ii)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक /	(1)	श्री दिनेश पंत (एमडी एवं सीईओ)/Shri Dinesh Pant (Managing Director & CEO)		
	Key Management				
	Personnel				
ii)	मूल सहायक कंपनियों	घरेलू	सहायक कंपनियां / Domestic Subsidiaries		
	Parent's Subsidiary				
		(1)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड / Baroda Global Shared Services Limited		
		(11)	बीओबी फाईनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)/		
			BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB cards Limited)		
		(III)	बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. / BOB Capital Markets Ltd.		
		(IV)	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम		
			से जाना जाता था) / Baroda Asset Management India Limited (Formerly known as Baroda		
			Pioneer Asset Management Company Limited)		



		(V)	बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)/ Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (Formerly Baroda Trustee India Private Ltd)		
		विदेशी	विदेशी सहायक / Overseas Subsidiaries		
		(1)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Botswana) Ltd.		
		(11)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या लिमिटेड / Bank of Baroda (Kenya) Ltd.		
		(111)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड / बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड / Bank of Baroda (Uganda) Ltd., / Baroda Capital Market (Uganda) Limited		
		(IV)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Guyana) Ltd.		
		(V)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैड) लिमिटेड / Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.		
		(VI)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड / Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.		
		(VII)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड / Bank of Baroda (UK) Ltd.		
iv)	मूल सहयोगी /	(1)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank		
	Parents' Associates	(11)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank		
		(111)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / Baroda Gujrat Gramin Bank		
v)	मूल संयुक्त उद्यम /	(1)	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड / India Infradebt Limited		
	Parents' Joint Ventures	(11)	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / India First Life Insurance Company Limited		

ई) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर – शून्य/

- जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण
- ए) जमा की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	771.57	744.93
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	10.31%	10.05%

बी) अग्रिमों की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	397.63	608.34
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	9.16	14.63

सी) एक्सपोजर की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	606.21	778.73
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	11.85	15.64

- e) Unhedged foreign currency exposure NIL
- 6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs
- a) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	771.57	744.93
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	10.31%	10.05%

b) Concentration of advances

Amounts in ₹ crore)

		105 111 (01010)
Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	397.63	608.34
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	9.16	14.63

C) Concentration of exposures

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	606.21	778.73
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/Customers	11.85	15.64



सी) एनपीए की एकाग्रता

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	220.46	350.14
बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर में एक्सपोजर का प्रतिशत कुल सकल एनपीए के लिए	43.40	53.81

- 7. डेरिवेटिब्स बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान डेरिवेटिव लेनदेन नहीं किया।
- 8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को कोई वित्तीय संपत्ति नहीं बेची थी।

बैंक मैसर्स बेनलोन इंडिया लिमिटेड (एनपीए) (अन्य सदस्य — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड और हीरो फिनकॉर्प लिमि. टेड को दिए गए कंसोर्टियम फाइनेंस में लेनदारों की समिति का सदस्य है।, उक्त एनपीए खाते में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी के मद्देनजर बैंक को रुपये 5.72 करोड़ की "पूडेंट एआरसी लिमिटेड" से "सुरक्षा रसीद" (एसआर) प्राप्त हुई जिसको निवेश पुस्तको में दर्ज किया गया है,का प्रावधान किया है।

इसके अलावा बैंक ने मेसर्स बेनलॉन इंडिया लिमिटेड (एनपीए खाता) के वैकित्पक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) प्राप्त किए। जिसका मूल्य निवेश पुस्तकों में 54.00 लाख है. चूंकि 28—02—2019 को बैंक द्वारा मेसर्स बेनलोन इंडिया लिमिटेड को पहले से ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए मैसर्स बेनलोन इंडिया लिमिटेड के वैकित्पक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर ओसीडी में निवेश गैर—निष्पादित निवेश (एनपीआई) में बदल गया। तदनुसार, बैंक ने मेसर्स बेनलॉन इंडिया लिमिटेड के ऐसे वैकित्पक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) के लिए 31.03.2022 को 54.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

C) Concentration of NPAs

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	220.46	350.14
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	43.40	53.81

- **7. Derivatives** The Bank did not enter into the derivative transactions during the current year and previous year.
- **8. Disclosures relating to securitization** The bank had not sold any financial assets to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

The Bank being a member of Committee of Creditors in a consortium finance lent to M/s Benlon India Limited (NPA) (other members - State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Indian Bank, Nainital Bank Ltd. and Hero Fincorp Ltd.), In view of the Corporate Insolvency Resolution Process CIRP initiated by National Company Law Tribunal (NCLT) against the said NPA account the Bank has received "Security receipts" (SR's) of ₹ 5.72 Crore from "Prudent ARC Ltd." in its Investment books which are fully provided.

Further the Bank also received Optionally Convertible Debentures (OCD) of M/s Benlon India Limited (NPA account) for ₹ 54.00 lacs in its Investment Books. Since M/s Benlon India Limited was already classified as NPA by the bank as on 28-02-2019, the investment in Optionally Convertible Debentures OCD of M/s Benlon India Limited percolated to Non performing Investments (NPI). Accordingly, the Bank has provided provision of ₹ 54.00 lacs against such Optionally Convertible Debentures (OCD) of M/s Benlon India Limited as on 31-03-2022.

एसआर में निवेश (सुरक्षा रसीदें):/ Investment in SRs (Security Receipts):

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

	विवरण / Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर /SRs issued within past 5 years	एसआर 5 साल से अधिक पहले जारी किए गए लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर/SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	एसआर 8 साल से अधिक पहले जारी किए गए/ SRs issued more than 8 years ago
(i)	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए जो एसआर द्वारा समर्थित है , का बुक वैल्यू अंडरलाइंग के / Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	5.72	0.00	0.00

	विवरण / Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर /SRs issued within past 5 years	एसआर 5 साल से अधिक पहले जारी किए गए लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर/SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	एसआर 8 साल से अधिक पहले जारी किए गए/ SRs issued more than 8 years ago
	के विरुद्ध धारित प्रावधान / Provision held against (i)	5.72	0.00	0.00
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बुक वैल्यू अंडरलाइंग के रूप में / Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non- banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	(ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान / Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	कुल /Total (i) + (ii)	5.72	0.00	0.00

9. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित —शून्य 10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण

(राशि रु. करोड में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	22.52	19.05
ii)	जोड़ें वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	3.19	3.77
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.35	0.30
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	25.36	22.52

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च,	31 मार्च,
	2022	2021
	तक	तक
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकाय	ातें	
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की	3	2
संख्या		
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की	302	164
संख्या		
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई	305	163
शिकायतों की संख्या		
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई	शून्य	शून्य
शिकायतों की संख्या	-	•
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की	शून्य	3
संख्या		

9. Off Balance Sheet SPV sponsored -NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	22.52	19.05
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	3.19	3.77
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	0.35	0.30
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	25.36	22.52

11. Disclosure of complaints

Particulars	As on 31st March, 2022	As on 31st March, 2021
Complaints received by the Bank fro	om its custon	ners
No. of complaints pending at the beginning of the year	3	2
Add: No. of complaints received during the year	302	164
Less: No. of complaints disposed during the year	305	163
Of which, number of complaints rejected by the bank	NIL	NIL
No. of complaints pending at the end of the year	NIL	3



कुल ग्राहक शिकायतें और एटीएम लेनदेन विवादः

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	14	14
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1641	1813
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1643	1813
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	12	14

बैंक को ग्राहकों से और ओबीओ से वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त अन्	नुरक्षणीय शिका	यतें
ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संख्या	51	26
बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	51	26
बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए के अलावा) /	शून्य	शून्य

नोटः रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

Total customer complaints and ATM transaction disputes:

Particulars	As on 31 st March, 2022	As on 31 st March, 2021
No. of complaints pending at the beginning of the year	14	14
Add: No. of complaints received during the year	1641	1813
Less: No. of complaints redressed during the year	1643	1813
No. of complaints pending at the end of the year	12	14

Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs FY 2021-22

Particulars	As on 31st March, 2022	As on 31st March, 2021
Maintainable complaints received Office of ombudsman	by the Bank	from
No. of complaints received by the bank from OBOs	51	26
No. of complaints resolved in favour of the bank by BOs	51	26
No. of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by BOs	Nil	Nil
No. of complaints resolved after passing of Awards By BOs against the Bank.	Nil	Nil
Number of awards unimplem ented within the stipulated time(other than those appealed)	Nil	Nil

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.

^{*} ओबीओ से प्राप्त कुल 32 शिकायतों में से 2 शिकायतें 31.03.2021 को लंबित थीं।

^{*2} complaints out of total 32 complaints received from OBO were pending on 31.03.2021.





ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers

क्र. सं. / S.No	शिकायतों के आघार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) / Grounds ofcomplaints,(i.e. complaintsrelating to)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ Number of complaints received during the year	पिछले की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी साल/ increase/ decrease in the number of complaintsreceived over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या / Of 5, number of com- plaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
		2021-22			
ग्राउंड-1/ Ground - 1	एटीएम / डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	1641	(-9.4)%	12	0
ग्राउंड–2 / Ground - 2	ऋण और अग्रिम/ Loans and advances	32	18.755%	0	0
ग्राउंड–3 / Ground - 3	इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग / Internet/Mobile/Electronic Banking	82	241.66%	0	0
ग्राउंड–4 / Ground - 4	खाता खोलना / खातों के संचालन में कठिनाई / Account opening/difficulty in operation of accounts	7	(-66.66%)	0	0
ग्राउंड–5 / Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।/ Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	55	76.36%	0	0
	अन्य / Others	126	57.50%	0	0
	कुल / Total	1943		12	1
		2020-21			
ग्राउंड-1/ Ground - 1	एटीएम / डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	1813	(2)%	14	0
ग्राउंड–2/ Ground - 2	ऋण और अग्रिम/ Loans and advances	26	62.5%	0	0
ग्राउंड–3 / Ground - 3	इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग / Internet/Mobile/Electronic Banking	24	71.43%	0	0
ग्राउंड–4 / Ground - 4	खाता खोलना / खातों के संचालन में कितनाई / Account opening/difficulty in operation of accounts	21	53.84%	0	0
ग्राउंड—5 / Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।/ Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	13	85.71%	0	0
	अन्य / Others	80	70.21%	3	1
	कुल / Total	1977		17	1



वित्तीय वर्ष 2021—22 में अनिधकृत लेनदेन के लिए भुगतान किया गया मुआवजा

वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान, कुल —9— अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सूचना मिली जहां ग्राहक की गलती नहीं है। इन सभी मामलों में ग्राहकों को मुआवजे का भुगतान किया गया था।

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

ए) आरबीआई / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा

Compensation paid for unauthorized transaction FY 2021-22

During the financial year 2021-22, a total of -9- unauthorised electronic transactions were reported where the customer is not at fault. In all these cases compensation was paid to the customers.

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

Openitoria.	उल्लंघन की प्रकृति/	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2022		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2021	
विवरण / Particulars	Nature of	मामलों की संख्या/	राशि /	मामलों की संख्या/	राशि /
	Breach	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना / Penalties Imposed by		04	0.59	शुन्य / NIL	शुन्य / NIL
RBI	नियामक और	04	0.55	रास्य/ NIL	रूपि/ MIL
अपने संबंधित नियामकों द्वारा विदेशी क्षेत्रों पर लगाए गया जुर्माना / Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators	परिचालन / Regulatory & Operational	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable

बी) एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने पर जुर्माना लगाने पर प्रकटीकरण

वर्ष समाप्त	एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने की तिथि	राशि	टिप्पणियां
2021-22	शून्य	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	शून्य	शून्य

- सी) रिवर्स रेपो लेनदेन में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लाग्)। शून्य
- घ) विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए
 गए किसी भी अन्य जुर्माने का विवरणः
 - 1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, शून्य
 - 2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007,- शून्य
 - 3) सरकारी प्रतिभृति अधिनियम, 2006। शून्य

13 पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों पर लागू)

बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2021-22	NIL	NIL	NIL
2020-21	NIL	NIL	NIL

- Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant).
 Nil
- d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :
 - 1) Banking Regulation Act, 1949, NIL
 - 2) Payment and Settlement Act, 2007,- NIL
 - 3) Government Securities Act, 2006. NIL

13. Disclosures on remuneration

(Applicable to Banking Companies, including Foreign Banks operating in India)

Banks are required to make disclosure on remuneration of

कार्यकारी अधिकारियों / सामग्री जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक तालिका या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे और पिछले और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक (लागू सीमा तक), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे: Whole TimeDirectors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements. Banks shall make the disclosures in table or chart format and make disclosures for previous as well as the current reporting year. Further, private sector banks and foreign banks (to the extent applicable), shall disclose the following information:

प्रकटीकरण के प्रकार / Type		जानकारी / Information	
of disclosure			
गुणात्मक / Qualitative	(अ)/ (a)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना / Information relating to the compo- sition and mandate of the Nomina- tion and Remuneration Committee.	एनआरसी समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना — 1. बिनीता शाह — अध्यक्ष 2. एन.के. चारी — सदस्य 3. मनोज शर्मा — सदस्य Present composition of NRC Committee Members - 1. Binita Shah — Chairperson
			N.K. Chari - Member Manoj Sharma - Member
	(ৰ) / (b)	डिजाइन और संरचना से संबंधित जानकारी पारिश्रमिक प्रक्रियाएं और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य/ Information relating to the de- sign and structure of remnera-	बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों और बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश/
		tion processes and thekey features anobjectives of remuneration policy.	The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.
	(स) /(c)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने	नामांकन और पारिश्रमिक समिति बैंक के उद्योग मानकों और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम मूल्यांकन करती है / Nomination and remuneration committee undertakes risk
		के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए/	evaluation based on industry standards and risk profile of the Bank.
		Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It shouldinclude the nature and type of the key measures used to take account of these risks.	
	डी / (d)	उन तरीकों का विवरण जिनसे बैंक लिंक करना चाहता है पारिश्रमिक के स्तर के साथ प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन / Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement periodwith levels of remuneration.	नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक को उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले, कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी और प्रत्येक निदेशक द्वारा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है। बोर्ड The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	
OI disclosure	(ছ) /(e)	आस्थिगित पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने पर बैंक की नीति की चर्चा और पहले आस्थिगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंड की चर्चा निहित और निहित होने के बाद / A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of	को उनकी नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के संबंध में, जो बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल है। निदेशक मंडल के लिए नीति के संदर्भ में, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले और सालाना यानी हर साल 31 मार्च को निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है। re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
		variable remuneration and a discussion of the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.	
	(एफ) /(f)	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (यानी, नकद और शेयर—लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का औचित्य। Description of the different forms	ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
		of variable remuneration (i.e., cash and types of share-linked instruments) that the bank utilizes and the rationale for using these different forms.	



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
मात्रात्मक खुलासे/ Quantitative disclosures (मात्राात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधि. कारी/सामग्री जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए)/	(जी)/ (G)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक सदस्य। / Number of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its members.	10	8
(The quantitative disclosures should only cover Whole Time Directors/ Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)	(एच) / (h)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या (i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन ऑन/ ऑइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि। (ii) Number and total amount of sign-on/ joining bonus made during the financial year. (iii) विच्छेद वेतन का विवरण, में उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो। (iii) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	(आई) /(i)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर लिंक्ड लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. (ii) आस्थगित की कुल राशि वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया मानदेय। (ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	लागू नहीं ∕ NA	लागू नहीं / NA
	जे / (j)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का व्यवधान निश्चित और परिवर्तनशील, आस्थगित और गैर—स्थगित Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	के / (k)	(i) पूर्व पोस्ट स्पष्ट और / या. के संपर्क में आने वाले बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि निहित समायोजन। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
		(ii) स्पष्ट समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		(ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments-		
		(iii) कटौती की कुल राशि वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व पोस्ट निहित समायोजन के कारण।/		
		(iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments		
	एल / (I)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या। Number of MRTs identified-	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	एम / (m)	(i) उन मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		(i) Number of cases where malus has been exercised		
		(ii) मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है।		
		(ii) Number of cases where clawback has been exercised		
		(iii) मामलों की संख्या जहां मालस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।/		
		(iii) Number of cases where both malus and clawback have been exercised		
	एन / (n)	समग्र रूप से बैंक के लिए औसत वेतन (अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर) और इसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		The mean pay for the bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay-		

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशक / अध्यक्ष को भुगतान किया गया पारिश्रमिक रु. 5,11,000 / - और एमडी और सीईओ को रु. 25,60,000 / -

The remuneration paid to non-executive director/chairman during current financial year is ₹ 5,11,000/-, and to the MD & CEO is ₹ 25,60,000/-



14. अन्य खुलासे

ए) व्यापार अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
i. कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	6.70	7.11
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर—ब्याज आय(%)	0.48	0.59
iii.कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाम(%)	1.20	1.42
iv. संपत्ति पर वापसी(%)	0.34	0.02
v. व्यापार (जमा और अग्रिम बैंक जमा को छोड़कर) प्रति कर्मचारी (करोड़ रुपये में)	13.58	12.30
vi. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	0.03469	0.0014
VII. शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.98%	2.77%
VIII. जमाओं की लागत	4.34%	5.02%
IX. अग्रिमों पर आय	8.24%	8.36%

बी) बैंक एश्योरेंस बिजनेस

31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक की बीमा व्यवसाय के संबंध में कुल आय रु. 149.89 लाख जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

豖.	बीमा कंपनी	राशि		
सं.		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	
1.	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	107.87	105.53	
2.	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	10.35	22.59	
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7.14	11.82	
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम	2.76	2.85	
5.	पयूचर जेनराली इंश्योरेंस लिमिटेड	21.77	26.47	
	कुल	149.89	169.26	

31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय 0.10 लाख थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

14. Other Disclosures

a) Business ratios

Item	As on 31 st March, 2022	As on 31 st March, 2021
i. Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	6.70	7.11
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.48	0.59
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.20	1.42
iv. Return on Assets(%)	0.34	0.02
v. Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (₹ in crore)		12.30
vi. Net Profit per employee (₹ in crore)	0.03469	0.0014
VII Net Interest Margin	2.98%	2.77%
VIII Cost of Deposits	4.34%	5.02%
IX Yield on Advances	8.24%	8.36%

b) Banc assurance business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was ₹149.89 Lakh during the period ended 31.03.2022 with details as under:

(₹ in lakh)

Sr.	: Insurance Company		Amount	
No.		As on 31 st March, 2022	As on 31 st March, 2021	
1.	Exide Life Insurance Company Ltd.	107.87	105.53	
2.	National Insurance Company Ltd	10.35	22.59	
3.	India First Life Insurance Co. Ltd	7.14	11.82	
4.	Life Insurance Corp of India	2.76	2.85	
5.	Future Generali Insurance Ltd.	21.77	26.47	
	Total	149.89	169.26	

The total income of the bank in respect of other products was 0.10 lacs during the period ended 31.03.2022, with details as under.



(लाख रुपये में)

큙.	कंपनी	राशि	
₹і.		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
1.	वीज़मैन फॉरेक्स लिमिटेड	0.05	0.04
2.	स्टॉक होलिंडग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.02	0.05
3.	अटल पेंशन योजना	0.03	0.00
	कुल	0.10	0.09

ख) विपणन और वितरण

शून्य

ग) प्राथमिकता—प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण — शून्य

घ) मंडार और अधिशेष

सांविधिक रिजर्व बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई दिशानिर्देशों दिनांक 23 सितंबर 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 7.23 करोड़ (पिछले वर्षः 0.31 करोड़) का विनियोजन सांविधिक रिजर्व के लिए किया है।

कैपिटल रिजर्व — कैपिटल रिजर्व में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली वृद्धि है, निवेश में उतार—चढ़ाव रिजर्व — आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियो के 2% के बराबर एक निवेश उतार—चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) वैधानिक विनियोग के बाद लाभ की उपलब्धता के अधीन बनाना आवश्यक है जो वित्तीय वर्ष 2019 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि तक बनाना आवश्यक है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते से निवेश उतार—चढ़ाव रिजर्व में 9.18 करोड़ रुपये का विनियोग किया है। (पिछला वर्ष: 10.16 करोड़)

ई) लेखा मानक—19 पट्टा" परिसर जो परिचालन पट्टे पर लिए गए, का विवरण निम्नलिखित हैं:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं।

i) निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अवधि के लिए, गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों पर लिए गए परिसरों पर भविष्य के किराये के भुगतान का विवरण दिया गया है:

राशि करोड में

विवरण–पट्टा किराया दायित्व	31 मार्च 2022
एक साल तक	1.08
एक साल बाद और पांच साल तक	3.72

(₹ in lakh)

Sr.		Amount		
No.	Company	As on 31 st March, 2022	As on 31 st March, 2021	
1.	Weizmann Forex Ltd.	0.05	0.04	
2.	Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.02	0.05	
3.	Atal Pension Yojna	0.03	0.00	
	Total	0.10	0.09	

b) Marketing and distribution

NIL

c) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) – NIL

d) Reserves and Surplus

Statutory Reserve the Bank has made an appropriation of 7.23 Crores (Previous Year: 0.31 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2022 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000.

Capital Reserve - Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, Investment Fluctuation Reserve - In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2022, the Bank has made 9.18 Crores appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: 10.16 Crore)

e) Accounting Standard -19 - "Lease" Premises taken on operating lease are given below

The operating leases primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(Amount in Crores)

Particulars -Lease Rent Obligations	31 st March 2022
Not later than one year	1.08
Later than one year and not later than five years	3.72



विवरण-पट्टा किराया दायित्व	31 मार्च 2022
पांच साल बाद	4.36
कुल	9.16

च) अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (लेखा मानक –5)

- पूर्व अविध की मदें: वर्ष के दौरान, कोई सामग्री पूर्व अविध आय / व्यय मद नहीं थे।
- (ii) लेखा नीतिः वर्ष के दौरान बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 6 वर्ष के अनुमानित जीवन वाले उच्च अंत सर्वर / नेटवर्क (अर्थात डेटा केंद्र) और सीबीएस एप्लिकेशन (फिनैकल 10) पर मूल्यट्रास से संबंधित लेखा नीति को परिष्कृत किया है और 6 साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धित के अनुसार मूल्यट्रास किया जाएगा।

छ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि रु. करोड में)

	` `	v
लाम और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	0.54	शून्य
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	42.53	85.01
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	0.81	16.60
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए		
—मानक अग्रिम	7.62	(2.17)
– सुरक्षा रसीद के लिए प्रावधान	5.72	शून्य
— विविध प्रावधान	1.49	0.04
 बैंक के खिलाफ दावों के लिए प्रावधान जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया 	0.95	शून्य
– निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व	9.18	10.16
– निवेश आरक्षित खाता	शून्य	4.04
– धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	शून्य	0.23
 अतिदेय टीडीआर खातों पर देय ब्याज का प्रावधान 	2.53	शून्य

ज) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 2015 में कंपनियों (भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) नियम 2015 को अधिसूचित किया था, जिसने लेखा अवधि 2016—17 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से आईएनडीएएस को अपनाने और प्रयोज्यता को निर्धारित किया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना के अनुसार बैंकों को इन मानकों का पालन 01 अप्रैल 2018 से यानि आईएनडी—एएस कार्यान्वयन के तीसरे चरण के दौरान

Particulars -Lease Rent Obligations	31 st March 2022
Later than five years	4.36
Total	9.16

f) Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

- (i) Prior Period Items: During the year, there were no material prior period income / expenditure items.
- (ii) Accounting policy: During the year the Bank has refined the accounting policy relating to depreciation on high end servers/networks (viz data centres) and CBS application (FINACLE 10), having estimated life of 6 years as per Companies Act, 2013 and shall be depreciated as per Straight Line Method over a period of 6years.

g) Provisions and contingencies

(Amount in Crores)

		it iii Cioicsj
Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i) Provisions for NPI	0.54	NIL
ii) Provision towards NPA	42.53	85.01
iii) Provision made towards Income tax	0.81	16.60
iv) Other Provisions and Contingencies		
- Standard Advance	7.62	(2.17)
- Provision for Security Receipt	5.72	NIL
- Miscellaneous Provisions	1.49	0.04
- Provision for claims against the bank not acknowledged as debt	0.95	NIL
- Investment Fluctuation Reserve	9.18	10.16
- Investment Reserve Account	NIL	4.04
- Provision for Frauds	NIL	0.23
-Provision for Interest Payable on Overdue TDR accounts	2.53	NIL

h) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (IndAS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), in 2015, had notified the Companies (Indian Accounting Standards (IND AS) Rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in a phased manner beginning from the Accounting period 2016-17, as per said notification banks were required to comply with these standards from 01st April 2018 onwards i.e. during Phase-III of IND-AS implementation, however, RBI vide



करना था, हालांकि, आरबीआई ने अधिसूचना संख्या **"डीबीआर.बीपी.बीसी.** सं.29/21.07.001/2018 —19'' दिनांक 22 मार्च, 2019 ने इन मानकों की प्रयोज्यता को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है।

इसके अलावा, आरबीआई समय—समय पर बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने और 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही से प्रोफार्मा इंड —एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता रहा है। ये प्रोफार्मा स्टेटमेंट नियामक विश्लेषण उद्देश्य के लिए हैं और जरूरी नहीं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षण प्रारूप का पूरी तरह से IND AS अनुपालन या संकेत हो।

हमारा बैंक नियमित रूप से निर्धारित समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अर्धवार्षिक प्रोफार्मा IND AS प्रस्तुत कर रहा है।

 ा) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण

बैंक ने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को फंड आधारित या गैर—निधि आधारित (गारंटी, साख पत्र, आदि) कोई सुविधा नहीं दी है।

जे) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	9.71	9.36
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

के) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

बैंक ने आईबीए संयुक्त नोट / द्विपक्षीय निपटान दिनांक 11 नवंबर, 2020 के अनुसार कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था, जो कि रु 28.45 लाख था । आरबीआई ने अपने सर्कुलर नं. "RBI / 2021—22 / 105 DOR.ACC. REC.57 / 21.04.018 / 2021—22" दिनांक 4 अक्टूबर 2021, ने बैंकों को 5 (पांच) वर्षों से अधिक नहीं की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ शुरू, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1 / 5 भाग।

बैंक ने उक्त विकल्प को नहीं चुना और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि का प्रभारित किया। notification no. "DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19" dated March 22nd, 2019, has deferred the applicability of these standards till further notice.

Further RBI from time to time have been instructing Banks to be in preparedness for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS), and submit Proforma Ind AS Financial Statements from the half year ended September 30th, 2016 onwards. These Proforma Statements are for the regulatory analysis purpose and may not be necessarily be completely IND AS compliant or indicative of the trial format to be specified in the third schedule to the Banking Regulation Act 1949.

Our Bank is regularly submitting half yearly proforma IND AS to RBI within stipulated time.

 Disclosure of facilities granted to directors and their relatives

The Bank has not granted any facility whether fund based or non-fund based (guarantees, letters of credit, etc.) to the directors, their relatives, companies or firms in which they are interested.

j) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	9.71	9.36
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

k) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The Bank had estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees covered as per IBA Joint Note/Bipartite settlement dated November 11, 2020, amounting to ₹ 28.45 lakhs. RBI vide their Circular no. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22" dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year.

Bank did not opt the said option and charged the entire amount to the Profit & Loss account for the FY ended 31st March 2022.





एल) परिभाषित लाभ योजनाएं (वित्त पोषित दायित्व – पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और उपदान)

- I) Defined Benefit Plans (Funded Obligation Pension, Leave Encashment and Gratuity)
- ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन
- a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

	पेंशन/Pension		नकदीकरण छोड़े / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021
उद्घाटन परिभाषित लाभ दायित्व / Opening Defined Benefit Obligation	349.90	319.71	18.67	19.72	33.62	37.22
उद्घाटन समायोजित / Opening Adjusted						
जोड़ें— अधिग्रहण समायोजन / Add- Acquisition Adjustment						
जोड़ेंः ब्याज लागत / Add: Interest Cost	24.39	21.77	1.30	1.34	2.34	2.53
जोड़ें : पिछली सेवा लागत / Add : Past Service Cost						
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत / Add: Current Service Cost	4.60	5.16	1.23	1.48	1.85	1.83
कमः भुगतान किए गए लाभ / Less: Benefits Paid	(11.43)	(3.24)	(4.71)	(2.69)	(7.40)	(6.18)
जोड़ें: बीमांकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि/ Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	0.19	6.50	0.69	(1.18)	1.50	(1.80)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व / Closing Defined Benefit Obligation	367.64	349.90	17.19	18.67	31.91	33.62



ख) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

			नकदीकर			Amount in < crore)
	पेंशन/P	ension		cashment	ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /				I		
Particulars	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	तक / As on 31st	तक / As on 31st				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	March, 2022	March, 2021	March, 2022	March, 2021	March, 2022	March, 2021
योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य / Opening Fair Value of plan assets	142.02	146.35	17.19	18.67	34.46	37.40
प्रारंभिक समायोजन / Opening Adjusted						
ऐड— प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets	10.04	9.75	1.04	1.21	1.81	2.43
ऐड— प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets						
जोड़ें—अंशदान / Add- Contributions	13.35	11.07	4.22		2.45	0.81
कम— भुगतान किए गए लाभ / Less- Benefits Paid	(43.04)	(25.15)	(4.71)	(2.69)	(7.40)	(6.18)
जोड़ें— बीमांकिक लाभ / (–) हानि / Add- Actuarial gain/(-)loss						
योजनागत आस्तियों का समापन उचित मूल्य/ Closing Fair Value of Plan Assets	122.37	142.02	17.74	17.19	31.32	34.46



सी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

	पेंशन/Pension			नकदीकरण छोड़े / Leave Encashment		टी / :uity
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021
ए) परिभाषित लाभ दायित्व को समापन मूल्य / a) Closing Defined Benefit Obligation	367.64	349.90	17.19	18.67	31.91	33.62
ख) योजनागत आस्तियों का समापन उचित मूल्य / b) Closing Fair Value of Plan Assets	122.37	142.02	17.74	17.19	31.32	34.46
ग) अंतर / c) Difference	245.28	207.87	0.55	1.48	0.59	0.85
डी) अपरिचित संक्रमण् ाकालीन दायित्व / d) Unrecognized transitional liability						
ई) बीएस में मान्यता प्राप्त देयता / e) Liability Recognized in the BS	245.28	207.87	-0.55	1.48	0.59	0.85

- घ) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि
- d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

	पेंशन/Pension		नकदीकरण छोड़े / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021
ए) वर्तमान सेवा लागत / a) Current Service Cost	4.60	5.16	1.23	1.48	1.85	1.83
बी) पिछली सेवा लागत / b) Past Service Cost						
ग) ब्याज लागत / c) Interest Cost	24.39	21.77	1.30	1.34	2.34	2.53
घ) योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ / d) Expected Return on Plan Assets	(9.90)	(10.24)	(1.20)	(1.31)	(2.40)	(2.80)



	पेंशन/Pension		नकदीकरण छोड़े / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	तक / As on 31st	तक / As on 31st	तक / As on 31st	तक / As on 31st	तक / As on 31st	तक / As on 31st
	March, 2022	March, 2021	March, 2022	March, 2021	March, 2022	March, 2021
ई) शुद्ध बीमांकिक हानि / लाभ (–)/ e) Net Actuarial Loss/gain(-)	0.05	6.99	0.85	(1.08)	2.09	(1.42)
च) पी एंड एल में मान्यता प्राप्त व्यय / f) Expenses Recognized in P&L	19.14	23.68	2.19	0.43	3.88	1.41

ई) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

e) Principal Actuarial Assumptions

	पेंशन/Pension		नकदीकरण छोड़े / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण / Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2021 तक / As on 31 st March, 2021
छूट की दर/ Discount rate	7.21 %	6.97 %	7.21 %	6.97 %	7.21 %	6.97 %
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5%	5%	5%	5%	5%	5%
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर / Expected Rate of Return on plan Assets	7%	7%	7.21 %	6.97 %	7.21 %	6.97 %

22 आय पर कर के लिए लेखांकन (लेखा मानक 22)

एम) वर्तमान कर

20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में नई शुरू की गई धारा 115B।। के मद्देनजर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019—20 यानी आकलन से नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था। वर्ष 2020—21 और चालू वित्त वर्ष में इसे जारी रखने का निर्णय लिया, तदनुसार प्रभावी कर दर 25.168% है।

बैंक ने नीचे सारणी के अनुसार आयकर का प्रावधान किया है:

22. Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

m) Current Tax

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank had opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.

The bank has made a provision for income tax as tabulated below:



(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
आयकर के लिए	0.10*	12.91
प्रावधान		

^{*}वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनयम, 1961 की धारा 36(1)(viia) के तहत कटौती का दावा किया है, जिसे कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 फरवरी 2012 के साथ पढ़ा गया है। बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण रु. 116.60 करोड़ के परिणामस्वरूप कर देयता में कमी आई।

बी) आस्थगित कर

31 मार्च 2022 को समाप्त अविध के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते को डेबिट करके 4.10 करोड़ रुपये की आस्थिगित कर देयता बनाई है, (पिछले वर्ष आस्थिगित कर देयता 3.39 करोड़ रुपये थी)। आस्थिगित कर देयताओं के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(राशि रु. करोड में /Amount in ₹ crore)

(x	।।श रु. करा	ड़ म /Amoui	nt in < crore)
अवयव	अंतिम शेष	डीटीए / 25.168%	डीटीएल / 25.168%
कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधान	0.82	0.21	
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	2.35	0.59	
एलएफसी के लिए प्रावधान	1.74	0.44	
सामान के लिए प्रावधान	0.10	0.02	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार सृजित आरक्षित निधियां	25.54		6.43
आयकर अधिनियम और पुस्तकों के अनुसार डब्ल्यूडीवी में अंतर	4.25	1.07	
कुल डीटीए/डीटीएल (वर्तमान वर्ष)	34.79	2.33	6.43
31 मार्च 2022 तक नेट डीटीएल			4.10
31 मार्च 2022 को डीटीएल की प्रारंभिक शेष राशि			3.39
वर्ष के दौरान पीएल खाते से प्रभारित राशि			0.71

एन) तकनीकी प्रगति

बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) FINCRAFT को उद्योग विशिष्ट और अधिक मजबूत CBS एप्लिकेशन "FINACLE10.X" के साथ अपग्रेड किया है और 11 फरवरी 2022 से नए CBS में माइग्रेट किया है। परियोजना पर दावा की गई लागत और मृल्यहास का विस्तृत विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Item	As on 31 st March, 2022	As on 31 st March, 2021
Provision for	0.10*	12.91
Income Tax		

*During the financial year 2021-22, the Bank has claimed deduction under section 36(1)(viia) of Income Tax Act, 1961 read with Hon'ble Supreme Court Judgement in Catholic Syrian Bank Ltd. v/s Commissioner of Income Tax dated 17th February 2012, on account of Bad Debts written off to the tune of ₹ 116.60 Cr. Which resulted in reduction of Tax Liability.

B) Deferred Tax

During the period ended March 31st 2022, the bank has created deferred tax Liability to the tune of ₹ 4.10 Crore by Debiting the profit and loss account, (previous year deferred tax liability was ₹ 3.39 Crore). Major components of Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Components	Closing balance	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%	
Provision Related to employee benefits	0.82	0.21		
Provision For Ex-Gratia	2.35	0.59		
Provision For LFC	1.74	0.44		
Provision For baggage	0.10	0.02		
Reserves created as per section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	25.54		6.43	
Difference in WDV's as per Income Tax Act & Books	4.25	1.07		
Total DTA/ DTL (CURRENT YEAR)	34.79	2.33	6.43	
Net DTL as on 31 st March 2022			4.10	
Opening Balance of DTL as on 31st March 2022			3.39	
Amount charged to PL a/c during the year			0.71	

n) Technological advancements

The Bank has upgraded its Core Banking System (CBS) FINCRAFT with industry specific and more robust CBS application "FINACLE10.X" and has migrated to new CBS with effect from 11th February 2022. The detailed breakup of cost incurred and depreciation claimed on the project is tabulated below:



(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
क्र. सं.	विवरण	AS—10 और अन्य लागू नियमों के अनुसार पूंजीकृत राशि/	मार्च 2022 तक मूल्यड्रास
1	मूर्त आइटम जैसे उच्च अंत सर्वर और नेटवर्क	21.79	2.21
2.	लाइसेंस, कार्यान्वयन, नए सीबीएस/ट्रेजरी और अन्य सहायक मॉड्यूल का अनुकूलन	19.24	0.24

ओ) खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17)

भाग एः व्यापार खंड

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount capitalised as per AS-10 and other applicable regulations	Depreciation till March 2022
1	Tangible items viz high end servers & networks	21.79	2.21
2.	Licences, implementation, customisation of new CBS/treasury and other ancillary modules	19.24	0.24

o) Segment Reporting (Accounting Standard 17)

Part A: Business segments

व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	खज़ाना/ कॉर्पोरेट / थोक Treasury बैंकिंग/Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	
आय / Revenue	235.91 (268.91)	36.11 (61.03)	328.56 (307.07)	2.05 (2.11)	602.63 (639.12)	
परिणाम / Result	69.39 (76.28)	-4.55 (-1.30)	39.10 (-1.05)	2.04 (2.11)	105.98 (76.04)	
असंबद्ध व्यय/ Unallocated expenses					76.95 (61.87)	
कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax					29.03 (14.17)	
आय कर / Income taxes					0.10 (12.91)	
असाधारण लाभ / हानि / Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)	
शुद्ध लाम / Net profit						
खंड संपत्ति / Segment assets	3812.08 (4042.70)	916.46 (715.94)	3533.86 (3390.79)	0.00 (0.00)	8262.40 (8149.43)	
असंबद्ध संपत्ति / Unallocated assets					75.46 (32.84)	

व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	खजाना / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
कुल संपत्ति / Total assets					8337.86 (8182.27)
खंड देयताए /Segment liabilities	3539.02 (3738.17)	864.93 (674.89)	3332.92 (3196.26)	0.00 (0.00)	7736.87 (7609.33)
आवंटित देयताए / Unallocated liabilities					600.99 (572.94)
कुल देयताए / Total liabilities					8337.86 (8182.27)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े (अर्थात मार्च 2021 के आंकड़े) दर्शाते हैं। Note: Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2021 figures)

पी) कोविड -19 नियामक प्रभावः

COVID—19 महामारी के बाद में, अर्थव्यवस्था अभी भी पुनरुद्धार के चरण में है। ब्टप्य—19 के प्रभाव, जिसमें ग्राहक व्यवहार और महामारी की आशंकाओं में बदलाव, साथ ही व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, ने वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। बैंक के परिणाम चल रहे विकास और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेंगे, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ब्टप्य—19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी और इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई शामिल है, चाहे सरकार— हमारे द्वारा अधिदेशित या निर्वाचित।

वित्तीय बाजार में निरंतर अस्थिरता के कारण, बैंक ने अग्रिमों की वसूली सिंहत अपने वित्तीय विवरणों के विभिन्न तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने में वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमान और उद्योग रिपोर्ट सिंहत सूचना के आंत. रिक और बाहरी स्रोतों पर विचार किया है। उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक की अन्य संपत्ति और देयताए। ब्टप्क-19 महामारी के कारण अनिश्चितता को देखते हुए, बैंक भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है, जो बैंक के संचालन और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है, जो विकास के आधार पर वित्तीय परिणाम के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

p) Covid -19 Regulatory Impact:

In the aftermath of COVID-19 pandemic, the economy is still in the stage of revival. The impact of COVID-19, including changes in customer behavior and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets and a significant decrease in global and local economic activities. The Bank's results will depend on ongoing as well as future developments, which are highly uncertain, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government-mandated or elected by us.

On account of continuous volatility in financial market, the Bank has considered internal and external sources of information including economic forecasts and industry reports up to the date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision thereon, investment valuation, other assets and liabilities of the Bank. Given the uncertainty because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results.



क्यू) आकिस्मक देयता और प्रावधानों का विवरण (लेखा मानक 29)

q) Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु / Item			एएस – 29 .	के अनुसार प्रावध	ग्रान / Provision As	per AS – 29		
	राशि जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि / Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि वर्ष के दौरान वापस करना /Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख घारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks
बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*/ Claims against the Bank not acknowledged as debt*	1.57 (0.53)	0.06	1.03		1 1	1.09		
घटकों की ओर से जारी गारंटियां / Guarantees issued on behalf of constituents	67.66 (83.83)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
स्वीकृति अनुमोदन और अन्य दायित्व / Acceptance Endorsements and other obligations	1.18 (14.88)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकरिमक रूप से उत्तरदायी है / Other items, for which the Bank is contingently liable	28.20 (31.33)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA

कोष्टक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2021 को बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं

Figures in bracket represents the amount outstanding as at 31st March 2021

आर) प्रति शेयर आय-

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ए)	प्रति शेयर आय		
	बुनियादी (वार्षिक)	3.73	0.16
	डाइल्यूटेड** (वार्षिक)	3.73	0.16
बी)	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि (कर	28.93 करोड़	1.26 करोड़
	पश्चात लाभ)/		
सी)	शेयरों का नाममात्र मूल्य/	₹ 10.00/- per share	₹ 10.00/- per share

r) Earnings per share-

	Particulars	As on 31st March, 2022	As on 31 st March, 2021
a)	Earnings per share		
	Basic (annualized)	3.73	0.16
	Diluted** (annualized)	3.73	0.16
b)	Amount used as numerator (Profit after tax)	28.93 Crore	1.26 Crore
c)	Nominal value of shares	₹ 10.00/-per share	₹ 10.00/-per share

^{*}ऐसी देयतायां क्रमशः अदालत / मध्यस्थता / अदालत के बाहर निपटान, अपीलों के निपटान, मांग की जा रही राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, विकास और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढाने पर निर्भर हैं।

^{*}Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.



		विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
13	डी)	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या/	77500000	77500000

एस) अतिरिक्त प्रकटीकरणः


- पुनः समूहीकरण और पुनः वर्गीकरणः पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक होने पर पुनः समूहित किया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतानः सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए भुगतान के लिए प्रकटीकरण एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज लागू नहीं है।
- 04 जुलाई 2022 की अपनी बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार,
 बोर्ड द्वारा 12 मई की अपनी बैठक में पूर्व में अनुमोदित वित्तीय
 विवरणों को निम्नलिखित के साथ संशोधित किया गया है:
- i. 30 अगस्त, 2021 के वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर आरबीआई के मास्टर निदेश का अनुपालन करने के लिए, टियर-1, टियर-2 पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों की संपूर्ण राशि, उत्तोलन अनुपात और शुद्ध ब्याज मार्जिन और लागत का प्रतिशत जमा राशि का भी खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरण में इस तरह के प्रकटीकरण का कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं है।
- ii 1 जुलाई 2014 के आरबीआई मास्टर पिरपत्र संख्या डीबीओडी. बीपी.बीसी.20/21.04.141/2014—15 के अनुसार, निवेश आरक्षित खाते से निकाली गई राशि रु. 2.99 करोड़ एक डाउन द लाइन आइटम होना चाहिए था। तदनुसार वित्तीय विवरण में संशोधन किया गया है; नतीजतन, बैंक का शुद्ध लाभ रुपये 2.99 करोड़ कम हो गया है। हालांकि, राशि को लाभ के विनियोग के रूप में दिखाया गया है।
- iii. 30 अगस्त, 2021 के "वित्तीय विवरणों पर मास्टर निर्देश—प्रस्तुति और प्रकटीकरण" के अनुसार, निवेश पर मूल्यह्रास के लिए एमटीएम प्रावधान को अन्य आय से कम किया जाना चाहिए। तदनुसार वित्तीय विवरण में संशोधन किया गया है; नतीजतन, पिरचालन लाभ रुपये 5.33 करोड़ कम हो गया है। हालांकि, शुद्ध लाभ पर ऐसी राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- iv मास्टर निदेश के पैरा 18 (i) (ए) के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), 2021, बैंकों को आईएफआर की राशि तक एक निवेश उतार—चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाना आवश्यक है। नि. रंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियों का कम से

	Particulars	As on 31st March, 2022	As on 31 st March, 2021
d)	Weighted average number of equity shares used as the denominator	77500000	77500000

s) Additional Disclosures:

- Re-grouping & Re-classification: Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.
- Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable.
- Pursuant to the decision of the Board in their meeting dated 04 th July 2022, the financial statements approved by the Board earlier in their meeting dated 12 th May stand amended with the following:
- i. In order to comply with RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures" dated August 30, 2021, the absolute amount of Tier-1, Tier-2 capital and Risk weighted assets, Leverage Ratio and the percentage of Net Interest Margin and Cost of Deposit has been additionally disclosed. There is no monetary impact of such disclosure in the financial statement
- ii. As per RBI Master Circular No. DBOD. BP.BC.20/21.04.141/2014-15 dated July 1, 2014, amount withdrawn from Investment reserve account ₹ 2.99 Crores should have been a down the line item. The financial statement has been amended accordingly; Resultant, the Net Profit of the Bank has reduced by ₹ 2.99 Crores. However, the amount has been shown as appropriation of profit.
- iii. As per The "Master Direction on Financial Statements Presentation and Disclosures" dated August 30, 2021, MTM Provision for depreciation on investment should be reduced from other income. The financial statement has been amended accordingly; Resultant, the Operating Profit has reduced by ₹ 5.33 Crores. However, there is no impact of such amount on Net Profit.
- iv. In terms of Para 18(i)(a) of Master Direction Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least 2 per cent of the HFT and





- सीआरएआर-टीयर । पूंजी अनुपात, सीआरएआर टीयर ॥ पूंजी अनुपात, प्रति शेयर आय, लाभांश भुगतान अनुपात, परिसंपत्तियों पर रिटर्न और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ऑपरेटिंग फंड लीवरेज अनुपात केः के रूप में उपरोक्त संशोधनों का मामूली प्रभाव है।
- AFS portfolio, on a continuing basis. Therefore, the provision has been enhanced by ₹ 1.09 Crore; Resultant, the Net Profit of the Bank has reduced by ₹ 1.09 Crores.

NAINITAL BANK

There is minor impact of aforementioned amendments on the CRAR – Tier I Capital Ratio, CRAR – Tier II Capital Ratio, Earnings per share, Dividend payout ratio, return on Assets and Operating Profit as a % to working Fund Leverage Ratio.





दिल्ली / DELHI	(16)	8. पप्पनकलां / Pappankala	(M)
 पंचकुंइया रोड / Panchkuian Road लाजपत नगर / Lajpat Nagar शालीमार बाग / Shalimar Bagh तिलक नगर / Tilak Nagar पटपड़गंज / Patparganj पीतमपुरा / Pitampura 	(16) (M) (M) (M) (M) (M) (M)	8. पप्पनकला/ Pappankala 9. विकास मार्ग / Vikas Marg 10. न्यू कोंडली / New Kondli 11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 12. रोहतक रोड / Rohtak Road 13. सर्विस ब्रान्च, पंचकुंइया रोड / Serv. Br. Panchkuian Road 14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh) 15. द्वारका / Dwarka	(M) (M) (M) (M) (M) (M) (R) (M)
7. आई.पी. एक्सटैन्सन / I.P.Extension	(M)	16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M)

उत्तर	खंड / Uttarakhand		(75)
	– अल्मोड़ा / DISTTALMORA	(4)	
	अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main)	` '	(SU)
	रानीखेत / Ranikhet		(SU)
19.	लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora		(SU)
	द्वाराहाट / Dwarahat		(R)
जिला	— बागेश्वर/DISTTBAGESHWAR	(3)	
	बागेष्ट्वर / Bageshwar		(R)
22.	बनलेख / Banlekh		(R)
	कपकोट / Kapkot	/- \	(R)
	— चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT	(7)	(D)
	लोहाघाट / Lohaghat		(R)
	चम्पावत / Champawat		(R)
	देवीधुरा / Devidhura		(R)
	चौमेल / Chaumel		(R)
	भिंगराड़ा / Bhingrara		(R)
	टनकपुर / Tanakpur		(SU)
	बनबसा—चम्पावत / Banbasa-Champawat	(22)	(R)
	् – नैनीताल / DISTTNAINITAL	(23)	(CLI)
	नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main) रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani		(SU)
	रामनगर / Ramnagar		(U) (SU)
	भीमताल / Bhimtal		(30) (R)
	रामगढ़ / Ramgarh		(R)
	लाल कुंआ / Lalkuan		(R)
	बैल पड़ाव/Bailparao		(R)
	पहाँ ड्रपानी / Paharpani		(R)
	रानीबाग / Ranibagh		(R)
40.	तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital		(SU)
	कालाढूंगी रोड, हल्ह्वानी /Kaladhungi Road, Haldwani एमबीपीजी कालेज, हल्ह्वानी/MBGPG College, Haldwani		(U)
	रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani		(U) (U)
	भवाली / Bhowali		(R)
	अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao), Haldw	ani	(R)
	लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी		(R)
	Lohariasal Malla (Kathgharia), Haldwani		
	कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani		(R)
	जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar)		(R)
	दमुवा ढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti)		(R)
	पीरुमादारा (रामनगर) / Peerumadara (Ramnagar) उदयलालपुर (हल्द्वानी) / Udaylalpur (Haldwani)		(R) (R)
52.	जेल राड (हल्द्वानी) / Jail Road (Haldwani)		(N) (U)
	तल्ली बमोरी (हल्द्वानी) / Talli Bamori (Haldwani)		(R)
	– पिथौरागढ़ / DISTTPITHORAGARH	(2)	. ,
54.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh		(SU)
	धारचूला / Dharchula	/o=`	(R)
	– ऊधम सिंह नगर ∕DISTT U.S. NAGAR	(27)	(1.1)
	काशीपुर / Kashipur		(U)
	किच्छा ∕ Kichha बाजपुर ∕ Bazpur		(SU) (SU)
	बाजपुर / Bazpui किलाखेडा / Kilakhera		(SU)
	नगला / Nagla		(SU)
	बरा / Bara		(R)
	श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa		(R)
	9 / T FT T T		()

15. द्वारका / Dwarka	(M)
16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M)
63. रूद्रपुर / Rudrapur	(U)
64. जसपुर/Jaspur	(SU)
65. गदरपुर / Gadarpur 66. भड महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima)	(R)
66. भूड महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) 67. सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar	(SU) (U)
68. सितारगंज / Sitargang	(SU)
69. महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur	(R)
70. बरहैनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur	(R)
71. मुरादाबाद रोड, काशीपुर / Moradabad Road, Kashipur	(U)
72. भूरारानी, रुद्रपुर / Bhurarani, Rudrapur	(R)
73. विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur	(R)
74. शिमलापिस्तौर, रूद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur	(R)
75. दिनेशपुर, रूद्रपुर / Dineshpur Rudrapur	(SU)
76. नानकमत्ता / Nanakmatta	(R)
77. दानपुर, रुद्रपुर / Danpur, Rudrapur	(R)
78. भरतपुर, कुंडा / Bharatpur, Kunda	(R)
79. प्रतापपुर, काशीपुर / Pratappur, Kashipur 80. बेरिया दौलत / Beria Daulat	(R) (R)
81. राजपुर, जयपुर / Rajpur, Jaspur	(R)
82. सकानिया, गदरपुर / Sakeniya, Gadarpur	(R)
जिला — चमोली / Distt Chamoli	(2)
83. जोशीमठ / Joshimath	(SU)
84. कर्णप्रयाग / Karn Prayag	(R)
जिला – देहरादून / DISTT DEHRADUN	(17)
85. देहरादून / Dehradun	(U)
86. विकास नगर / Vikas Nagar	(SU)
87. डोईवाला / Doiwala	(R)
88. ऋषिकंश / Rishikesh 89. हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun	(SU) (U)
90. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun	(U)
91. मंसूरी / Mussoorie	(SU)
92. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun	(U)
93. चकराता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun	(U)
94. कैनाल रोड, देहरादून / Canal Road, Dehradun	(U)
95. सहस्त्रधारा रोड, देहरादून / Sahastradhara Road, Dehradun	(U)
96. भनियावाला, देहरादून / Bhaniyawala, Dehradun	(R)
97. भाऊवाला, देहरादून / Bhauwala, Dehradaun	(R)
98. चिद्दरवाला, देहरादून / Chidderwala, Dehradun	(R)
99. नाथुआवाला, देहरादून / Nathuawala, Dehradun	(R)
100. झजरा, सुधोवाला, देहरादून / Jhajra, Sudhhowala Dehradun	(U)
101. राजेश्वरीवाला जोगीवाला, देहरादूर / Rajeshwaripuram, Jogiwala D जिला— हरिद्वार / DISTT HARIDWAR	(4)
102. हरिद्वार / Haridwar	(U)
103. रूडकी / Roorkee	(U)
104. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar	(U)
105. श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार / Shyampur Kangri, Haridwar	(R)
जिला—पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT PAURI (GARHWAL)	(3)
106. कोटद्वार / Kotdwar	(SU)
107. श्रीनगर ∕ Srinagar	(SU)
108. पौढ़ी / Pauri	(SU)
जिला — रूद्रप्रयाग / DISTT RUDRAPRAYAG (1) 109. रूद्रप्रयाग / Rudra Prayag	(D)
109. रूद्रप्रयोग / Rudra Prayag जिला – टेहरी / DISTT TEHARI (2)	(R)
110. नई टेहरी / New Tehari	(SU)
111. तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh	(R)
जिला –उत्तरकाशी / DISTT UTTARKASHI (1)	()
112. पुरोला, उत्तराकाशी / Purola, Uttarkashi	(R)



उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh	(36)
जिला आगरा / DISTT. AGRA (1)	(30)
113. आगरा / Agra	(M)
जिला – बरेली / DISTTBAREILLY (4)	` '
114. बहेड़ी / Baheri	(SU)
115. सिविल लाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly	(U)
116. प्रभात नगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly	(U)
117. फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly	(SU)
118. पवन विहार, बरेली / Pawan Vihar, Bareilly	(SU)
जिला – बिजनौर / DISTT BIJNOR (6)	
119. नजीबाबाद / Najibabad	(SU)
120. बिजनौर / Bijnor	(SU)
121. धामपुर / Dhampur	(SU)
122. नगीना / Nagina	(SU)
123. अफजलगढ़ / Afzalgarh	(SU)
124. रानीपुर, नजीबाबाद / Ranipur, Najibabad	
जिला – बुलन्दशहर / DISTTBULANDSHAHR (1)	
125. बुलन्दशहर / Bulandshahar	(U)
जिला—गाज़ियाबाद / DISTT GHAZIABAD (3)	
126. गाजियाबाद / Ghaziabad	(M)
127. वैशाली, गाजियाबाद / Vaishali, Ghaziabad	(M)
128. संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad	(M)
129. गोविंदपुरम, गाजियाबाद / Govindpuram, Ghaziabad	(U)
जिला गौ. बु. नगर / DISTT-G.B. NAGAR (3)	()
130. नोएडा सैक्टर –50 / NOIDA Sect 50	(U)
131. नोएडा सैक्टर — 18 / NOIDA Sect18	(U)
132. ग्रेटर नोएडा / Greater NOIDA जिला — कानपर / DISTT. – KANPUR (2)	(U)
जिला – कानपुर / DISTT. – KANPUR (2) 133. कानपुर / Kanpur	(M)
133. कानपुर / Kampur 134. बर्रा–कानपुर / Barra-Kanpur	
154. 4र1-4रानपुर/ Barra-Karipur	(M)

जिला	— लखनऊ / DISTT LUCKNOW (7)	
135.		(M)
136.	महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow	(M)
137.	आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	(M)
138.	नादान महल मार्ग, लखनऊ / Nadan Mahal Road, Lucknow	
139.	गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	(M)
140.	आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow	(M)
141.		(M)
जिला	— मेरठ / DISTT MEERUT (2)	
142.	मेरठ / Meerut	(M)
143.	कंकर खेडा—मेरठ / Kankar-Khera-Meerut	(M)
जिला	— मुरादाबाद / DISTT MORADABAD (2)	
144.	मुरादाबाद / Moradabad	(U)
145.	कांठ रोड—मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	(U)
	ठाकुरद्वारा—मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad	(SU)
	— मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR (1)	
147.	मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar	(U)
जिला	— पीलीभीत / DISTT PILIBHIT (1)	
148.	पीलीभीत / Pilibhit	(U)
जिला	— रामपुर / DISTT RAMPUR (2)	
149.	रामपुर / Rampur	(U)
150.	बिलासपुर / Bilaspur	(SU)
जिला-	– सहारनपुर / DISTT SAHARANPUR (1)	
	सहारनपुर / Saharanpur	(U)
	– शाहजहाँपुर / DISTT SHAHJAHANPUR (2)	
152.	शाहजहाँपुर / Shahjahanpur	(U)
153.	सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur	(R)
	– सीतापुर / DISTT SITAPUR (1)	
154.	सीतापुर / Sitapur	(U)

हरियाणा / Haryana	(7)
जिला–अम्बाला / DISTTAMBALA (1)	
155. अम्बाला / Ambala	(U)
जिला—फरीदाबाद / DISTTFARIDABAD (2)	
156. फरीदाबाद / Faridabad	(M)
157. बल्लभगढ़—फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad	(M)
जिला—गुरूग्राम / DISTTGURUGRAM (2)	
158. गुरूग्राम / Gurugram	(U)
159. सोहना रोड—गुरूग्राम / Sohna Road-Gurugram	(U)

जिला–करनाल / DISTTKARNAL (1)	
160. करनाल / Karnal	(U)
जिला—पानीपत / DISTTPANIPAT (1)	
161. पानीपत / Panipat	(U)
जिला—पानीपत / DISTTROHTAK (1)	
162. सेक्टर 14, रोहतक / Sector 14, Rohtak	(U)
राजस्थान / Rajasthan (3)	
जिला—जयपुर / DISTTJAIPUR (3)	
163. जयपुर / Jaipur	(M)
164. कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	(SU)
165. राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	(M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :						
1. महानगरीय / Metro 2. ३		गहरी / Urban	3. अर्द्धशहरी / Semi Urban 4. ग्रामीण /		4. ग्रामीण / Rural	
34		43	34		54	
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offic	क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices					
1. दिल्ली / Delhi		2. हल्द्वानी ,	/ Haldwani	ani 3. देहरादून / Dehradun		
विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट						
1. दिल्ली / Delhi 2. हल्द्व		नी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun		4. लखनऊ / Lucknow	
STATUTORY AUDITORS : M/S Dharam Raj & Co., Chartered Accountants						
COMPANY SECRETARY : Mr. Vivek Sah						

In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final.

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22





Launching of Co-Branded Credit Card of Bank- Renaissance in the presence of Mr Prem Chandra Aggarwal, Finance Minister of Uttarakhand & Mr Dinesh Pant, MD & CEO



Distribution of Stationery items to students on the occassion of 101th Foundation day under CSR activity





Bank has opened it's 165th branch at Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh



Inauguration of Staff Training Centre at Regional Office, Haldwani by our Hon'ble MD and CEO Mr. Dinesh Pant





नैनीताल बैंक NAINITAL BANK

Regd Off.: G.B. Pant Road, Nainital - 263001 (Uttarakhand) H.O.: Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand)

Phone: 05942 - 236 138/195, Fax: 05942 - 236 120 email: accounts@nainitalbank.co.in

Website: www.nainitalbank.co.in CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234